

Seventeenth Series, Vol. XXVIII No. 12

Tuesday, December 19, 2023

Agrahayana 28, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Fourteenth Session

(Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XXVIII contains Nos.1 to 14)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General
Lok Sabha

Mamta Kemwal

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Anil Kumar Chopra

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. XXVIII, Fourteenth Session, 2023/1945 (Saka)
No. 12, Tuesday, December 19, 2023/ Agrahayana 28, 1945 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWER TO QUESTION	
* Starred Question No. 221	11-14
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 222 to 230, 232 to 234 and 236 to 240	15-95
Unstarred Question Nos. 2532 to 2540, 2542 to 2550, 2552 to 2563, 2565 and 2566, 2568 to 2572, 2574, 2576 to 2597, 2600 to 2602, 2604, 2606 to 2609, 2611 to 2626, 2628 to 2645, 2647 to 2652, 2654 to 2677, 2679 to 2683, 2685 to 2692, 2694, 2696 to 2700, 2702 to 2706, 2708 to 2711, 2713 to 2723, 2725, 2727 to 2731, 2733 to 2760	96-751

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

SUSPENSION OF MEMBERS FROM THE SERVICE OF THE HOUSE UNDER RULE 374	754-756
MOTION RE: SUSPENSION OF MEMBERS	756-759
PAPERS LAID ON THE TABLE	760-777
MESSAGES FROM RAJYA SABHA	778
LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE	779
COMMITTEE ON PETITIONS 54 th to 61 st Reports	780-782
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES 91 st to 97 th Reports	783
STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING (i) 66 th Report (ii) Statements	784-786 784 785-786
STANDING COMMITTEE ON ENERGY 39 th to 41 st Reports	787
STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY 52 nd and 53 rd Reports	788
STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 37 th and 38 th Reports	789
STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS (i) 45 th to 49 th Reports (ii) Statement	790 791
STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE 150 th and 151 st Reports	792

STATEMENTS BY MINISTERS

- (i) Status of implementation of the recommendations contained in the 29th Report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development

Sadhvi Niranjan Jyoti

793

- (ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 20th Report of the Standing Committee on Water Resources on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti

Er. Bishweswar Tudu

794

MATTERS UNDER RULE 377

795-815

- (i) Regarding setting up of an AIIMS in Solapur, Maharashtra

Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya Swamiji

795

- (ii) Need to channelise the water of Udanti river to reservoirs in Deobhog block in Gariaband district of Chhattisgarh

Shri Chunnilal Sahu

796

- (iii) Need to grant environmental clearance to the pending projects in Mumbai

Shri Gopal Shetty

797

- (iv) Regarding establishment of a Flood Early Warning System in Sirsa Parliamentary Constituency

Sushri Sunita Duggal

798

- (v) Regarding opening of an International level Research and Development Training Centre for glass industry in Firozabad Parliamentary Constituency
Dr. Chandra Sen Jadon 799
- (vi) Regarding running and stoppage of trains in Kalaburagi railway station
Dr. Umesh G. Jadav 800-801
- (vii) Regarding alleged discrepancies in Delhi Jal Board's financial statements
Shri Parvesh Sahib Singh Verma 802
- (viii) Regarding construction of a Railway Overbridge at Raiganj in Uttar Dinajpur district of West Bengal
Sushri Debasree Chaudhuri 803
- (ix) Need to lay underground electric cables in the surroundings of Parkota in Jaipur Parliamentary Constituency
Shri Ramcharan Bohra 804
- (x) Regarding setting up of Eklavya Model Residential Schools in Raichur
Shri Raja Amareshwara Naik 805
- (xi) Regarding early completion of the railway line in Bargarh district in Odisha
Shri Suresh Pujari 806
- (xii) Need to extend the Bilaspur – Hapur Train to Dwarka and Raipur
Shri Mohanbhai Kundariya 807

- (xiii) Regarding estimated budget of AMRUT 2.0 Yojana including delays and the lapses in the implementation of the scheme
Shri Anurag Sharma 808
- (xiv) Need to undertake doubling of Lucknow- Sitapur Railway Line
Shri Rajesh Verma 809
- (xv) Regarding establishment of CNG stations and supply of CNG in Badaun Parliamentary Constituency
Dr. Sanghamitra Maurya 810
- (xvi) Need to improve the early warning system and provide real time updates during cyclons or floods, especially in coastal areas
Shri Magunta Sreenivasulu Reddy 811
- (xvii) Need to accord approval to the proposal of Government of Maharashtra for exclusion of Kalhat and Nigde villages from Eco-sensitive zone
Shri Shrirang Appa Barne 812
- (xviii) Regarding exemption of BIS norms on the products of footwear industry in Andhra Pradesh
Shri Kesineni Srinivas 813
- (xix) Regarding permission for sale and purchase of land by non-tribals in Bodoland Territorial Council
Shri Naba Kumar Sarania 814

- (xx) Regarding inclusion of Padalse Project under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana and operationalisation of Seven Balloon Project

Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil 815

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LAWS (SPECIAL PROVISIONS) SECOND (AMENDMENT) BILL, 2023 816-839

Motion to Consider 816

Shri Hardeep Singh Puri 816-820,
835-838

Shri Ramesh Bidhuri 820-826

Shri Parvesh Sahib Singh Verma 827-832

Shri Rahul Ramesh Shewale 833-835

Clauses 2 to 5 and 1 839

Motion to Pass 839

CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) BILL, 2023 840-863

Motion to Consider 840

Shrimati Nirmala Sitharaman 840-844,
859-862

Dr. Nishikant Dubey 845-848

Shrimati Sarmistha Sethi 849-851

Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane 852-854

Shri Shankar Lalwani 855

Shri Lavu Srikrishna Devarayalu 856-859

Clauses 2 and 1 863

Motion to Pass	863
PROVISIONAL COLLECTION OF TAXES BILL, 2023	864-873
Motion to Consider	864
Shrimati Nirmala Sitharaman	864-867, 872-873
Shri Jayant Sinha	867-870
Dr.Beesetti Venkata Satyavathi	870-872
Clauses 2 to 6 and 1	873
Motion to Pass	873
MOTION RE: SUSPENSION OF RULE 66	874
BHARATIYA NYAYA (SECOND) SANHITA, 2023	
AND	
BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA (SECOND) SANHITA, 2023	
AND	
BHARATIYA SAKSHYA (SECOND) BILL, 2023	876-993
Motion to Consider	876
Shri Amit Shah	876
Dr.Talari Rangaiah	877-883
Shri Ravi Shankar Prasad	883-893
Shri Gajanan Kirtikar	894-896
Shri Bhartruhari Mahtab	897-908
Shri Vishnu Dayal Ram	909-916
Shri Prince Raj	917-920
Shri Tejasvi Surya	921-934
Dr. Satya Pal Singh	935-951

Shri P. P. Chaudhary	952-960
Shri Dilip Saikia	961
Shri Ganesh Singh	962-966
Shri Ram Kripal Yadav	967-972
Shri Jagdambika Pal	973-977
Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo	978-980
Sushri Sunita Duggal	981-985
Shri Pratap Chandra Sarangi	986-988
Shrimati Jaskaur Meena	989-991
Prof. Rita Bahuguna Joshi	991-993

*** ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	918
Member-wise Index to Unstarred Questions	919-924

*** ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	925
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	926

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Shirang Appa Barne

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, December 19, 2023/ Agrahayana 28, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWER TO QUESTION

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल ।

प्रश्न संख्या 221 - श्री कृष्ण पाल सिंह यादव ।

... (व्यवधान)

(Q. 221)

11.01 hrs

At this stage, Shri Gurjeet Singh Aujla, Shri D.M. Kathir Anand, Dr. Farooq Abdullah, Dr. S.T. Hasan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)

श्री कृष्णपालसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी और खेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत विस्तार से जवाब दिया है और 'खेलो इंडिया' के माध्यम से पूरे देश में खेल-कूद और युवा प्रतिभा को प्रोत्साहन देने का काम किया है ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गुना लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ, जो एक आकांक्षी जिला है ।... (व्यवधान) वहां उपयुक्त खेल सुविधाएं न होने के बावजूद भी मेरे क्षेत्र से 94 बच्चियों ने राष्ट्रीय स्तर पर और 5 बच्चियों ने विदेशों में जाकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का और मेरे लोक सभा क्षेत्र का नाम रोशन किया है ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह सदन आपका है और इस सदन को चलाने के लिए आपने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं, कुछ नियम बनाए हैं, कुछ परम्पराएं बनाई हैं, और यह सदन देश का सर्वोच्च सदन है ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा आपसे आग्रह है कि आप चर्चा करें, संवाद करें। तख्तियां लेकर आना सदन में मर्यादित आचरण नहीं है। हम सबने भी यह तय किया था, सामूहिक रूप से निर्णय हुआ था कि हम तख्तियां लेकर नहीं आएंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे फिर से आग्रह कर रहा हूँ कि आप अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बैठें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल एक महत्वपूर्ण समय होता है। हर विषय पर, हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपको चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सदन आपका है। सदन की मर्यादा बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सदन हमेशा नियमों, परम्परा और परिपाटी से चलता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने-अपने आसन पर विराजें। प्रश्न काल को चलने दें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आना है, यह आप सबका निर्णय था। हम हर विषय पर चर्चा कराएंगे, लेकिन तख्तियां लेकर आने से सदन नहीं चलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन नियमों से चलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या यह उचित है कि सदन में आप आसन तक नजदीक आ जाएं, आसन के ऊपर तक चढ़ जाएं? क्या यह आपकी परम्परा है या आपकी परिपाटी है? क्या आप इस तरीके से सदन चलाना चाहते हैं? क्या यह आपकी मर्यादा है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मर्यादा बनाए रखें। विचारधारा के आधार पर अपनी बात कहें। असहमति व्यक्त करना, आलोचना करना सबका अधिकार है, लेकिन सदन नियमों, प्रक्रिया और व्यवस्था से चलता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप यह मर्यादा बनाए रखना चाहते हैं? पूरा देश आपके इस व्यवहार को देख रहा है। यह देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आग्रह करता हूँ कि सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आपने जिस तरीके से सदन की मर्यादा को तोड़ा है, यह उचित नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन व्यवस्थाओं से चलेगा, नियमों से चलेगा, परम्पराओं से चलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को फिर से अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो लोग माननीय प्रधान मंत्री जी का फोटो इस तरह से मॉर्फ कर के लाए हैं, यह बहुत ही खंडनीय है। ... (व्यवधान) I strongly condemn this.... (*Interruptions*) इन लोगों को जनता ने नकार दिया है। ... (व्यवधान) अभी जो चुनाव हुए थे, उनमें इनकी स्थिति क्या है, यह इन लोगों को पता चल गयी है। ... (व्यवधान) इनको जनता ने पूरा सबक सिखाया है। ... (व्यवधान) इन लोगों को हारने की डेस्प्रिप्रेशन है। ... (व्यवधान) इसलिए ये लोग माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के फोटो को मॉर्फ कर के ऐसे अपमान कर रहे हैं। ... (व्यवधान) लोगों ने इनको सबक सिखाया है। ... (व्यवधान) जो लोग चुनाव में बुरी तरह से हार गए हैं, वे लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ... (व्यवधान) भारत की जनता ने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकारा है। ... (व्यवधान) ऐसा व्यवहार करने से, अभी जो इधर-उधर, दो-तीन राज्यों से ये लोग चुन कर आ रहे हैं, उन राज्यों से भी जनता इनको सत्ता से बाहर फेंक देगी। ... (व्यवधान) ये जो कर रहे हैं, इस तरह से मॉर्फ फोटो ला रहे हैं, इसका मैं पूरा खंडन करता हूँ। ... (व्यवधान) पूरा सदन इसका खंडन करता है। ... (व्यवधान)

सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग सदन में ऐसी फोटो ले कर आए हैं, उन लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज़ अपने आसन पर विराजें और प्रश्न काल चलने दें।

... (व्यवधान)

***WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**

(Starred Question Nos. 222 to 230, 232 to 234 and 236 to 240

Unstarred Question Nos. 2532 to 2540, 2542 to 2550, 2552 to 2563, 2565 and 2566, 2568 to 2572, 2574, 2576 to 2597, 2600 to 2602, 2604, 2606 to 2609, 2611 to 2626, 2628 to 2645, 2647 to 2652, 2654 to 2677, 2679 to 2683, 2685 to 2692, 2694, 2696 to 2700, 2702 to 2706, 2708 to 2711, 2713 to 2723, 2725, 2727 to 2731, 2733 to 2760)

(Page No. 15 to 751)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

11.06 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.01hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिसेज प्राप्त हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है।

...(व्यवधान)

12.02 hrs

At this stage, Shri Gurjeet Singh Aujla, Shri Giridhari Yadav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप कृपया करके बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपसे बराबर अनुरोध किया गया है, स्पीकर महोदय ने भी अनुरोध किया है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लेकार्ड दिखाना उचित नहीं है। आप सब ने सहमति दी है, मिलकर सहमति दी है कि प्लेकार्ड्स नहीं दिखाए जाएंगे, नारे नहीं लगाए जाएंगे।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज़, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप सहयोग कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : सदन की कार्यवाही आज 12 बजकर 30 तक के लिए स्थगित की जाती है ।

... (व्यवधान)

12.03 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

12.30 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

... (व्यवधान)

12.31 hrs

At this stage, Shri Giridhari Yadav, Dr. A. Chellakumar, Dr. M. P. Abdussamad Samadani and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)

**SUSPENSION OF MEMBERS FROM THE SERVICE OF THE HOUSE
UNDER RULE 374**

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, श्री वी. वैथिलिंगम, श्री गुरजीत सिंह औजला, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, एडवोकेट अदूर प्रकाश, डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानि, श्री मनीष तिवारी, श्री प्रद्युत बोरदोलोई, श्री गिरिधारी यादव, श्रीमती गीता कोडा, श्री कास्मे फ्रांसिस्को कोईटानो सर्दिन्हा, श्री एस. जगतरक्षकन, श्री एस.आर. पार्थिबन, डॉ. फारुख अब्दुल्ला, श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत, श्री ए. गणेशमूर्ति, श्रीमती माला राय, श्री पी. वेलुसामी, डॉ. ए. चैल्ला कुमार, डॉ. शशि थरूर, श्री कार्ती पी. चिदम्बरम, श्री सुदीप बन्दोपाध्याय, श्रीमती डिम्पल यादव, श्री हसनैन मसूदी, कुंवर दानिश अली, श्री खलीलुर रहमान, श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन', डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार. एस, श्री संतोष कुमार, श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी, श्री रवनीत सिंह, श्री दिनेश चन्द्र यादव, श्री के. सुधाकरन, श्री मोहम्मद सदीक, डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद, श्री मोहम्मद फैजल पी.पी., श्रीमती साजदा अहमद, श्री जसबीर सिंह गिल, श्री महाबली सिंह, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, श्री सुशील कुमार रिकू, श्री सुनील कुमार, डॉ. एस. टी. हसन,

श्री धनुष एम. कुमार, श्रीमती प्रतिभा सिंह, डॉ. थोल तिरुमावलवन, श्री चन्देश्वर प्रसाद, डॉ. आलोक कुमार सुमन और श्री दिलेश्वर कामैत जी, यह बड़ा अप्रिय प्रसंग है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, यह बड़ा अप्रिय प्रसंग है कि अनेक बार आपसे अनुरोध किए जाने के पश्चात् भी आप निरन्तर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, चेयर की अवहेलना कर रहे हैं। यह वास्तव में किसी को भी प्रसन्न करने वाली बात नहीं है। परन्तु, आपने विवश किया है, बराबर आग्रह के पश्चात् भी आप मर्यादा का निरन्तर उल्लंघन कर रहे हैं। सारा देश हमें देखता है। मुझे विवश होकर इन सब नामों को नेम करना पड़ रहा है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, मैं रेजोल्यूशन मूव करने से पहले एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ।... (व्यवधान) यह सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ।... (व्यवधान) यह सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था कि हम प्लेकार्ड्स, तख्तियां अन्दर नहीं लायेंगे।... (व्यवधान) इसके बावजूद भी, ये तख्तियां लाकर चेयर का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की जनता ने जो मैनडेट दिया है, उसका अपमान कर रहे हैं। ... (व्यवधान) हाल ही में पांच राज्यों के चुनावों में जो इनका हाल हुआ, उसके डेस्प्रिेशन के कारण, पूरे हताश होकर, फ्रस्ट्रेट होकर ऐसे कदम उठा रहे हैं।... (व्यवधान) जनता इनको, जो अभी चुन कर आए हैं, अगर ये लोग ऐसा ही बर्ताव कन्टीन्यू करेंगे तो नेक्स्ट चुनाव में इधर नहीं आएंगे। ... (व्यवधान) मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, स्पीकर के समक्ष ऑल पार्टी लीडर्स की जो बैठक हुई थी, जो बीएसी की बैठक हुई थी, सभी ने स्वीकृति दी थी कि नयी बिल्डिंग, नये सदन में हम तख्तियां लेकर नहीं आएंगे, ... (व्यवधान) वेल में नहीं आएंगे, यह निर्णय हुआ था, ... (व्यवधान) इसके बावजूद भी तख्तियां लेकर आ रहे हैं और स्पीकर का अपमान कर रहे हैं, चेयर

का अपमान कर रहे हैं ... (व्यवधान) सदन का अपमान कर रहे हैं ... (व्यवधान) देश की जनता का अपमान कर रहे हैं ... (व्यवधान) इसीलिए बहुत दुख से हमें यह कार्रवाई करनी पड़ रही है। ... (व्यवधान) यही मैं देश के सामने सदन के द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Arjun Ram Meghwal ji.

.....(Interruptions)

12.37 hrs

MOTION RE: SUSPENSION OF MEMBERS

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE,
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN
RAM MEGHWAL):** Sir, I beg to move:

“That this House, having taken a serious note of the misconduct of Shri VE. Vaithilingam, Shri Gurjeet Singh Aujla, Shrimati Supriya Sadanand Sule, Shri Saptagiri Sankar Ulaka, Adv. Adoor Prakash, Dr. M. P. Abdussamad Samadani, Shri Manish Tewari, Shri Pradyut Bordoloi, Shri Giridhari Yadav, Shrimati Geeta Kora, Shri Francisco Sardinha, Shri S. Jagathrakshakan, Shri S. R. Parthiban, Dr. Farooq Abdullah, Shrimati Jyotsna Charandas Mahant, Shri A. Ganeshamurthi, Shrimati Mala Roy, Shri P. Velusamy, Dr. A. Chellakumar, Dr. Shashi Tharoor, Shri Mohammad Sadique, Dr. M.K. Vishnu Prasad, Shri Mohammed Faizal P.P., Shrimati Sajda Ahmed, Shri Jasbir Singh Gill, Shri

Karti P. Chidambaram, Shri Sudip Bandyopadhyay, Shrimati Dimple Yadav, Shri Hasnain Masoodi, Kunwar Danish Ali, Shri Khalilur Rahaman, Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan', Dr. DNV Senthilkumar S., Shri Santosh Kumar, Shri Dulal Chandra Goswami, Shri Ravneet Singh, Shri Dinesh Chandra Yadav, Shri K. Sudhakaran, Dr. Amol Ramsing Kolhe, Shri Sushil Kumar Rinku, Shri Mahabali Singh, Shri Sunil Kumar, Dr. S. T. Hasan, Shri Dhanush M. Kumar, Shrimati Pratibha Singh, Dr. Thol Thirumaavalavan, Shri Chandeshwar Prasad, Dr. Alok Kumar Suman and Shri Dileshwar Kamait, MPs, in utter disregard to the House and the authority of the Chair, including by display of placards and entering into well of the House and having been named by the Chair, resolve that the above-mentioned Members may be suspended from the service of the House for the remainder of the Session under Rule 374(2)."

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That this House, having taken a serious note of the misconduct of Shri VE. Vaithilingam, Shri Gurjeet Singh Aujla, Shrimati Supriya Sadanand Sule, Shri Saptagiri Sankar Ulaka, Adv. Adoor Prakash, Dr. M. P. Abdussamad Samadani, Shri Manish Tewari, Shri Pradyut Bordoloi, Shri Giridhari Yadav, Shrimati Geeta Kora, Shri Francisco Sardinha, Shri S. Jagathrakshakan, Shri S. R. Parthiban, Dr. Farooq Abdullah, Shrimati Jyotsna Charandas

Mahant, Shri A. Ganeshamurthi, Shrimati Mala Roy, Shri P. Velusamy, Dr. A. Chellakumar, Dr. Shashi Tharoor, Shri Mohammad Sadique, Dr. M.K. Vishnu Prasad, Shri Mohammed Faizal P.P., Shrimati Sajda Ahmed, Shri Jasbir Singh Gill, Shri Karti P. Chidambaram, Shri Sudip Bandyopadhyay, Shrimati Dimple Yadav, Shri Hasnain Masoodi, Kunwar Danish Ali, Shri Khalilur Rahaman, Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan', Dr. DNV Senthilkumar S., Shri Santosh Kumar, Shri Dulal Chandra Goswami, Shri Ravneet Singh, Shri Dinesh Chandra Yadav, Shri K. Sudhakaran, Dr. Amol Ramsing Kolhe, Shri Sushil Kumar Rinku, Shri Mahabali Singh, Shri Sunil Kumar, Dr. S. T. Hasan, Shri Dhanush M. Kumar, Shrimati Pratibha Singh, Dr. Thol Thirumaavalavan, Shri Chandeshwar Prasad, Dr. Alok Kumar Suman and Shri Dileshwar Kamait, MPs, in utter disregard to the House and the authority of the Chair, including by display of placards and entering into well of the House and having been named by the Chair, resolve that the above-mentioned Members may be suspended from the service of the House for the remainder of the Session under Rule 374(2)."

The motion is adopted.

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.38 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.02 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Two Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Shrirang Appa Barne *in the Chair*)

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नम्बर-2, साध्वी निरंजन ज्योति जी ।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) (एक) नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT10617/17/23]

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 से 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT10618/17/23]

(3) (एक) भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT10619/17/23]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, असम राइफल्स, सूबेदार मेजर (इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल), सूबेदार (इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल) और नायब सूबेदार (इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल), समूह 'ख' युद्धक पद, भर्ती नियम, 2023, जो दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.128 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT10620/17/23]

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, टेलर काडर, समूह 'ख' और 'ग' पद, भर्ती नियम, 2023, जो दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.718(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, हेड कांस्टेबल (कुक्, वाशरमैन, बार्बर, वाटर कैरियर एंड सफाई कर्मचारी) समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2023, जो दिनांक 11 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.599(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु परिवहन काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद), भर्ती नियम, 2023, जो दिनांक 2 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.582(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, शिक्षा और तनाव परामर्शदाता काडर (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2023, जो दिनांक 2 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.583(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT10621/17/23]

- (3) विशेष संरक्षा गुप अधिनियम, 1988 की धारा 17 के अंतर्गत विशेष संरक्षा गुप नियम, 2023 जो दिनांक 25 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 388(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 1 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 581(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT10622/17/23]

(5) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सशस्त्र सीमा बल, समूह 'ख' युद्धक (गैर-राजपत्रित) मोटर ट्रांसपोर्ट एंड मैकेनिक काडर पद भर्ती नियम, 2023, जो दिनांक 28 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.151 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सशस्त्र सीमा बल, समूह 'ग' टेक (आर्मामेंट) काडर भर्ती नियम, 2023, जो दिनांक 28 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.152 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT10623 /17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Hon. Chairperson, Sir, on behalf of Shri Pankaj Chaudhary, I rise to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(1) Union Government – Finance Accounts for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT10624/17/23]

(2) Union Government – Appropriation Accounts (Civil) for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT10625/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (KUMARI SHOBHA KARANDLAJE): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (a) (i) Review by the Government of the working of the Maharashtra Agro Industries Development Corporation Limited, Mumbai, for the year 2020-2021.
- (ii) Annual Report of the Maharashtra Agro Industries Development Corporation Limited, Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT10626/17/23]

- (b) (i) Review by the Government of the working of the Karnataka Cashew Development Corporation Limited, Mangalore, for the year 2022-2023.
- (ii) Annual Report of the Karnataka Cashew Development Corporation Limited, Mangalore, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT10627/17/23]

- (c) (i) Review by the Government of the working of the Punjab Agro Industries Development Corporation Limited, Chandigarh, for the year 2021-2022.
- (ii) Annual Report of the Punjab Agro Industries Development Corporation Limited, Chandigarh, for the year 2021-2022,

alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT10628/17/23]

- (d) (i) Review by the Government of the working of the Himachal Pradesh Agro Industries Development Corporation Limited, Shimla, for the year 2021-2022.
- (ii) Annual Report of the Himachal Pradesh Agro Industries Development Corporation Limited, Shimla, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT10629/17/23]

- (e) (i) Review by the Government of the working of the Kerala Agro Industries Corporation Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2017-2018.
- (ii) Annual Report of the Kerala Agro Industries Corporation Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

- (2) Four statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at Item No. (a), (c), (d) and (e) of (1) above.

[Placed in Library, See No. LT10630/17/23]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority, New Delhi, for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority, New Delhi, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority, New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT10631/17/23]

- (4) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Farmers Welfare Program Implementation Society, New Delhi for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
- (5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT10632/17/23]

- (6) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Farmers Welfare Program Implementation Society, New Delhi for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

[Placed in Library, See No. LT10633/17/23]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited, New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT10634/17/23]

- (8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:-
- (i) S.O.5077(E) published in Gazette of India dated 29th November, 2023 notifying specification of Nano Di Ammonium Phosphate fertilizer (liquid) to be manufactured by M/s Zuari Farm Hub Limited in India for a period of three years from the date of publication in the official Gazette.
- (ii) S.O.5078(E) published in Gazette of India dated 29th November, 2023 notifying specification of Nano Urea fertilizer to be manufactured by M/s Zuari Farm Hub Limited in India for a period of three years from the date of publication in the official Gazette.

- (iii) S.O.5079(E) published in Gazette of India dated 29th November, 2023 making certain amendments in the Notification No. S.O.1048(E) dated 3rd March, 2023.
- (iv) S.O.5080(E) published in Gazette of India dated 29th November, 2023 notifying specification of Nano Phosphorus (liquid) to be manufactured by M/s The Energy and Resources Institute in India for a period of three years from the date of publication in the official Gazette.
- (v) S.O.5081(E) published in Gazette of India dated 29th November, 2023 notifying specification of fertilizers, mentioned therein, imported by M/s Fertiq Private Limited in India for a period of one year from the date of publication in the official Gazette.

[Placed in Library, See No. LT10635/17/23]

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Plant Health Management, Hyderabad, for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Plant Health Management, Hyderabad, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.

- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Plant Health Management, Hyderabad, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT10636/17/23]

- (10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Small Farmers' Agri-Business Consortium, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Small Farmers' Agri-Business Consortium, New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT10637/17/23]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT10638/17/23]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (कर्मचारी भविष्य निधि), नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT10639/17/23]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) रेपको बैंक, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) रेपको बैंक, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT10640/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI A. NARAYANASWAMY): Hon. Chairperson, Sir, on behalf of Kumari Pratima Bhoumik, I rise to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (a) (i) Review by the Government of the working of the National Backward Classes Finance and Development Corporation, New Delhi, for the year 2022-2023.
- (ii) Annual Report of the National Backward Classes Finance and Development Corporation, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT10641/17/23]

- (b) (i) Review by the Government of the working of the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur, for the year 2022-2023.
- (ii) Annual Report of the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT10642/17/23]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (i) Memorandum of Understanding between the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India and the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, for the years 2022-2023 and 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT10643/17/23]

- (ii) Memorandum of Understanding between the National Handicapped Finance and Development Corporation and the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice & Empowerment for the years 2023-2024 and 2024-2025.

[Placed in Library, See No. LT10644/17/23]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gurukul Computer Education, Bijnor, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working Gurukul Computer Education, Bijnor, for the year 2021-2022.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT10645/17/23]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Sign Language Research and Training Centre, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Sign Language Research and Training Centre, New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT10646/17/23]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF JAL SHAKTI (ER.
BISHWESWAR TUDU):** Hon. Chairperson, Sir, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Betwa River Board, Jhansi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Betwa River Board, Jhansi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. L10647 /17/23]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Narmada Control Authority, Indore, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Narmada Control Authority, Indore, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT10648 /17/23]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Eastern Regional Institute of Water and Land Management, Tezpur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Eastern Regional

Institute of Water and Land Management, Tezpur, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT10649/17/23]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Water Development Agency, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Water Development Agency, New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT10650/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTINIG (DR. L. MURUGAN):

Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai, for the year 2013-2014.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT10651/17/23]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT10652/17/23]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Press Council of India, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Press Council of India, New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT10653/17/23]

- (5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
- (i) Review by the Government of the working of the National Film Development Corporation Limited, Mumbai, for the year 2022-2023.
- (ii) Annual Report of the National Film Development Corporation Limited, Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT10654/17/23]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT10655/17/23]

- (2) (एक) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT10656/17/23]

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए।

डॉ. भागवत कराड जी।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Sir, on behalf of Shrimati Nirmala Sitharaman, I beg to lay on the Table a copy each of the following notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 38 of the Central Excise Act, 1944:-

- (1) Notification No. 41/2023-Central Excise published in Gazette of India dated 18th December, 2023 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 18/2022-Central Excise, dated the 19th July, 2022 reducing the Special Additional Excise Duty on production of Petroleum Crude from Rs.5000/MT to Rs.1300/MT and increase the Special Additional Excise Duty from NIL/litre to Rs.1/litre on export of ATF.
- (2) Notification No. 42/2023-Central Excise published in Gazette of India dated 18th December, 2023 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 04/2022-Central Excise, dated the 30th June, 2022 reducing the Special Additional Excise Duty from Rs.1/litre to Rs.0.50/litre on export of Diesel.

[Placed in Library, See No. LT10657/17/23]

14.07 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

- (i) “In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 18th December, 2023 agreed without any amendment to the Jammu and Kashmir Reorganisation (Second Amendment) Bill, 2023 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 12th December, 2023.”.
 - (ii) “In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 18th December, 2023 agreed without any amendment to the Government of Union Territories (Amendment) Bill, 2023 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 12th December, 2023.”
-

14.07½ hrs**LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE**

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 18 दिसम्बर, 2023 को सभा में प्रस्तुत अपने 12वें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में उल्लिखित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए।

1.	श्री संजय शामराव धोत्रे	18.09.2023 से 21.09.2023; और 04.12.2023 से 22.12.2023
2.	श्री अतुल कुमार उर्फ अतुल राय सिंह	18.09.2023 से 21.09.2023; और 04.12.2023 से 22.12.2023
3.	श्री अर्जुन लाल मीणा	04.12.2023 से 22.12.2023
4.	श्री अकबर लोन	18.09.2023 से 21.09.2023; और 04.12.2023 से 22.12.2023
5.	श्री सन्नी देओल	02.02.2023 से 13.02.2023; 13.03.2023 से 06.04.2023; और 20.07.2023 से 10.08.2023

क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप अनुमति प्रदान करती है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

माननीय सभापति : अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

14.08hrs**COMMITTEE ON PETITIONS**54th to 61st Reports

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : महोदय, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से गुवाहाटी में एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि करने और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री तोकेही येपथोमी के अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 35वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 54वां प्रतिवेदन।
- (2) विशेष रूप से मेघालय स्थित सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों के कार्यकरण को नियमित करने की आवश्यकता और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री आर. मराक के अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 36वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 55वां प्रतिवेदन।
- (3) मुंबई में इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक के एटीएमों में बढ़ती धोखाधड़ी-एटीएम लेन-देन के लिए प्रभावी रणनीति पुनः तैयार करने की तत्काल आवश्यकता और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री अभिषेक के अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 40वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 56वां प्रतिवेदन।

- (4) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए) में प्रस्तावित संशोधनों और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक मामलों के बारे में सर्वश्री रजनीकांत पी. पटेल और सुधीर साबले तथा श्री संजय बेचन के अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 41वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 57वां प्रतिवेदन।
- (5) नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (राजस्थान) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-3) के अंतर्गत सड़क विकास कार्यों की कथित रूप से मनमाने ढंग से स्वीकृति के बारे में श्री हनुमान बेनीवाल, पूर्व संसद सदस्य, लोक सभा के अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 44वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 58वां प्रतिवेदन।
- (6) बेतूल, साउथ गोवा में प्रशिक्षण संस्थान नामतः पेट्रोलियम सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन संस्थान (आईपीएसएचईएम) के पुनरुद्धार की आवश्यकता के बारे में श्री दीपक शर्मा के अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 45वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 59वां प्रतिवेदन।
- (7) पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों की राशि लौटाने में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, सेबी की कथित मनमानी के बारे में श्री गौरव कुमार सोनी और अन्य के अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 50वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 60वां प्रतिवेदन।

- (8) पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से मेघालय और असम में वन भूमि के अतिक्रमण और उससे संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में श्री फिलिपसन के अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 51वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 61वां प्रतिवेदन ।
-

14.09 hrs

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

91st to 97th Reports

SHRI KHAGEN MURMU (MALDAHA UTTAR): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Government Assurances:-

- (1) Ninety-first Report (17th Lok Sabha) regarding 'Review of Pending Assurances Pertaining to the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Social Justice and Empowerment)'.
 - (2) Ninety-second Report (17th Lok Sabha) regarding 'Review of Pending Assurances Pertaining to the Ministry of Education (Department of Higher Education)'.
 - (3) Ninety-third Report (17th Lok Sabha) regarding 'Requests for Dropping of Assurances (Acceded to)'.
 - (4) Ninety-fourth Report (17th Lok Sabha) regarding 'Requests for Dropping of Assurances (Not Acceded to)'.
 - (5) Ninety-fifth Report (17th Lok Sabha) regarding 'Review of Pending Assurances Pertaining to the Ministry of Railways'.
 - (6) Ninety-sixth Report (17th Lok Sabha) regarding 'Requests for Dropping of Assurances (Acceded to)'.
 - (7) Ninety-seventh Report (17th Lok Sabha) regarding 'Requests for Dropping of Assurances (Not Acceded to)'.
-

माननीय सभापति : श्री कनकमल कटारा जी ।

14.10 hrs

**STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL
HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING**

(i) 66th Report

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित 'देश में मवेशियों में लम्पी त्वचा रोग का फैलाव और उससे संबंधित मुद्दे' विषय के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2023-24) का 66वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

(ii) Statements

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे-की-गई कार्रवाई दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) सहकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 42वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 50वां प्रतिवेदन।
- (2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 51वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 60वां प्रतिवेदन।
- (3) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगे (2023-24)' के बारे में कृषि, पशुपालन और प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 52वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 61वां प्रतिवेदन।
- (4) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशु पालन और डेयरी विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगे (2023-24)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 54वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 63वां प्रतिवेदन।
- (5) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगे (2023-24)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 55वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 64वां प्रतिवेदन।

- (6) सहकारिता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 56 वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 65वां प्रतिवेदन ।
-

14.11hrs

STANDING COMMITTEE ON ENERGY

39th to 41st Reports

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Energy:-

(1) Thirty-ninth Report on 'Action-taken by the Government on observations/recommendations contained in Thirty-fourth Report (Seventeenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of New and Renewable Energy'.

(2) Fortieth Report on 'Action-taken by the Government on observations/recommendations contained in Thirty-fifth Report (Seventeenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of Power'.

(3) Forty-first Report on the subject 'Bio-Energy and Waste to Energy-Recovery of Energy from Urban, Industrial and Agricultural Wastes/Residues and role of Urban Local Bodies in Energy Management'.

14.11½ hrs

**STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY**

52nd and 53rd Reports

श्री संजय सेठ (राँची) : सभापति महोदय, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 52वां प्रतिवेदन।
- (2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में समिति के 47 वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई संबंधी 53वां प्रतिवेदन।

14.12 hrs

**STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION**

37th and 38th Reports

SHRI MITESH PATEL (BAKABHAI) (ANAND): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution (2023-2024):-

(1) Thirty-seventh Report of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution (2023-2024) on the subject – ‘Initiatives in the North-East in the field of Consumer Rights Protection’ pertaining to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs).

(2) Thirty-eighth Report of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution (2023-2024) on the subject – ‘Functioning of Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA)’ pertaining to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

14.12½ hrs**STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS****(i) 45th to 49th Reports**

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर) : सभापति महोदय, मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 42वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 45वां प्रतिवेदन।
- (2) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'कीटनाशी और नाशकजीवमार - सुरक्षित उपयोग सहित संवर्धन और विकास - कीटनाशियों के लिए लाइसेंसों की व्यवस्था' विषय के बारे में 46वां प्रतिवेदन।
- (3) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'सतत फसल उत्पादन और मृदा उर्वरता बनाये रखने के लिए नैनो-उर्वरक' के बारे में समिति के 39वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 47वां प्रतिवेदन।
- (4) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 40वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन।
- (5) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'यूरिया राजसहायता योजना को जारी रखने की आवश्यकता सहित उर्वरक राजसहायता नीति और मूल्य निर्धारण मामले' के बारे में समिति के 44वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई संबंधी 49वां प्रतिवेदन।

(ii) Statement

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर) : सभापति महोदय, मैं उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'बंद और रुग्ण उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार' के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा आगे की गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

14.13½ hrs

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE

150th and 151st Reports

DR. MAHESH SHARMA (GAUTAM BUDDHA NAGAR): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Health and Family Welfare: -

- (1) 150th Report on Action Taken by Government on the Recommendations/ Observations contained in the 137th Report on the Vaccine 12 Development, Distribution Management and Mitigation of Pandemic Covid-19.
 - (2) 151st Report on Implementation of Ayushman Bharat.
-

14.14 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 29th Report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development *

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) : सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूँ ।

—————

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10615/17/23.

14.14½ hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 20th Report of the Standing Committee on Water Resources on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS AND

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF JAL SHAKTI (ER.

BISHWESWAR TUDU): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 20th Report of the Standing Committee on Water Resources on Demands for Grants (2023-2024)

pertaining to the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10616 /17/23.

14.15 hrs**MATTERS UNDER RULE 377***

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गयी है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

(i) Regarding setting up of an AIIMS in Solapur, Maharashtra

डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी (शोलापुर): सोलापुर शहर एक वस्त्र उद्योग एवं तीर्थ नगरी के रूप में समुचे देश में सुप्रसिद्ध है। यह शहर कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना राज्य से सटा हुआ है। दक्षिण भारत प्रवेश का महाद्वार के रूप में जाना जाता है। सोलापुर वस्त्र उद्योग नगरी होने के कारण कुशल बशर्ते मध्यम वर्गीय परिवार की संख्या अधिक है।

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से सटा हुआ होने के कारण इन राज्यों के हजारों मरीज वैद्यकीय उपचारों के लिए सोलापुर में आते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार होने के कारण अधिक पैसा खर्च करना संभव नहीं होता, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। यदि सोलापुर में एम्स का निर्माण होता है तो महाराष्ट्र के लातूर, उस्मानाबाद शहर के साथ ही साथ कर्नाटक आंध्र और तेलंगाना राज्य के मरीजों के भी इसका लाभ मिल जाएगा। अतः माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूं कि मेरे संसद क्षेत्र सोलापुर शहर में एम्स का निर्माण करे और गरीब मजदूर लोगों को उचित सुविधा देने की कृपा करें।

* Treated as laid on the Table.

(ii) Need to channelise the water of Udanti river to reservoirs in Deobhog block in Gariaband district of Chhattisgarh

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला में विलुप्त हो रहे वन्य प्राणियों की संरक्षण हेतु उदंती नदी के पानी को डायवर्सन करके मैनपुर, देवभोग विकास खण्ड के अंतर्गत गर्मी के दिनों में सूख जाने वाली जलाशयों में पहुंचाना अति आवश्यक है। वन विभाग द्वारा गर्मी के दिनों में वन्य प्राणियों को पीने की पानी उपलब्ध कराने हेतु उक्त उदंती नदी में छोटे-छोटे गडढे खोदे जाते हैं, जिसे स्थानीय बोली में झरिया कहा जाता है। उक्त झरिया में शिकारियों द्वारा वन्य जीवों के शिकार हेतु जहरीले पदार्थ मिला दिया जाता है और उस जहरीले पानी के पीने से अनेकों वन्य प्राणियों जैसे वन भैंसा, तेंदुआ, मोर आदि की मौत हो जाती है।

अतएव उक्त नदी से डायवर्सन के माध्यम से सूखे जलाशयों को भरा जावे, ताकि वन्य प्राणी को स्वच्छ पानी पीने हेतु मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। अतः सरकार से गुजारिश है, कि उक्त गंभीर विषय को संज्ञान में लेकर समस्या के समाधान हेतु शीघ्र विभाग को निर्देशित करने की महान कृपा की जावे।

**(iii) Need to grant environmental clearance to the pending projects
in Mumbai**

श्री गोपाल शेटी (मुंबई उत्तर): देश की विशेषतः मुंबई महानगर के निर्माण संबंधी अनेकों परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति न मिलने की वजह से अधर में पड़ी रहने की वजह से विकास कार्य अवरूद्ध हो रहा है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति न मिलने के परिणामस्वरूप विकास संबंधी निर्माण कार्यों पर विपरीत असर पड़ता है। अतः लंबित पड़ी परियोजनाओं को एक निश्चित समय पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

दूसरे, मैं यह तथ्य भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि विशेषतः मुंबई महानगर में निर्माण संबंधी परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण में जन-प्रतिनिधि की उपेक्षा कर आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट को अधिक महत्व दिया जा रहा है, जो उचित नहीं है तथा प्रायः यह भी देखने में आया है कि निर्माण संबंधी परियोजनाओं में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किए जाने पर दोषियों के विरुद्ध केवल धन का जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसमें धन के जुर्माने के साथ-साथ दंडात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रावधान किए जाने की भी जरूरत है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त विषय पर समुचित कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

**(iv) Regarding establishment of a Flood Early Warning System in Sirsa
Parliamentary Constituency**

SUSHRI SUNITA DUGGAL (SIRSA): Ghaggar river flows through my Parliamentary constituency, which touches upon 87 villages (49 in Sirsa, 38 in Fatehabad). It has been a source of sustenance for our agrarian community. However, it has also proven to be a cause of concern due to the recurring threat of flooding. In the light of recent events, it has become evident that our constituency lacks a crucial tool to mitigate the impact of floods – a Flood Early Warning System. I propose the urgent establishment of a Central Water Commission (CWC) flood forecasting model based on rainfall-runoff modelling. This system provides a 5-day advance advisory, offering valuable lead time to local authorities for planning evacuation procedures and implementing remedial measures. It is to be noted that while the state of Haryana has two flood forecasting sites located in Karnal and Yamunanagar districts and total of 338 across country, my parliamentary constituency in Sirsa remains devoid of such a vital resource. I urge upon the Hon'ble Minister to prioritize the establishment of a Flood Early Warning System in my constituency. By doing so, we can significantly enhance our preparedness and response capabilities, ensuring the safety and security of our constituents due to recurring floods.

**(v) Regarding opening of an International level Research and
Development Training Centre for glass industry in Firozabad
Parliamentary Constituency**

डॉ. चन्द्र सेन जादौन (फिरोजाबाद): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि फिरोजाबाद कांच उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में एक अपना अलग स्थान रखता है। यहां के कांच उत्पाद एवं चूड़ियां विश्व के देशों में कोने-कोने तक भेजे जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि कांच उद्योग को विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पर रखने के लिए एक विश्व स्तरीय रिसर्च एवं अनुसंधान केंद्र तथा ट्रेनिंग सेंटर के रूप में सेंटर आफ एक्सीलेंस वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), आईआईटी, (बीएचयू) वाराणसी के सेरेमिक एवं मेटालर्जी डिपार्टमेंट तथा लघु उद्योग मंत्रालय भारत सरकार एवं कमर्स मिनिस्ट्री भारत सरकार मिलकर खोले जाने की पहल करें।

(vi) Regarding running and stoppage of trains in Kalaburagi railway station

DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA): I would like to bring it to the notice of the government that the below mentioned agenda have been asked by me since last four year. These below mentioned request are very important for the overall development of Kalaburagi region. 1. Merger of Wadi-Kalaburagi-Tajsultanpur/Bablad with South Centra IRailway 2. New Train Between Kalaburagi to Bangalore 3. Introducing Vande Bhuarat between Kalaburagi to Bangalore 4. Solapur Mumbai Vande Bharat Extension upto Kalaburagi 5. Bidar Kalaburagi Demu Train Extension upto Wadi 6. New Train between Kalaburagi to Mumbai 7. New Train between Kalaburagi to Aurangabad 8. Restarting of Kalaburagi Hyderabad Intercity Express 9. Restarting of Solapur Kalaburagi Guntakal Demu Daily 10. Falaknama Wadi Kachiguda Express upto Kalaburagi 11. Kalaburagi Railway station Third Entrance on old Jewargi Road to reduce the passenger movements on main entrance 12. Update on using Hotgi Bypass by Passenger Train 13. Stoppage of train at Shahabad Station 22157/22158 Mumbai Mail 22732/31 Mumbai Hyderabad Express 17029/17030 Vijayapura Hyderabad Exp 11020/11019 Konark Express 22159/22160 Chennai Mumbai Express 14. Stoppage of Trains at Kamalapur Railways Station: 07413/07414 Jalna Tirupati Special Express 01435/01436 Solapur LTT Special 01437/01438 Solapur Tirupati Special express 15. Stoppage of Trains Number 07003/07004 at Chittapur Railways Station 16. Stoppage of Trains at Malkhed Road (MQR) Station 16593/16594 Nanded Link

Exp 12701/12702 Hussain Sagar Express. I request the Minister of Railways to fulfil the above-mentioned demands of my Parliamentary Constituency.

(vii) Regarding alleged discrepancies in Delhi Jal Board's financial statements

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): Delhi Jal Board's last available accounts from 2017-18 are riddled with errors and inconsistencies as identified by the CAG, indicating financial fraud and misappropriation. DJB had 477 accounts until March 2018. Astonishingly, 111 bank account balances were absent from the 2017-18 accounts. The CAG reported discrepancies in DJB's financial statements provided to them. Statements showed zero balances in 13 bank accounts holding ₹4.42 crore, and ignored ₹7.05 crore in five other accounts, suggesting fraud or misappropriation. Rs 1601 crore of funds released under capital heads are showing as unspent in the book of accounts of DJB but the actual money is not available in the bank accounts. Payments and Deposits worth Rs.300.42 Cr were not added to the tally accounting software. Works have deviated from schemes for which funds are allocated. Funds allocated for large capital works have been spent on more than 12,000 small repair works, without authorisation. Due to a lack of oversight, alleged fake billing and theft of funds are likely to have happened in the financial year 2012-13, five water tanker supply projects were initially budgeted at ₹637.23 crore, but their costs have since escalated to ₹853.20 crore. No explanation for the Rs. 215.97 crore difference has been given.

(viii) Regarding construction of a Railway Overbridge at Raiganj in Uttar Dinajpur district of West Bengal

SUSHRI DEBASREE CHAUDHURI (RAIGANJ): I would like to draw the kind attention of the Hon'ble Minister of Railways towards the need for construction of a ROB at Raiganj Town, District Uttar Dinajpur, West Bengal. Manned level crossing is working at Mohanbati towards M G Road which is the main level crossing of Town Raiganj, District Uttar Dinajpur, West Bengal. As Indian Railways has embarked on a mission to eliminate manned level crossing to improve mobility and safety in train operations. This route is a busy one and local people use this level crossing as the major crossing point of Railways. The people, especially patients, are also facing great difficulties due to frequent closing of this manual crossing. The people of my Raiganj Parliamentary Constituency request for construction of a ROB at this place urgently. I urge upon the Hon'ble Railway Minister to consider the construction of a ROB at Raiganj Town, District Uttar Dinajpur, West Bengal for the benefit of the people.

**(ix) Need to lay underground electric cables in the surroundings of
Parkota in Jaipur Parliamentary Constituency**

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): मेरा संसदीय क्षेत्र जयपुर, राजस्थान की राजधानी है जिसका चयन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 में शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के प्रथम चरण में किया गया था। स्मार्ट सिटी योजना के तहत जयपुर में अनेक प्रकार के विकास कार्य हुए हैं। जयपुर शहर का परकोटा जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यहां कई स्मारक एवं पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल स्थित है जिन्हें देखने लाखों पर्यटक देश-विदेश से जयपुर आते हैं। परकोटे में जगह-जगह पर बिजली के तारों के जाल झूल रहे हैं। जिससे आमजन की सुरक्षा को तो खतरा है साथ ही राज्य की राजधानी जयपुर का सौंदर्य भी खराब हो रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पहले भी बिजली के तारों को अंडर ग्राउंड करने का कार्य शुरू किया गया था पर आज तक कार्य पूरा नहीं होने से असुविधा एवं सौन्दर्यता को दृष्टिगत रखते हुये पर्यटन पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत जयपुर शहर के परकोटे में बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करवाने का श्रम करावें।

(x) Regarding setting up of Eklavya Model Residential Schools (EMRS) in Raichur

SHRI RAJA AMARESHWARA NAIK (RAICHUR): Eklavya Model Residential Schools (EMRS) were introduced to ensure that tribal students get access to quality education in the remote tribal areas. EMRSs are set up in States/UTs with grants under Article 275(1) of the Constitution of India. Government approved to open EMRS in every block having more than 50% ST population or at least 20,000 tribal persons. My Parliamentary Constituency consists of Raichur and Yadgir Districts, which were considered as the most backward Districts in Karnataka and have got special status under Article 371J. These are included into the Transformation of Aspirational Districts programme. In Raichur, Lingasugur Block has more than 90% ST population and due to lack of education facilities, children are unable to get educated. Nearly 30 acres of Government land in survey No.54 of Guntagola village has earmarked for said purpose by the State. Hunasagi Block of Yadgir District also has similar ST population and there is huge public demand for sanction of ECMRS. Therefore, I demand for setting up ECMRSs in Guntagola village of Lingasugur Block, Raichur and Hunasagi Block, Yadgir at the earliest on priority basis to provide affordable quality education to the ST population of my constituency so that actual empowerment of marginalized scheduled tribes may happen.

**(xi) Regarding early completion of the railway line in Bargarh district
in Odisha**

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): Padampur subdivision in the district of Bargarh in Odisha is a draught-prone area, without a single Industry, but has the famous and historical temple of 'Nrusinghnath' in Paikmal for which pilgrims throng into the area from Odisha, Chhattisgarh, and other States for its natural beauty of flora and fountain and the holy Temple. There has been no development in this region during the last 75 years after independence. Even the demand of a separate district is also not being addressed by the Government. I thank the Hon'ble Prime Minister Sri Narendra Modi Ji and Hon'ble Minister of Railways, Sri Ashwini Vaishnaw as the people of the Padampur area will see the Train for the first time in their life as the only project of development in that area. Unfortunately, the State Government which is entrusted with the preparation of data base and other ancillary work including the acquisition of land is helplessly slow as a result of which the dream of the people is eluding them from seeing the Rail in their life time. Therefore, I request the Minister of Railways to take up the matter with the State Government for the early initiation and early completion of the project.

(xii) Need to extend the Bilaspur – Hapur train to Dwarka and Raipur

श्री मोहनभाई कुंडारिया (राजकोट): मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान बिलासपुर-हापा ट्रेन के खाली रैक की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बिलासपुर-हापा ट्रेन नं 22939 / 22940, हापा पहुंचने के बाद खाली रैक को अब मेंटेनेंस के लिए ओखा भेजा जा रहा है। यह रैक मेंटेनेंस के बाद ओखा से हापा तक खाली लौटता है, और आगे हापा-बिलासपुर एक्सप्रेस बनकर चलती है। हर साल, 'वैष्णव' संप्रदाय के हजारों भक्त चंपारण (रायपुर के पास) के पवित्र स्थान पर यात्रा करते हैं। इसी तरह, भगवान कृष्ण के अनेक भक्त चंपारण से देवभूमि द्वारका आते हैं। इस ट्रेन को द्वारका एवं रायपुर की और विस्तार से भक्तगणों के साथ साथ आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी लाभ होगा। अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूँ, की वे इस मामले में जनहित में जल्द से जल्द यह बिलासपुर-हापा ट्रेन को द्वारका एवं रायपुर की और विस्तार करने का निर्देश दें। धन्यवाद।

(xiii) Regarding estimated budget of AMRUT 2.0 Yojana including delays and the lapses in the implementation of the scheme

SHRI ANURAG SHARMA (JHANSI): The Cabinet has approved the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0 (AMRUT 2.0) up to 2025-26 in October 2021 as a step towards Aatma Nirbhar Bharat. As per the 2011 census, 31% (377 million) of India's population were living in urban areas, and by 2050 more than 50% of India's population is estimated to be urban. Urbanisation is the process of growth of cities (either through a natural increase in population, migration, or physical expansion). This visionary project will be incomplete without mentioning the efforts and good intention of our Hon'ble Prime Minister. Therefore, I urge upon the Government to identify the contributing factors to the issues observed in the estimated budget of AMRUT 2.0 Yojana, including delays and time lapses. Till date, it has not reached the saturation of the aimed project.

(xiv) Need to undertake doubling of Lucknow- Sitapur Railway Line

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): मैं अपने संसदीय क्षेत्र जनपद सीतापुर (उत्तर प्रदेश) की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ की लखनऊ से सीतापुर तक बड़ी रेल लाईन (ब्रॉड गेज) बना हुआ है, जिस पर मुम्बई और कोलकाता की ट्रेने प्रतिदिन चलती हैं। रेल लाईन का दोहरीकरण न होने के कारण ट्रेनों को क्रॉस कराने के लिए विभिन्न स्टेशनों पर रोकना पड़ता है, जिससे रेल की गति प्रभावित होती है।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से माँग करता हूँ की जनहित मे लखनऊ - सीतापुर रेल लाईन का दोहरीकरण कराने हेतु निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें । जिससे ट्रेनों का आवागमन सुचारु रूप से हो सके।

**(xv) Regarding establishment of CNG stations and supply of CNG in
Badaun Parliamentary Constituency**

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं): मैं अपने लोकसभा क्षेत्र बदायूं के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, हमारी लोकसभा बदायूं में पेट्रोल पंप पर सीएनजी स्टेशन लगाने का कार्य एचपीसीएल (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन) द्वारा किया जा रहा है। एचपीसीएल द्वारा पेट्रोल पंपों पर सीएनजी स्टेशन पहले स्वयं की कंपनी के पेट्रोल पंपों पर किया जाता है अन्य कम्पनियों बीपीसीएल व आईओसीएल की कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर सीएनजी स्टेशन पर बहुत कम लगाए जा रहे हैं व कार्य भी बहुत शिथिलता के साथ किया जा रहा है। अन्य कम्पनियों के जिन पेट्रोल पंपों पर सीएनजी स्टेशनों की स्थापना हो चुकी है वहा सीएनजी भी एचपीसीएल द्वारा बहुत कम मात्रा में उपलब्ध कराई जाती है जिससे आम जनमानस जिस पर सीएनजी वाहन है उनको अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः जनहित को ध्यान में रखते हुए बदायूं में सीएनजी की आपूर्ति बढ़ाने को एचपीसीएल को निर्देशित करने व बीपीसीएल, आईओसीएल पंपों पर सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का कष्ट करें जिससे बदायूं को लोगो को दिक्कत का सामना न करना पड़े।

(xvi) Need to improve the early warning system and provide real time updates during cyclones or floods, especially in coastal areas

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): As per Government data, India remains the worst flood-affected country in the world, accounting for one-fifth of the global death count due to floods. Depression and Cyclonic Storms in Coastal States like Andhra Pradesh also cause frequent flash floods. Due to climate change, an increase in the frequency of these hazards, timing and severity is projected, according to a report by the International Institute for Environment and Development (IIED). In such a scenario, an effective warning system is needed, as highlighted by NITI Aayog, which recommended a “focus on scientific research in the development of a model-based system to forecast flash flood with sufficient lead time”. Our current Flash Flood Guidance System can only provide warnings about 6 hours-24 hours in advance. A more robust system is needed to forecast floods at least 48-72 hours beforehand. Coastal areas are facing additional challenges of weak signal strength, power outages, and damaged communication networks that hinder effective communication during these critical times. Therefore, I request the Government to improve our early warning systems and take steps to ensure last-mile coverage to disseminate early warnings, coordinate evacuation efforts, and provide real-time updates during cyclones or floods, especially in coastal areas.

(xvii) Need to accord approval to the proposal of Government of Maharashtra for exclusion of Kalhat and Nigde villages from Eco-sensitive zone

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): मैं सरकार का ध्यान मेरे मावल लोकसभा क्षेत्र के कल्हाट और निगड़े गांवों से संबंधित महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूँ ये दोनों गांव, मुख्य रूप से कम आय वाले परिवार खेती पर निर्भर और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं जबकि इन गांवों के निवासियों की आर्थिक स्थिति को उच्चस्तर करने और इनके विकास को बढ़ावा देने के लिए तलेगांव औद्योगिक क्षेत्र चरण संख्या-4 में शामिल करने हेतु इन गांवों के आसपास औद्योगिक स्थापना की योजनाएं चल रही हैं यह गाँव, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में होने से औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की बाधा उत्पन्न हो रही है। इन गांवों को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में बदलने हेतु एक प्रस्ताव 13 दिसम्बर 2021 को केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विभाग को भेजा है।

अतः मैं कल्हाट और निगड़े गांवों को इको-सेंसिटिव जोन से बाहर करने के राज्य-सरकार के प्रस्ताव पर अति-तत्काल मंजूरी दिए जाने की मांग करता हूँ।

(xviii) Regarding exemption of BIS norms on the products of footwear industry in Andhra Pradesh

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): I would like to raise an important issue regarding problems being faced by MSMEs in the footwear industry in Andhra Pradesh in light of the Quality Control Orders making BIS standards compulsory for all footwear. Though the footwear industry is not against implementing quality standards, they believe that the current standards are unscientific, subjecting low-cost footwear to the same stringent standards as that for premium branded products. For instance, the standard is the same for an affordable Injection-mould PVS shoe and costly sports shoes made by multinational companies. More than 75% of the Indian footwear industry is in the Unorganized Sector. More time is needed for BIS to build sufficient infrastructure for testing and ensure the availability of suitable raw materials for smaller units. Otherwise, they will be driven to closure, leaving behind only a handful of organized enterprises and MNCs in this sector. I urge upon the Minister of Commerce and Industries to extend the exemption period for Micro and Small units producing footwear costing below Rs. 1000. Moreover, I urge upon the Hon'ble Minister to conduct further consultations with MSMEs so that corrections can be made in the standards to broadly cover product category, product price, process of manufacturing, and raw material.

**(xix) Regarding permission for sale and purchase of land by non-tribals
in Bodoland Territorial Council**

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार): मेरे क्षेत्र में कोविड से पहले चलने वाली ट्रेनों को गोसाई गांव, चौतारा, श्रीरामपुर, सालाकाटी तथा बिजनि स्टेशनो में रोक दिया गया था। साथ ही रंगिया में राजधानी 12424/20504 ट्रेन हजार अनुरोध करने के बाद भी नहीं रोकते। लोगों में आक्रोश है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें भी मजबूरन इस मुहीम में शामिल होना पड़ेगा। साथ ही BTR एकाॅर्ड के मुताबिक बीटीसी से गांव इंकलूड और एक्सक्लूड करने के लिए बाउंडरी कमिशन का गठन किया गया था। उसकी समय सीमा पूरी हो गई लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं की गई है। फिर भी गांव इंकलूड हो रहे हैं, लेकिन एक्सक्लूड नहीं हो रहे हैं। क्योंकि बीटीसी छठी अनुसूची होने के नाते नॉन बोडो लोगों को अपनी जमीन खरीदने का, बेचने का और अपना नाम दर्ज करने का मौका भी नहीं है। मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि इस विषय पर अपना हस्तक्षेप करें।

(xx) Regarding inclusion of Padalse Project under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana and operationalisation of Seven Balloon Project

SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): The Padalse Project on the Lower Tapi will provide irrigation and drinking water supply to nearly 60 villages in Amalner taluka and Jalgaon and Dhule districts. Seven Balloons Barrage project on Girna River is crucial for catering to the drinking water supply and irrigation in Jalgaon. Construction of seven Barrages with smart pneumatically operated weirs/Balloon Weirs has been given fourth revised administrative approval costing Rs. 4890 crore by the Government of Maharashtra. Farmers of North Maharashtra region have been suffering due to drought for decades. Now, despite being one of the leading cotton and banana producers in the country. This is an ambitious project that will benefit 43, 600 hectares of Amalner and Chopra talukas by irrigating 17 TMC of water. In order to reduce the time required for this project, it will be commissioned in two phases. I request the Government to include Padalse Project under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana and operationalize Seven Balloon project at the earliest which will benefit farmers and citizens in Chalisgaon, Amalner, Dharangaon, Bhadgaon, Pachora and Jalgaon and also address the problem of lack of irrigation and water supply which has caused heavy financial and emotional distress to the farmers in my constituency.

14.16 hrs**NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LAWS (SPECIAL PROVISIONS) SECOND (AMENDMENT) BILL, 2023 ***

माननीय सभापति : आइटम नंबर 29 माननीय मंत्री जी ।

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I rise to move:

“That the Bill further to amend the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011, be taken into consideration.”

सभापति महोदय, इस बिल के बारे में मैं थोड़ी कॉन्टेक्ट सेटिंग करना चाहूंगा। वर्ष 1947 में दिल्ली शहर की आबादी 8 लाख थी। जब हमारा पहला सैंसेस वर्ष 1951 में आजादी के बाद हुआ तो दिल्ली की जनसंख्या 8 लाख से बढ़कर 17 लाख 45 हजार के करीब पहुंच गयी। There was a massive demographic shift of population to Delhi as a result of the partition. उसके बाद दिल्ली की आबादी बढ़ती गयी और वर्ष 1991 में दिल्ली की जनसंख्या 94.2 लाख के करीब थी। वर्ष 2001 में यह 1 करोड़ 38 लाख हुई और जो हमारा पिछला और लेटेस्ट सैंसेस वर्ष 2011 का है, उसके हिसाब से यह 1.6 करोड़ है। सर, क्योंकि सैंसेस में महामारी के कारण थोड़ी देरी हो गयी और हमारी सैंसेस फिगर्स अगले एक साल के अंदर उपलब्ध होंगी तो हो सकता है कि यह दो करोड़ से ज्यादा हो और ढाई करोड़ के आस-पास भी हो सकती है। आने वाले समय में, अगले 12-13 वर्षों में जो हमारे सरकारी एस्टीमेट्स हैं, उसके अनुसार दिल्ली की जनसंख्या by 2036, it could even reach between 2.5 crore and 3 crore.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 19.12.2023.

I am presenting a Bill. The situation is that Delhi in many ways is a *sui generis* situation; it is both the Capital city of India and also a big cosmopolitan city, and it is one of the major engines of growth insofar as economic activity is concerned.

What has happened over a period of time is that because there has been a large influx of populations from rural areas, semi-rural areas, tier-II and tier-III cities in Delhi, there has been a fairly substantial amount of unauthorised building activity, there have been encroachments resulting in a situation that, by 2006, on account of directives from the apex court, Delhi High Court and the Supreme Court, a process of sealing and demolitions commenced. The then Government in 2006 deemed it fit to bring a law which would provide protection against the sealing and demolition etc. Between 2006 and 2011, these laws were passed on an annual basis. To deal with these problems of encroachment on public land, growth of slums, unauthorised colonies, and commercialisation of residential areas, there were attempts made by the previous Governments, specifically by the Governments in 1961, 1977, 2008 and 2012. But these attempts considering the nature of the problem and the extent of the problems were small and modest, and the problem remained largely unaddressed.

I must introduce a word of caution here. Sir, issues relating to the growth of slums and unauthorised colonies or for that matter encroachments cannot be dealt through inhuman orders or mass demolition and sealing. Therefore, the then Government in 2006 thought it fit to bring in a law to provide

protection against such activities for one year. वर्ष 2006 और वर्ष 2011 के बीच, this protection was approved by the House year after year. From 2011, three years' extensions were sought. We were hoping that the Governments of the day would address the issue of unauthorized colonies in a systemic way because when influx of populations took place, a large number of people came in for a variety of reasons. Maybe because of the poverty of our policies, people started just occupying available land, cutting colonies and making those available. When we approached the Government of the National Capital Territory of Delhi, we were told कि इस पर काम हो रहा है और हम वर्ष 2014 के बाद इसी विश्वास में रहे, लेकिन जब हमें लगा और वर्ष 2019 में हमें बताया गया कि अभी दिल्ली की सरकार को जो सर्वे करवाने थे, चूँकि इस समस्या को कानून में बदलने की पॉलिटिकली दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनती थी। वर्ष 2019 में हमें यह बताया गया कि इनको वेरीफिकेशन और काम कंप्लीट करने में और दो साल लगेंगे तो उस समय माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह निर्णय लिया। यूनियन कैबिनेट ने 23 अक्टूबर, 2019 को यह हिस्टोरिक डिसीजन लिया और हम प्रधान मंत्री अनअथॉराइज्ड कॉलोनीज़ दिल्ली आवास अधिकार योजना, 'पीएम उदय' लेकर आए।

सर, वर्ष 2019 में हम यह कानून लेकर आए और इसके तहत कुछ काम शुरू हुआ, but almost immediately we had to face the pandemic. मार्च 2020 से लॉकडाउन शुरू हुआ और वह वर्ष 2020 से वर्ष 2021 तक रहा। यह जो स्कीम लाई गई है और इस पर जो काम हुआ है, उसके तहत हमारा असेसमेंट है कि अनअथॉराइज्ड कॉलोनीज़ में जो हमारे भाई-बहन रहते हैं, वे लगभग 40 से 50 लाख के बीच हैं। अगर वहां पर 40 लाख की जनसंख्या है तो हमें रजिस्ट्रेशन 8 से 10 लाख के बीच में चाहिए। अभी तक 4 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। Around 1,17,340 households' applications have been received. Authorization Slips/Conveyance Deeds have been issued to 20,881 households. So, clearly

more needs to be done. हमने इसके लिए 'पीएम उदय मित्र' नाम से एक स्कीम बनाई है। पहले हर हफ्ते हमारे यहां 200 के करीब डोर टू डोर एफर्ट से कन्वेयंस डीड्स/ ऑथराइजेशन स्लिप्स इश्यू हो रहे हैं। उसके कारण अब प्रतिमाह उनकी संख्या 200 से बढ़कर 350 तक हो रही हैं। Development norms required for unauthorized colonies under the Master Plan of 2021 have also been notified in March, 2022. We expect this to trigger development of the colonies under In-Situ rehabilitation of JJ clusters. Out of these 675 JJ clusters in Delhi, 375 are of the DDA, और जो In-Situ स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स हैं, Kalkaji Extension has been completed and 3,024 EWS flats have been handed over. दो-तीन और कॉलोनीज़ हैं – जेलर वाला बाग, अशोक विहार, कठपुतली कॉलोनी तथा शादीपुर। These are in various stages of construction and completion. Very soon, दिल्ली में प्रधान मंत्री आवास योजना का जो सीएलएसएस वर्टिकल मिशन है, उसके तहत लगभग 30 हजार बेनिफिशरीज़ हैं। They have availed of loans of about Rs. 693 crore as interest subsidy. सर, इस लॉ से जो हमें प्रोटेक्शन मिलती है, which is available till 31st December, we clearly need to extend that for another three years.

This is because otherwise, the population of Delhi which is vulnerable would be liable for sealing, demolitions and displacements. In addition, the final stages of notifying the Master Plan, 2041 has been reached. DDA and MCD are also required to adopt measures to finalise norms, policy guidelines, feasible strategies for making orderly arrangements to deal with the problem of encroachments and unauthorised colonies. ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। My Ministry, the Ministry of Housing and Urban Affairs, has been in dialogue with

the stakeholders to monitor the progress and different actions taken under the 2011 Act.

Therefore, I come before the House to seek approval to extend this protection by another three years, that is from 1st January, 2024 till 31st December, 2026. I submit and I place this Bill for approval by the House.

Thank you.

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि माननीय मंत्री जी माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एक सेंसिटिव मुद्दा लाए हैं। इन्होंने 40 लाख लोगों की चिंता की है। पिछले 25-30 सालों से उनके ऊपर एक तलवार लटक रही थी, उससे निजात दिलाने के लिए, जब तक वर्ष 2014 का मास्टर प्लान नहीं आएगा, तब तक के लिए उनको सुरक्षा देने के लिए The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2023 सदन में लाया गया है। मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं इसका समर्थन भी करता हूँ।

मैं आपके माध्यम से सदन और दिल्लीवासियों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। केन्द्र सरकार हरदीप सिंह पुरी जी के नेतृत्व और माननीय मोदी जी के डायरेक्शन में पीएम उदय योजना के माध्यम से लगभग दो-ढाई लाख लोगों ने अपनी रजिस्ट्री करा मालिकाना हक ले लिया है। कुछ लोगों को यह लगने लगा है कि मोदी साहब जो कहते हैं, वह गारंटी पूरी होती है। वे लापरवाही में रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। परंतु इसके अलावा भी दिल्ली सरकार का बजट 78 हजार करोड़ रुपए है। केन्द्र सरकार ने निगम और डीडीए के माध्यम से लगभग एक लाख हजार करोड़ रुपए पिछले ढाई-तीन सालों में दिल्ली के विकास के लिए खर्च किये हैं। जैसे अमृत योजना इसमें केन्द्र से बजट

जाता है। जिससे कॉलोनियों में सीवेज डलती है, नाले बनते हैं। उसमें 802 करोड़ रुपए की 44 योजनाएं चलाई जा रही हैं। मैं उनके लिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, हरदीप सिंह पुरी जी को धन्यवाद दूंगा। जब हम इनके पास योजनाओं को लेकर जाते हैं तो ये उन्हें तुरंत सैंक्शन करके दिल्ली सरकार को पैसा देते हैं। उसमें पांच लाख, 83 हजार जो लाइटें थीं, जिनमें बिजली ज्यादा कंज्यूम होती थी, वहां एलईडी लाइट लगाने का काम हुआ है।

हमारा शहरी विकास मंत्रालय अमृत-2.0 योजना लेकर आया। अमृत 2.0 में 2,885 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें 38 परियोजनाएं चालू हैं। इसमें जलाशयों का भी ब्यूटिफिकेशन शामिल है। माननीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हर लोक सभा क्षेत्र में ऐसे 75 जलाशय होने चाहिए, जिससे पानी का वाटर लेवल बढ़े और वातावरण स्वच्छ रहे। हमारे जौनापुर, भीम कॉलोनी में भी इस प्रकार के जलाशय का निर्माण हुआ। ऐसे तीन और जलाशयों का निर्माण केन्द्र सरकार के माध्यम से हुआ है।

स्वच्छ भारत मिशन में भी 61 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिनमें से 28,526 लोगों को ओपेने डेफिकेशन से बचने के लिए सीटीपीटी, जैसी शौचालयों का निर्माण राजधानी दिल्ली में पिछले सात सालों में कराया गया है। 107 वेस्ट टू कम्पोज प्लांट्स लगाने का काम केन्द्र सरकार की इस योजना से डीडीए और एमसीडी के माध्यम से हुआ है। पांच वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स आनंदमयी मार्ग पर लगे हैं, जिसका उद्घाटन करने के लिए माननीय गृह मंत्री गए थे। 342 करोड़ रुपए का जो गारबेज निकलता है, उससे बिजली बनाने के काम के लिए ये पांच प्रोजेक्ट्स भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली में लगाए हैं। 51 एसटीपी प्लांट्स लगे हैं, जो 21,563 एमएलडी कचरे को कंज्यूम करते हैं और वे काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रमुख रूप से अनाथ आश्रय बने हुए हैं, रात में गरीबों के रहने के लिए रैन सेंटर्स 216 बनाए गए हैं, वे 410 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं। वे भी दिल्ली में काम कर रहे हैं। ये केन्द्र सरकार के माध्यम से बनाए गए हैं। यहां बाहर से लोग आते हैं। बसे हुए लोगों को लगता होगा कि यहां विकास के कार्य कैसे हो रहे हैं? चूंकि, इनमें केन्द्र सरकार की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है।

मैं स्वनिधि योजना की जानकारी देना चाहता हूँ। रेहड़ी, पटरी, खोमचा लगाने वाले गरीब आदमी, चाय की दुकान, ब्रेड की दुकान लगाने वाले, जिसका कांग्रेस के लोगों ने मजाक उड़ाया था कि पीएम साहब ब्रेड पकौड़े की दुकान नौजवानों से खुलवाना चाहते हैं।

ऐसे लोगों के लिए 199 करोड़ रुपये के 1.70 लाख ऋण प्रदान किए गए कि लोग गांव से शहरों की तरफ निकल कर आते हैं। वे लोग देश में शहरों की तरफ जैसे मद्रास, कोलकाता, बम्बई, बेंगलुरु हर जगह जाते हैं और दिल्ली में भी लोग रोजगार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए लोन की व्यवस्था है। मैं इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय को बधाई दूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुसार इन्होंने 73 परसेंट ऋण दिया है। मैं एमसीडी के अधिकारी, बैंक के अधिकारी व कर्मचारियों को बधाई दूंगा कि उन्होंने कैम्प लगा कर 73 परसेंट ऋण वितरण किया। दिल्ली शहर स्वनिधि योजना में लोन देने के लिए 9वें स्थान पर है।

सर, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, एक तरफ तो शीश महल बनकर खड़ा हो जाता है, एक तरफ जो 70 गारंटियां दी थीं, उसमें 56 नंबर गारंटी में दिल्ली के एक बौने दुर्योधन साहब ने कहा था कि मैं सब को पक्के मकान झुग्गी-झोपड़ी में दूंगा। उन्होंने तो प्रयास नहीं किया, वह कोविड में भी अपना 50 करोड़ का शीश महल बनाते रहे, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसी रणनीति के तहत गोविंदपुरी में सात साल से जो फ्लैट्स अटके, लटके पड़े थे, भूमिहीन कैम्प के निवासियों को 3024 फ्लैट्स बना कर उनको मालिकाना हक देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी का वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है कि वर्ष 2027 तक देश के हर व्यक्ति के पास मकान होना चाहिए। उसकी शुरुआत हमारे शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से, केन्द्र सरकार के माध्यम से दिल्ली में की गई है। इसी प्रकार से 692 करोड़ रुपये की होम लोन पर सब्सिडी देने का काम किया है। दिल्ली में 29,976 परिवारों को 2.5 लाख रुपये से 3.5 लाख रुपये की सब्सिडी मिली है। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हर गरीब का अपना मकान हो।

इसी प्रकार से गरीबों के परिवार बंट जाते हैं, परिवार बढ़ जाते हैं, दो बच्चे हैं, दोनों की शादी करनी है, अपने मकान, प्लॉट का एफएआर बढ़ाना है, उस एफएआर का जो शुल्क था, हमारी सरकार ने वर्ष 2018 में उसको अधिसूचित किया। ए और बी श्रेणी में लोगों का जो डेवलपमेंट चार्ज 18160 रुपये होता था, उसको घटाकर मात्र 4200 रुपये किया गया है। इसी प्रकार से सी और डी श्रेणी में रहने वाले जो लोग हैं, उनका डेवलपमेंट चार्ज 7264 रुपये हुआ करता था, उसको घटाकर 1680 रुपये किया गया है। वे अपने परिवार के एक्सपेंशन में यदि एफएआर बढ़ाना चाहें तो उनको ज्यादा शुल्क सरकार को नहीं देना पड़ेगा।

इसी प्रकार से जो गांव, अनथोराइज्ड कालोनीज में जनता फ्लैट्स के अंदर जो लोग रहते हैं, उनकी ई, एफ, जी, एच श्रेणी थी। उनका डेवलपमेंट चार्ज 3632 हुआ करता था, केन्द्र सरकार के माध्यम से उसको मात्र 840 रुपये किया गया है। इसलिए मैं पुनः इस बात के लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ।

सर, अगर मैं मेट्रो की बात करूँ, तो दिल्ली के अंदर 4 फेज की मेट्रो वर्ष 2016 में चलनी थी, इसी दिल्ली के मुख्य मंत्री ने एक राजनीतिक द्वेष के कारण, दिल्ली के लोग जाम में मरें, उसको बढ़ाने का काम नहीं किया। मैं श्री हरदीप सिंह पुरी को फिर धन्यवाद दूंगा। इस बात के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि जब वह उस बात के लिए एनओसी नहीं दे रहे थे, इन्होंने प्रेस कांफ्रेंस की और प्रेस कांफ्रेंस करके कहा कि अगर दिल्ली का मुख्य मंत्री अपने हिस्से के पैसे नहीं देगा तो केन्द्र सरकार अपने पैसे से मेट्रो लेकर आएगी। 4 फेज की मेट्रो जो तुगलकाबाद-एयरोसिटी, लाला कुआं, तिगरी, खानपुर, कृष्णा पार्क, राजू पार्क, अम्बेडकर नगर, इग्नू कालोनी के रोड, सैदुलाजाब की है, उस मेट्रो रेल का काम आज करीब 52 परसेंट कम्प्लीट हो गया है। 120 किलोमीटर तक मेट्रो चलाने का काम किया है।... (व्यवधान) सर, यह दिल्ली से जुड़ा हुआ मामला है। मैं इसके लिए आपसे केवल दो मिनट और चाहूंगा। मैं अब अपनी कालोनियों की तरफ भी आना चाहता हूँ। सर, अनथोराइज्ड कालोनीज के लोग 30 साल से संघर्ष कर रहे थे। उस समय बेचारे जो 40, 45, 50 साल के लोग थे, वे तो चले गए। उनके बच्चे भी इस तंज को झेलते

थे कि कब हमारे सर पर तलवार लटक जाए। हमारे खून-पसीने की कीमत का पैसा, उस पर पता नहीं कब बूलडोजर चल जाए। वर्ष 2019 में हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने पीएम उदय योजना से मालिकाना हक देने का प्रयास किया। आज हम जो गारंटी की बात करते हैं, यहां पर माननीय सोनिया जी नहीं हैं, वे प्रतिपक्ष की नेता हैं। वर्ष 2008 में राम लीला मैदान में चुनाव से 6 महीने पहले एक ...* की और उन कालोनीज के आरडब्ल्यू के लोगों को बुलाकर प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटने का काम किया। वर्ष 2008 में चुनाव तो जीत गए, दोबारा सरकार बना ली कि सोनिया जी ने कहा है, इतनी बड़ी नेता ने कहा है, अब तो कालोनीज पास हो ही जाएंगी। लेकिन वर्ष 2013 तक उन कालोनियों की फिर सुध नहीं ली गई। केवल प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांट कर छोड़ दी गई। जब वर्ष 2013 में आए तो फिर इसी प्रकार की ...* की। कुछ आरडब्ल्यू के लोगों को बुलाया और एक प्रस्ताव विधान सभा में पास कर दिया। वर्ष 2018 में दिल्ली विधान सभा में दिल्ली के इस बौने दुर्योधन, इस ...* ने ...* किया था कि हम दिल्ली की सभी अनियमित कालोनियों को इल्लीगल तरीके से पास करना चाहते हैं। इसलिए जो करीब 2396 अनअथोराइज्ड कालोनीज हैं, वह वर्ष 1979 से 2015 तक बसी है।

इन कॉलोनियों में रहने वाले जो 40 लाख लोग थे, वे सीवर, सड़क आदि मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान थे। पहले कांग्रेस ने ...** किया, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई, जिसने इन कॉलोनीवासियों के साथ ...** किया। वर्ष 2016 में, चुनाव में आने से पहले उन्होंने ...** करके फिर से एक नयी बात बनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हम इस नोटिफिकेशन के तहत अगले 5 वर्षों तक, जब उन्होंने कहा कि कुछ नहीं किया है, तो हम वर्ष 2013 में चुनाव में जाने के बाद जब आएंगे, तो फाइल नं. 133/अन-अथॉराइज्ड कॉलोनी/अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी/ 2012549553 की जानकारी आम नागरिकों को होनी चाहिए। इतने प्रॉड करने वाले लोग कैसे बैठे हैं, जिसने 895 अनियमित कॉलोनियों को पास करने का ढोंग रच दिया।

* Not recorded as ordered by the Chair.

** Expunged as ordered by the Chair.

... * मैनेजमेंट कम्पनी की स्थापना हुई, जिसके डीन ...* साहब हैं। इस डीन साहब ने 70 वायदों में से जो 56वें नम्बर पर है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया, यह कहा गया था कि एक वर्ष के अन्दर अनियमित कॉलोनियों को नियमित कर दूँगा, लेकिन आज तक वे कॉलोनियाँ नियमित नहीं हुई हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूँगा। इतनी मेहरबानी कर दें कि और 40 लोगों के पास कर दें। पीएम-उदय योजना के लिए वर्ष 2019 में हमने उनको प्रोटेक्शन दे दी। जिस व्यक्ति का वहाँ प्लॉट है, कमरा बना हुआ है, उसका मकान बना हुआ है, डीडीए ने उसकी रजिस्ट्री कर दी। लेकिन अब अगर मैं उसको बनाता हूँ, तो उसको अन-अथॉराइज्ड माना जाता है और एमसीडी और एसडीएम ऑफिस के लोग उनको बुक कर देते हैं और वहाँ अवैध तरीके से उगाही होती है। इसे प्रोटेक्शन डेट को बढ़ाकर 2014 की बजाए 2022 कर देना चाहिए। इसका कारण यह है कि मैं उस प्लॉट का मालिक तो बन गया, मैं उस कॉलोनी में रह रहा हूँ, यह उन्हीं 1739 कॉलोनियों का पार्ट है, लेकिन मैंने मकान वर्ष 2018 में बनाया है, उसको एक्सटेंड किया है, तो वह अन-अथॉराइज्ड है, इसलिए उसको एमसीडी बुक कर देती है और उसका डिमॉलिशन करने पहुंच जाते हैं। यहाँ-वहाँ सुविधा शुल्क की मांग की जाती है। जब हम बात करते हैं, तो कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट के आदेश के खिलाफ ही वर्ष 2014 के बाद सरकार ने इनको प्रोटेक्शन देने का काम किया है। वर्ष 2022 तक अन-अथॉराइज्ड कॉलोनियों को प्रोटेक्शन देने के लिए अगर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे, तो मैं इस बात के लिए इनका बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा। उन गरीब लोगों की तरफ से, माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है। उन खाली प्लॉट्स में जो 30-35 परसेंट हैं, मैं उन्हीं कॉलोनियों की बात कर रहा हूँ, जो 1739 कॉलोनियों के ही पार्ट हैं, मैं एक्सटेंशन की कॉलोनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, विदिन दीज कॉलोनीज, जो प्लॉट्स पड़े हुए हैं, उन पर जिसने वर्ष 2014, 2015, 2016 में जिसने बनाया है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, इस पर माननीय मंत्री जी जरूर विचार करें।

* Expunged as ordered by the Chair.

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री मनोज तिवारी - उपस्थित नहीं।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि यह बिल कल आना था। अगर यह बिल कल आ जाता, तो हम यहाँ पर बोल नहीं पाते क्योंकि सामने के लोग शोर मचा रहे थे। आज यह बिल आया है, इसलिए मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ कि हम इस बिल के ऊपर बोल पा रहे हैं।

दिल्ली की जनता इसको समझेगी कि आज प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए कितना बड़ा काम किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि अभी बताया गया कि दिल्ली में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही और अभी 9 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। लगभग 22-25 सालों में, इन्होंने दिल्ली की एक भी कॉलोनी को पास नहीं किया। जैसे ही, भाजपा के, दिल्ली के विधायक और सांसद सभी साथ मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गये और उनसे मांग की कि दिल्ली की कॉलोनियों को पास किया जाए, तो प्रधानमंत्री जी ने 50 लाख लोगों, जिनकी जिंदगी के ऊपर हमेशा तलवार लटकी थी, उसको हटाकर सारी कॉलोनियों को पास किया।

मैं अभी सुन रहा था, कुछ सांसद कह रहे थे कि दिल्ली का बिल आया है, तो आपको बोलना है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह बिल केवल दिल्ली के सांसदों के लिए नहीं है। चूंकि यह भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी में सारे सांसदों के जिलों के, उनके क्षेत्रवासी, उनके वोटर्स, पूरी दिल्ली की कॉलोनियों में रहते हैं और सैंकड़ों की संख्या में रहते हैं। इसलिए यह जो बिल आया है, यह सभी सांसदों के लिए है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग भी रहते हैं, बिहार के लोग भी रहते हैं, यहाँ पर झारखण्ड के लोग भी रहते हैं और यहाँ पर कश्मीर के लोग भी रहते हैं।

अतः यह बिल सभी सांसदों के लिए है। आप सभी को इसका समर्थन करना चाहिए।

मैं केवल आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। ये जो बार-बार अनऑथराइज्ड कॉलोनी के बारे में कहते हैं, यह अनऑथराइज्ड कॉलोनी क्या है? अभी जैसे हमारे माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी कह रहे थे, हमारा देश जब आजाद हुआ, तो उस समय दिल्ली की

पॉपुलेशन सात-आठ लाख थी। उसके बाद, वर्ष 2001 में दिल्ली की पॉपुलेशन डेढ़ करोड़ हो गई। आज दिल्ली की पॉपुलेशन ढाई करोड़ हो चुकी है। आबादी बढ़ती जा रही थी, परिवार बढ़ते जा रहे थे, मगर दिल्ली में 50-60 साल पहले जो सरकार होती थी, जो भारत में कांग्रेस की सरकार होती थी या जो डीडीए डिपार्टमेंट होता था, दिल्ली में कोई पॉलिसी नहीं होती थी। अगर आपको मकान बनाना है, अगर आपका परिवार बढ़ गया है, तो आज भी कोई पॉलिसी नहीं है।

मैं माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी, भारत सरकार और हमारे डीडीए विभाग का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो नया मास्टर प्लान आ रहा है, आप उसमें नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, ताकि लोग अपने एग्रीकल्चर लैंड में उस कॉलोनी को पास करवाकर वहां मकान बनाएं, तो वह अनऑथराइज्ड नहीं बोला जाएगा। वह अधिकृत बोला जाएगा, ऑथराइज्ड बोला जाएगा। यह जो 'अनाधिकृत' वर्ड है, अगर किसी ने इसको खत्म करने का काम किया है, तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया है।

जैसा कि प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि जो काम कांग्रेस 50-60 साल के रूल में नहीं कर पाई, यह उनका सौभाग्य था, ईश्वर का आशीर्वाद था कि ये सारे काम, इन सारे पाप को धोने का काम हमारे प्रधान मंत्री जी के हाथों होना था, इसलिए, यह काम हुआ और ये सारी कॉलोनियां पास हुईं। ... (व्यवधान)

सर, मैं एक बार अपने गांव में गया था। वहां मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे बेटे की शादी होनी थी। लड़की वाले देखने आए, तो उन्होंने पूछा कि क्या आपकी कॉलोनी पास है? जब उन्होंने कहा कि पास नहीं है, तो रिश्ता टूट गया। अगर आज इन सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में शादियां होने लग गई हैं, विकास होने लग गया है, तो उसका श्रेय भी हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को जाता है। ... (व्यवधान) ये सारे अच्छे काम होने लग गए।

सर, चूंकि श्री मनोज तिवारी जी नहीं हैं, तो आप उनका समय भी मुझे ही दे दीजिएगा। मैं यह आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।

सर, कांग्रेस ने खुद तो 60-70 सालों में कुछ किया नहीं और आज जब हम करने को आए हैं, तो आज भी ये चिल्लाते हैं, आज भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज दिल्ली की कॉलोनियां पास हो रही हैं। वहां इनके रिश्तेदारों के भी प्लॉट होंगे, इनके एमएलए-मंत्रियों ने भी प्लॉट काटे हैं, कॉलोनियां काटी हैं। आज उसके भाव भी बढ़े हैं, क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने पास किया है, तो भी इन लोगों के पेट में दर्द होता है। आज भी ये हमारे हर काम में अड़ंगा डालने का काम करते हैं। कॉलोनियां पास करना हमारा काम नहीं था। यह काम केजरीवाल, शीला दीक्षित जी की दिल्ली सरकार का था। चूंकि उन्होंने कोई कॉलोनी पास नहीं की, इसलिए प्रधान मंत्री जी को आना पड़ा और उन्होंने सारी कॉलोनियां पास कीं।

आज ये कॉलोनियां पास हो गई हैं। आज उनमें सीवर लाइन डालनी है, पानी की लाइन डालनी है, बिजली डालनी है, ये काम कौन करेगा? यह काम दिल्ली सरकार करेगी, केजरीवाल जी करेंगे, मगर वे भी यह काम नहीं कर रहे हैं। ये सारी कॉलोनियां पास होने के बाद भी काम नहीं हो रहे हैं। इसलिए, मैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज भारत सरकार इन कॉलोनियों में पानी की लाइन डालने के लिए भी पैसे देती है, सीवर की लाइन डालने के लिए पैसे देती है और इनमें टॉयलेट्स बनाने के लिए भी पैसे देती है। वहां की सारी सुविधाओं के लिए भारत सरकार पैसे दे रही है।

सर, एक बार वर्ष 1996 में हाई कोर्ट ने सारी कॉलोनियों को तोड़ने का ऑर्डर कर दिया था। उस समय हमारी दिल्ली में सरकार थी। उस समय के हमारे मुख्य मंत्री डॉ. साहिब सिंह वर्मा जी हाई कोर्ट गए। उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि आज सरकारी वकील बहस नहीं करेगा, मैं दिल्ली का मुख्य मंत्री बहस करूंगा। तब उन्होंने वहां बहस की, उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर बदला। जो सारी कॉलोनियों के ऊपर बुल्डोजर चलने वाला था, अगर उसको बचाने का काम भी वर्ष 1996 में किसी ने किया था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। ... (व्यवधान)

सर, अब परिवार बढ़ गए हैं, तो ये कॉलोनियां आज भी कट रही हैं। इसलिए, हमारे मंत्री जी से मेरी हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि जो नया मास्टर प्लान – 2041 बन रहा है, कृपया उसके

अंदर जीडीए पॉलिसी, जो आने वाली है और हमें सुनने में आ रहा है कि आएगी, उसको लागू किया जाए और उसके साथ में लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू किया जाए। अगर यह पॉलिसी नहीं आएगी, आज भी आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में मेरे लोक सभा क्षेत्र में ऐसे-ऐसे गाँव की जमीनें हैं, जहाँ पर दो करोड़ रुपया एकड़ में जमीन मिलती है। उसी से एक किलोमीटर दूर गुडगाँव में चले जाओ, तो वहाँ पर 20 करोड़ रुपये एकड़ में जमीन मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि वहाँ पर उनकी अपनी पॉलिसी है। हमारी दिल्ली में पॉलिसी नहीं है। दिल्ली में अफवाह यह चलती है कि सारी कालोनियों की जमीन को, एग्रीकल्चर लैंड को बिल्डर्स ने खरीद लिया, बड़ी-बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया। यह बात बिल्कुल सरासर गलत है। आज भी दिल्ली की 80 प्रतिशत एग्रीकल्चर लैंड वहाँ के किसानों के पास है। इसलिए अगर कोई पॉलिसी आ जाएगी, सरकार मास्टर प्लान में कोई पॉलिसी लेकर आएगी तो हमारे किसानों को उससे बहुत बड़ा फायदा होगा, ये नई कालोनियाँ कटने से बच जाएंगी और सारी अधिकृत कालोनियाँ ही आएंगी। मैं अपनी दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र वासियों की तरफ से माननीय मंत्री जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि सर, कृपया जो मास्टर प्लान आएगा, उसी में जीडीए पॉलिसी को, लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर आएंगे तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी।

सर, अगर यह बिल आज जो हमारी सरकार स्पेशल प्रोविजन एक्ट सेकेंड (अमेंडमेंट) लेकर आ रही है, अगर आज यह नहीं आएगा तो क्या होगा, तो इन सारी कालोनियों के ऊपर केजरीवाल अपना बुलडोजर भेजकर चला देगा। सारे मकानों को तोड़ देगा। अगर इन मकानों को बचाने का काम आज हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम हो रहा है और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस आदि सभी को इसका समर्थन करना चाहिए।

सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज तक जैसे हमारी सरकार ने हजारों, जो अंग्रेजों के टाइम के पुराने कानून थे, उन्हें खत्म किया। आज भी अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए दो कानून दिल्ली में चलते हैं और वे इस सारी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर चलते हैं। एक सैक्शन 81 है और एक

सैक्शन 33 है। अब ये दो कानून क्या हैं? अगर आपने अपनी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जरा सी भी दीवार बना ली तो सरकार उसको ग्राम सभा में वेस्ट कर देती है।

सर, आज तो दिल्ली के सारे गाँव अर्बनाइज हो गए हैं। आज दिल्ली में इन धाराओं का कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए मैं मेरी सरकार से और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, जिन्होंने इस नए मास्टर प्लान पर रूचि ली है, यहाँ पर डीडीए के वीसी बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि सैक्शन 81 को, सैक्शन 33 को, इन दोनों धाराओं को खत्म किया जाए और दिल्ली में जितने भी केस चल रहे हैं, उन सभी को खत्म किया जाए और सारी ग्राम सभा में वेस्ट की हुई जमीन को हमारे दिल्ली के किसान भाइयों को वापस की जाए।

सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने जो दिल्ली में काम किये और खासकर इन सारी अनाधिकृत कालोनियों में जो काम किए हैं, ये बहुत ही अभूतपूर्व हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ कि एक अभी हमारे यहाँ पर अर्बन एक्सटेंशन रोड बनी है, वह 8 हजार करोड़ रुपये की रोड बनी है, सारी कालोनियों को आपस में जोड़ने का काम किया है। अगर उस रोड को किसी ने बनाने का काम किया है तो हमारी नेशनल हाइवे अथॉरिटी ने किया है। उसके लिए मैं हमारे मंत्री गडकरी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी को और डीडीए को धन्यवाद देता हूँ, जिनके सहयोग से यह रोड बनी है। उसके साथ ही अभी आपने इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के बारे में सुना होगा। वहाँ पर 28 हजार करोड़ रुपये का ऐसा कन्वेंशन सेंटर सारी कालोनियों के बीच में बना है, तो उन कालोनियों में आज विकास करने की कोई बात कर रहा है, उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, उनके जीवन को अच्छा करने की बात कर रहा है, तो वह हमारी सरकार कर रही है।

सर, इसी के साथ अभी रमेश जी ने भी बताया कि कालोनियों में 6 लाख एलईडी लाइट्स लगवाई गईं और स्वच्छ भारत मिशन में अभी 1190 करोड़ रुपये दिए गए। इसी के साथ स्वनिधि में अभी तक दो लाख लोगों को ऋण मिला है, उससे वे अपना रोजगार कर रहे हैं। दिल्ली में इतने बड़े-बड़े काम हो रहे हैं। पीएम उदय योजना ऐसी योजना है, जो दिल्ली की सभी कालोनियों में

रहने वाले लोगों के लिए लाइफ लाइन साबित हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी को, माननीय मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे एक ऐसी स्कीम लेकर आए कि एक ही झटके में उन्होंने दिल्ली के 50 लाख लोगों का जीवन सुरक्षित कर दिया, उनको सम्मान दिया, उनको इज्जत दी, उनको स्वाभिमान दिया। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी को धन्यवाद देता हूँ, सारे डीडीए के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ और इस बिल का समर्थन करता हूँ।... (व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : मान जी, आपको भी इस बिल पर बोलने का समय दिया जाएगा। आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री राहुल रमेश शेवाले जी।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): धन्यवाद सभापति जी । मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023 का अपनी तथा अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से समर्थन करता हूँ और साथ ही इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। यह विधेयक अनधिकृत विकास की रक्षा के लिए प्रावधान की वैधता को अगले महीने की पहली तारीख से 3 वर्ष के लिए और विस्तार प्रदान करता है। यह विदित है कि पिछले कई वर्षों में दिल्ली में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण आवास, वाणिज्यिक स्थान तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की मांग में वृद्धि हुई है। मांग और आपूर्ति के अंतर के परिणामस्वरूप सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, मलिन बस्तियों का विकास, अनधिकृत निर्माण आदि की समस्या पैदा हुई है। ध्यान देने की बात यह है कि झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या पिछले दशक से दोगुनी हो गई है और भारत सरकार के वर्ष 2011 के सर्वे के अनुसार मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई और दिल्ली के शहर में आबादी क्रमशः 41 परसेंट, 29 परसेंट, 28 परसेंट और 15 परसेंट झुग्गी-बस्तियों में रहते हैं। इनमें औसतन 5 लोग 1 कमरे में गुजारा करते हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार 700 एकड़ में झुग्गी-बस्तियां हैं और इनमें लगभग दस लाख लोग रहते हैं। दिल्ली में लगभग 90 परसेंट झुग्गियां अनियमित कालोनियों के रूप में सरकारी जमीन पर हैं। भारत में सबसे ज्यादा झुग्गी-बस्तियों की संख्या महाराष्ट्र में है और मेरे संसदीय क्षेत्र धारावी में, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, यहां रहने वालों की संख्या वर्ष 2001 में 52 मिलियन से बढ़कर 2011 में 60 मिलियन के करीब हो गई है। अब इनकी संख्या और भी बढ़ गई है। इस समस्या का हल ढूंढना बहुत जरूरी है। सस्ता शहरी आवास और अपर्याप्त आपूर्ति की बढ़ती मांग ने मलिन बस्तियों को प्रोत्साहित किया है। जब भी शहरी घरों की मांग बढ़ती है तो उसे औपचारिक क्षेत्र के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है। इससे बढ़ती जनसंख्या को झुग्गी-बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। झुग्गी-बस्तियों के निवासी आम तौर पर सीमांत स्थानों जैसे डम्पिंग ग्राउंड में निवास करते हैं। शहरों में झुग्गी-बस्तियों के विस्तार का प्राथमिक कारण गांवों से शहरों की ओर पलायन है। शहर अतिरिक्त आबादी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा पाने में सक्षम नहीं हैं जो अंततः आवास की कमी,

बेरोजगारी और मलिन बस्तियों के विकास जैसे कई समस्याओं का कारण बना है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को कदम उठाने की जरूरत है।

महोदय, मलिन बस्तियों के प्रमुख कारक के रूप में पुराने शहरी नियोजन नियम हैं जिन्हें आम तौर पर झुग्गीवासियों द्वारा अपनी आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले की सरकारें शहरी गरीब झुग्गीवासियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजना में शामिल करने में विफल हो गई है। इससे उनके जीवन स्तर में कहीं सुधार नहीं हुआ है और अभी भी झुग्गी-बस्तियों में लोग रहते हैं। तीन साल का प्रस्तावित विस्तार सम्पत्ति मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। दरअसल यह विधेयक केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी बड़ी मेहनत करके लाए हैं और तीन साल का विस्तार देना बड़ी राहत है। उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दंडात्मक कार्यवाही के विरुद्ध सम्पत्तियों को सुरक्षित करने में संवेदनशीलता का परिचय दिया है। व्यापारी संगठन लम्बे समय से केंद्र सरकार से इसके लिए मांग कर रहे थे। यह विधेयक शहर में किसी भी कार्यवाही से उस समय तक, जब तक सरकार दिल्ली मास्टर प्लान लेकर आएगी जिसमें झुगियां, अनधिकृत कालोनियां, फार्म हाउस, गांव के आबादी क्षेत्र और अन्य मौजूदा भूमि नीति और विनियम की कमजोरियों की व्यवस्था के लिए एक रोडमैप देने की व्यवस्था करेगा।

मैं माननीय मंत्री जी से दिल्ली के लिए मास्टर प्लान को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप देने का अनुरोध करता हूं जिसमें झुग्गी-झोपड़ियां, कलस्टर, अनधिकृत कालोनियां जैसे अनधिकृत विकास को रोकने के लिए उपाय किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी के कुशल निर्देशन में दिल्ली के लिए मास्टर प्लान जल्दी ही तैयार हो जाएगा जिससे दिल्ली के विकास की रफ्तार तेज होगी और दिल्ली एक विश्व स्तरीय शहर बनेगा।

सभापति जी, विदेशी घुसपैठियों की झुग्गी-झोपड़ी में बसना एक बड़ी समस्या है। इस समस्या से निदान पाने के लिए विदेशी घुसपैठियों की शिनाख्त करना भी बहुत जरूरी है। आज सभी बड़े शहरों में विदेशी घुसपैठियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और झुग्गी-झोपड़ियों में

गैरकानूनी गतिविधियों का अड्डा बन रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को भी कदम उठाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Hon. Chairperson, Sir, I would like to start by thanking the hon. Members Shri Ramesh Bidhuri, Shri Parvesh Sahib Singh Verma and Shri Rahul Ramesh Shewale who have spoken on this Bill. Whilst lending their support to the Bill that is before us, they have also made some suggestions. Many of these suggestions are already under consideration. Given the limitations of time, I will respond to the suggestions I have heard.

Hon. Chairman, Sir, through you, I would also like to share with the hon. Members that the Master Plan, which I said is at the stage of finalization, will affect those who are living in the so-called unauthorized colonies for which we have already provided *malikana haq*, *Jahan jhuggi vahin makan* and land pooling has been referred to by several Members. What perhaps has not been referred to specifically by hon. Members, but I think which is at the back of everyone's mind, is urban regeneration of old developed colonies, because I think this is part of the larger thing.

Sir, today the population of Delhi is in the vicinity of two and 2.5 crores. My reading based on my experience of the last six and a half years that I have been associated with the Ministry of Housing and Urban Affairs, and with issues relating to the development of Delhi – a city in which I was born, in which I grew up, a city which is rapidly changing – is that out of the population of about two and 2.5 crore, about 40 lakh people will benefit from *malikana haq*. While dealing with the subject of unauthorized colonies, we found that

there are still some sections which were not covered in the original list, which we had promised to sequentially take up after this process is complete. So, about 40 lakh people will be benefited by it. Then, *jahan jhuggi vahin makan* will benefit about 10 lakhs of people. And, when the land pooling will be finalized, it will cover something like 20,000 hectares in 138 sectors, and another 70 lakh people will benefit from that. So, these schemes will benefit about 1.20 crore people. Then, there are other colonies also which are due for redevelopment. So, Delhi is not only a city which is growing in population and in economic strength but it is also virtually being rebuilt.

Sir, my previous generation came here after 1947. They did the initial buildings. Today we have the privilege of sitting in the new Parliament Building. There are many projects that have come up like Central Vista, Bharat Mandapam, Yashobhoomi, and if you see all around there is redevelopment taking place at a massive scale.

Sir, my colleague and friend Shri Ramesh Bidhuri ji wanted the cut off date to be raised from 2014 to 2022, if I heard him correctly. I would just like to tell him that this Bill specifically seeks extension for the next three years. This extension will give us the time cushion and the flexibility to have wide-ranging consultations on policy matters and guidance on orderly development of the unauthorized colonies. I think my answer is intended to encompass the specific suggestion which has been made.

Sir, Shri Parvesh Sahib Singh Verma ji mentioned about the MPD-41. I have already taken the liberty, in anticipation, of saying something. I have

already responded to the points on DDA and the land pooling policy which he mentioned. The Master Plan is at the stage of consultation, and I would say is at the stage of finalization now. We have made a lot of progress in formulating this policy, and we will see that 'substantial benefits' – I am choosing my words carefully – will accrue to the citizens of Delhi, all the stakeholders, who are there, the *kisan bhais* who own the land and all others.

15.00 hrs

We are now getting a more flexible approach to pooling so that little technicalities do not stand in the way.

I would, once again, thank my three colleagues who have spoken and all the others who will give support to this absolutely vital piece of legislation because it will give us an opportunity to ensure that the processes, which were started 20 or 30 years ago, in 2006 in particular, we are able now to finalise in an orderly manner what will be required to be done under the Master Plan, also on all the other areas which flow from it and also the provision of *malikana haq* to those who are living in those unauthorised colonies, increase the pace of registration, the issuance of conveyance deeds and authorisation slips and we will be able to demonstrate that to everyone. रमेश जी ने कहा, शायद उनको लगा क्योंकि मोदी जी की गारंटी है, इसलिए थोड़ी सुस्ती आ गई। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि डेवलपमेंट नॉर्म्स पिछले वर्ष पब्लिश हो गए हैं और उसके साथ हम यह भी डेमॉन्स्ट्रेट कर देंगे कि people who go for full authorisation, they can rebuild and they will also benefit economically.

सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सर, माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ये जो 1739 कॉलोनीज़ छोड़ी गई हैं, इनमें कुछ एफ्युलेंट के नाम से 69 प्लस 3 कॉलोनीज़ छोड़ी गई थीं, उनका डेवलपमेंट, कुछ अधिकारियों ने जो सर्वे किया होगा, उस सर्वे में फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं आ पाई है। वे भी सेम स्टेटस की कॉलोनियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उन एफ्युलेंट कॉलोनियों को तुरंत इसमें लिया जाए। सर, आप उनका डेवलपमेंट चार्ज बढ़ा दें। वे हैं, इसलिए उनको डिमोलिश तो कर नहीं सकते हैं। उनके बारे में माननीय मंत्री जी के क्या विचार हैं?

श्री हरदीप सिंह पुरी : सभापति महोदय, मुझे लगा कि मैंने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, वे ज़रा ज्यादा कंज़र्वेटिव थे। मैंने यह भी कहा कि जो कॉलोनीज़ पहली लिस्ट में आ गई थीं, हमने यह कभी नहीं कहा कि बाकी कॉलोनीज़ को हम टेकअप नहीं करेंगे। हमने कहा कि सिक्वेंशली, क्योंकि इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और हमारे वे भाई-बहन रहते हैं, जिनको प्रायोरिटी अटेंशन चाहिए। जैसे ही यह कम्प्लीट होगा, हम इसको करेंगे। मैंने यह कभी भी नहीं कहा। जो 69 कॉलोनीज़ हैं, जहाँ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स रहते हैं, हम उनको भी टेकअप करेंगे। इस सरकार की शुरु से ही यह पोज़िशन रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से on the floor of the House, I am saying that these will also be taken up. I hope, this assures my colleague. I know that he has been looking to re-hear that answer from me. मैं कई बार उनसे कह चुका हूँ। पब्लिक फोरम में भी बोल चुका हूँ। I have no hesitation in repeating that on the floor of the House.

Thank you.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बनें ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

15.05 hrs

CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT)

BILL, 2023*

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I rise to move** :

“That the Bill further to amend the Central Goods and Services Tax Act, 2017, be taken into consideration.”

Sir, thank you for giving me this opportunity. I will just put the context in which this amendment is coming in.

As you know, GST subsumed 17 taxes and 13 cesses. It sort of bridged all the States and enabled trade. The number of taxpayers registered under GST has almost doubled to 1.04 crores. I am quoting June 2023 figures. When it started in 2017, we had only 67.83 lakh taxpayers under GST. So, GST is actually bringing in a lot of advantage to the economy. The tax incidence under GST has also been lower to what it was before GST was introduced. Some of the best features which I can highlight are that the RBI Report itself, while talking about the State finances as of January 2023, acknowledges that the North-Eastern States have been the biggest beneficiaries in the GST regime and they have recorded a compound annual GST revenue growth rate of 27.5 percentage since the implementation of GST as against 14.8 percentage for all States. Almost all the GST Council’s decisions have been through consensus.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 19.12.2023.

** Moved with the recommendation of the President.

So, this being the main feature, the need for the current amendment is something which I would like to highlight.

Section 109 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, that is, the CGST Act, provides for constitution of the GST Appellate Tribunal. The qualifications, the appointments, and the terms of conditions for service of the President of the Appellate Tribunal and the judicial and technical members are specified in Section 110 of the Act. Under the GST law, the adjudicating orders are passed by the GST officers themselves from the Centre and from the State depending on the jurisdictions allocated. While appeals against the orders passed by the adjudicating officers lie with the first appellate authority, who is an officer within the tax administration itself belonging to the respective Central and the State tax offices, the second appeal against the order of the first appellate authority under the Centre as well as the State tax administration lies with the GSTAT, which is, the GST Appellate Tribunal. The Appellate Tribunal is the first forum at which the GST litigation process itself converges within the State, which means, the appellate orders passed by the Centre and the State GST officers become a part of the same appellate forum.

Earlier, in 2019, as regards the GST Appellate Tribunal, benches were notified. We went ahead by notifying the benches but the same was challenged in the High Courts. In its order dated, 20th September, 2019, in the Writ Petition of 2018 in the case of Revenue Bar Association vs. the Union of India, hon. High Court of Madras held as follows:

“The number of expert members, therefore, cannot exceed the number of the judicial members on the bench.”

The High Court of Madras struck down Sections 109 and 110 of the CGST Act, 2017. Now, there was a parallel development which I draw your attention to. In August 2021, the Tribunal Reforms Act, 2021 was enacted by which the qualification and the selection process was standardised for all tribunals. By that time, there was no GST tribunal but as I said, it was a parallel development. In August 2021, the Tribunal Reforms Act was enacted by which the qualification and the selection process itself was standardised for various tribunals.

Given these developments, in its 42nd meeting held on 28 and 29 June, 2022 in Chandigarh, the GST Council discussed the changes required in provisions pertaining to the GST Appellate Tribunal in the GST laws so that it can be brought in conformity with the judgements of the court and in relation to the various aspects concerning all the Tribunals. So, in that meeting, the Council had decided to constitute a GoM to look into the issues involved, which was constituted on 6th July 2022.

The Report of the GoM was placed before the GST Council in its 49th meeting dated 18th February, 2023 and post approval of the GST Council the CGST Act was amended by the Finance Act of 2023 wherein Sections 109 and 110 of the said Act were amended. As amended by the Finance Act, 2023, the GST Appellate Tribunal shall contain one Principal Bench and various State Benches, which are to be notified. The Principal Bench will be or shall be

located in New Delhi and shall have one President, a Judicial Member, a Technical Member, a Technical Member that is belonging to the Centre, and a Technical Member of a State. The State Benches shall have two Judicial Members, a Technical Member of Centre and a Technical Member of a State. State Benches have also been already notified as of 14th September, 2023. The qualifications of the President and Members are also clearly notified.

Thereafter, it was brought to the notice, and this is the important part of why this Amendment is coming through. I have just set the background. The reason why this Amendment is coming through is because it was brought to the notice of the Ministry by the hon. Chief Justice of India in his administrative site through the Registrar of the Court that the following aspects of the service terms were not in consonance with the provisions of the Tribunal Reforms Act of 2021.

I will again try to draw the attention of the hon. Members that the GST Appellate Tribunal is developing on its own parallelly to all the other Tribunals Amendment Acts, which have happened and now by drawing the attention of the Ministry, the hon. Chief Justice of India in his administrative capacity is trying to align the two. Therefore, one of the points on which the Chief Justice of India drew our attention is that the maximum age limit for the post of the President of the Appellate Tribunal and Members is 67 and 65 years in the CGST Act, which we had cleared under the Tribunal Reforms Act 2021. Under the Tribunal Reforms Act 2021, it is 70 and 67 years respectively whereas what we brought in the CGST Amendment was 67 and 65 years.

The second point on which Amendment became necessary is that the CGST did not have a provision relating to the eligibility of an Advocate with a standing of 10 years at the Bar for appointment as Judicial Member whereas the same is available in the Tribunal Reforms Act. Therefore, these two were taken up in the Council, and they were approved by the GST Council. Under the Tribunal Reforms Act, the Advocate with a standing of 10 years at the Bar is eligible to be appointed as a Judicial Member.

So, these two particular concerns and specific points, which the hon. Chief Justice of India highlighted were again placed before the GST Council in its 52nd meeting held on 7th October, 2023.

And the amendments to section 110 of the CGST Act aligning the provisions with the Tribunal Reforms Act were approved by the Council. So, accordingly, the CGST Second (Amendment) Bill which is what is now before us was introduced in Parliament on 13th December, 2023, bringing the provisions of sections 109 and 110 of the CGST Act in line with the provisions of the Tribunal Reforms Act, 2021. Once this hon. House passes this Amendment Bill, the process of selection of the President and the Members would be initiated. The hon. Chief Justice of India has already consented to chair the Search-cum-Selection Committee and has nominated a Senior Judge, Justice Sanjiv Khanna, to chair the Search-cum-Selection Committee for selection of members both judicial and Member (Technical) which is the Centre's Member (Technical). So, this Bill, therefore, is before us and I humbly seek the support of all the hon. Members to have this passed.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सरदार सिमरन जीत सिंह मान जी, आप वरिष्ठ संसद सदस्य हैं, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। अगर आप इस बिल पर बोलना चाहते हैं तो आपको मौका दिया जाएगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, माननीय मोदी जी ने देश में वर्ष 2014 के बाद जितने भी परिवर्तन किए हैं, उन परिवर्तनों में सबसे बड़ा परिवर्तन आजादी के बाद जीएसटी का था। कन्सटीट्यूट असेम्बली में भी लगातार इसके ऊपर चर्चा हुई कि स्टेट कैसे टैक्स कलेक्ट करेगा, सेंटर कैसे टैक्स कलेक्ट करेगा। कुछ अधिकार स्टेट को दिए गए और कुछ अधिकार सेंटर को दिए गए। पूरी दुनिया की इकोनॉमी बढ़ती रही। सरकार ने तय किया कि आम आदमी सेंटर और स्टेट के टैक्स से तबाह हो जाता है। टैक्स पर टैक्स इतना ज्यादा हो जाता है कि जब फाइनेली कन्ज्यूमर्स तक कोई प्रोडक्ट जाता है तो उसका दाम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गरीब आदमी और मध्यम वर्ग का आदमी उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता। जब मैं यह कहता है तो कई लोगों को लगता है कि वर्ष 2014 के पहले देश ही नहीं था, 2014 के पहले कुछ हुआ ही नहीं।

मैं आपको इसका इतिहास बताता हूँ। वर्ष 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय केलकर कमेटी बनी थी। केलकर कमेटी ने एक वैट वैल्यू ऐडेड टैक्स प्रपोजिशन बढ़ाया था कि अब अपनी इकोनॉमी को गुम करने के लिए वैल्यू ऐडेड टैक्स की आवश्यकता है। वैल्यू ऐडेड टैक्स लागू हो गया। हमारी सरकार वर्ष 2004 में चली गई। वर्ष 2006-07 की जिस फाइनेंस बिल की बात निर्मला सीतारमन जी कर रही

थी, जिनके नेतृत्व में देश की इकोनॉमी ग़ो हो रही है, वर्ष 2027 में उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में टारगेट फिक्स कर रखा है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे।

वर्ष 2006-07 में तत्कालीन कांग्रेस की यूपीए सरकार ने कहा कि हम जीएसटी लाएंगे। वर्ष 2006-07 से 2014 तक आठ साल इनकी सरकार रही और आठ साल में इसे केवल तकिया कलाम बनाया, जैसे 1971 से गरीबी हटाओ का नारा लगाते रहे। वर्ष 2014 तक उनकी सरकार रही, गरीब खत्म हो गए, लेकिन गरीबी नहीं हट पायी। उसी तरह से उन्होंने जीएसटी के लिए कहा, जीएसटी लाएंगे, जीएसटी लाएंगे, लेकिन जीएसटी नहीं लाए। इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, हैसियत नहीं थी। उनके ऊपर राज्यों का इतना विश्वास नहीं था कि वह अपने टैक्स को छोड़ने को तैयार हों। फेडरल स्ट्रक्चर या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में किसी तरह की बातचीत हो। वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी जी देश के माननीय प्रधानमंत्री बने, तब स्वर्गीय अरुण जेटली जी तत्कालीन वित्त मंत्री थे। इन लोगों ने बहुत मेहनत की और मोदी जी का नेतृत्व इतना मजबूत था कि राज्यों को इनके ऊपर भरोसा था। गुजरात उस वक्त एक ऐसा राज्य था जो कहता था कि जीएसटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि यह देश के लिए अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री के नाते उनके जो अनुभव थे, उस अनुभव के आधार पर वह वर्ष 2006-07 में एक बड़ा टैक्स सिस्टम जीएसटी लेकर आए।

सभापति महोदय, 37 ऐसे टैक्सज़ हैं जो इसमें मर्ज किए गए हैं। 37 प्रकार के टैक्स में कुछ टैक्स राज्य लगाते थे और कुछ टैक्स सेंटर लगाते थे, अब उस तरह के टैक्स नहीं लगते, इसलिए जब कन्ज्यूमर तक सामान पहुंचता है तो सस्ते में पहुंचता है और इसी कारण हमारी जीडीपी आगे बढ़ती हुई नजर आती है।

इसमें सबसे महत्वपूर्ण दूसरा लेजिसलेशन है, जिसके लिए सैक्शन 109 और 110 को अमेंड करने की बात कही गई है। सैकंड एपेलेट अथारिटी जीएसटी की बनाई गई है जो और भी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता था? जब भ्रष्टाचार की सरकार चलाते थे तो उसमें ज्यूडिशियरी को जाने-अनजाने प्रभावित करने की कोशिश की जाती थी और सारा अधिकार आप अपने पास रखा जाता था। इसमें आप कैसे एडजस्ट करेंगे? एक समय ऐसा आया, जब कम से कम 100-150

ट्रिब्यूनल हो गए। हमारी सरकार ने वर्ष 2016-17 में तय किया कि इतने ट्रिब्यूनल्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम जो बेनिफिट पोस्ट रिटायरमेंट जर्जों को देते हैं, वह अच्छा नहीं है। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि किसी ट्रिब्यूनल में 62 साल, किसी में 65 साल और किसी में 67 साल में रिटायरमेंट हो जाती थी। भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तय किया कि सभी ट्रिब्यूनल्स के अधिकार बराबर होंगे। मुझे लगता है कि कम से कम टोटल 12-14 ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं जो इस सरकार ने एबालिश किए क्योंकि इनकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। जिनका कोई काम नहीं था, केवल गाड़ी देना, घोड़ा देना और मकान देना था, जबकि उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट देने थे, इसी कारण से ट्रिब्यूनल एक्ट में संशोधन हुआ। इसके लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली भारत सरकार द्वारा कही गई बातों को माना।

महोदय, इसमें जो दूसरा संशोधन है, उसके लिए माननीय गृह मंत्री जी द्वारा बिल आने वाला है कि किस तरह से सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में चेंज होगा और लोगों को न्याय मिल सकेगा। चूंकि जीएसीटी टैक्स का मामला है और टैक्स का लिटिगेशन इतना बड़ा होता है कि उस टैक्स के लिटिगेशन को लोगों के लिए पैसे का यूज समझना मुश्किल होता है। यदि पैसा भारत सरकार के पास हो तो उसे टैक्स देना पड़ता है, इंटरस्ट देना पड़ता है। एपेलेट अथारिटी के बाद, एपेलेट ट्रिब्यूनल के बाद जब केस हाई कोर्ट में जाता है या सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो अनावश्यक देरी होती है और इस देरी की वजह से बहुत समस्याएं पैदा होती हैं।

महोदय, भारत सरकार ने इसके माध्यम से बढ़िया काम किया और ट्रिब्यूनल को ट्रिब्यूनल एक्ट में ले आए इसलिए अब भारत सरकार के सारे ट्रिब्यूनल्स में 67 और 70 साल का कैप रहेगा। दूसरा सबसे बढ़िया काम, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने अपनी तकरीर में कहा कि हमने जस्टिस संजीव खन्ना, जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के नंबर 2 जज हैं, उनके नेतृत्व में कमेटी बनेगी और वह कमेटी तय करेगी कि किसका प्रेजिडेंट कौन होगा, मैम्बर कौन होगा। इसे ज्यादा वाइडर करने के लिए, जज से भी ज्यादा वाइडर करने के लिए, जो लड़के पढ़ने में बहुत तेज हैं, जिनकी

टैक्स के बारे में अथारिटी है, यदि उनका दस साल का अनुभव है तो वे भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इस तरह से इन्होंने एक बड़ा पुल तैयार किया है। इससे एक तो यह काम होगा कि जजमेंट बहुत आसानी से होगा। दूसरा काम यह होगा कि हाई कोर्ट में जो लिटिगेशन फंसते हैं, कम होंगे। उदासी जी बता रहे हैं कि 14,000 से ऊपर केसेज़ पेंडिंग हैं। इन सब केसेज़ को खत्म करने के लिए भारत सरकार माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बड़ा फार रीचिंग लेजिसलेशन लाई है। यह देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा।

सभापति महोदय, जीएसटी दो चीजों पर काम कर रही है, जीएसटी काउंसिल, जिसमें कोआपरेटिव फेडरलिज्म है और जीएसटी एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर माननीय मंत्री महोदया ने बताया कि हम जीएसटी लाने के बाद राज्यों को भी कम्पेनसेट कर रहे हैं, टैक्स ज्यादा ला रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी से एक पुल भी क्रिएट कर रहे हैं। इस कारण से भारत सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़ा काम कर रही है। इससे जीडीपी की ग्रोथ हो रही है और भारत आगे बढ़ रहा है। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं – जो भारत का नारा है, वह कारगर हो रहा है।

सभापति महोदय, हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the important Bill, that is the Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2023. On behalf of Biju Janta Dal, I rise to support the Bill.

In the last six years, the GST ensured compliance simplification with uniform processes across the country. But more needs to be done. I will take this opportunity to highlight some of the concerns. Odisha Government under the visionary leadership of the hon. Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji has already taken simplification measures pertaining to the State Government. The State Cabinet has approved Odisha Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023 that simplifies the provisions and provides certain facilities to taxpayers and tax authorities in the State. Provision has also been made for the GST Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority. Subsequently, Odisha has registered a phenomenal growth rate of 100.77 per cent in the State GST collection in November this year from November last year.

Coming back to the issues that I want to raise, full compensation to the States for loss of revenue on account of GST implementation is getting delayed unduly. State revenues have taken a drastic fall due to the pandemic. I urge upon the Government to release the pending GST compensation to States on time.

The Centre's November 2021 notification to increase the Goods and Services Tax (GST) on several textiles and apparels from 5 per cent to 12 per

cent for items with the value slab of above Rs.1000 is a big blow to the handloom sector. The handloom and crafts sector is under severe distress as the average handloom household income is only Rs. 3,042 per month. I would request through you, Sir, for a consideration to the proposal of flat five per cent GST on all textile and apparel products.

The GST Council has imposed a 28 per cent GST on the full face value of bets placed on online gaming, as opposed to gross gaming revenue. The decision was implemented from 1st October 2023, with a review after six months. A consequence of the GST Council's decision is the need to decide whether the amendment is clarificatory and, therefore, has a retrospective application, or whether it should be made effective only after 1st October 2023. This is important for estimating past period liabilities. Hence, a clarification is needed.

India needs to simplify its tax regime to ease the compliance burden on small and medium businesses. Simplifying tax rates would add to the MSMEs, make imports competitive and improve export prospects. GST on kendu leaves has been increased from five per cent to 18 per cent. Central tax on kendu leaf was earlier zero. The Central Government should place this matter in the GST Council and revise the rate to five per cent. Hon. Chief Minister of Odisha Shri Naveen Patnaik on Wednesday announced a special package for the welfare of eight lakh kendu leaf pluckers and other persons engaged in the trade. Through you, I request the Central Government to reduce GST on kendu leaves from 18 per cent to five per cent.

Our Public Accounts Committee in one of their reports have asked the Centre to provide GST exemption for imported pharmaceutical products used by hospitals and research organizations. The committee observed that the issue of frequent notifications and then repeated clarifications is indicative of lack of clarity and coordination. The committee has recommended that the Tax Research Unit may ensure that notifications include examples for clarity and court cases. I request that the recommendations of the Committee may be implemented.

In conclusion it is vital to prioritise areas where immediate reforms are needed. With these words, I conclude. Thank you, Sir.

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले): धन्यवाद सभापति महोदय । वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2023 पर आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय) संशोधन विधेयक, 2023 का मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से समर्थन करता हूँ।

वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्माण को सक्षम करने के लिए केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन करता है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ।

महोदय, भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के कार्यान्वयन से पहले, अपीलीय न्यायाधिकरण तंत्र अलग-अलग केंद्रीय और राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट) अधिनियमों के तहत मौजूद था। हालांकि, जीएसटी की शुरुआत के साथ, जीएसटी शासन के तहत आने वाली अपीलों से निपटने के लिए एक समर्पित अपीलीय प्राधिकरण की आवश्यकता स्पष्ट हो गई थी।

महोदय, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 शुरुआत में जीएसटी के गठन के लिए प्रदान किया गया था। हालांकि, विभिन्न प्रक्रियात्मक और कानूनी बाधाओं के कारण इसके संचालन में देरी हुई। नतीजतन, अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ राहत चाहने वाले करदाताओं के पास सीधे उच्च न्यायालयों से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

महोदय, जैसा कि विदित है, यह विधेयक मुख्य रूप से केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 109 और 110 में संशोधन करने पर केंद्रित है, ताकि उन्हें ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 के साथ संरेखित किया जा सके।

महोदय, यह विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों को ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 के साथ संरेखित करने के लिए विभिन्न तकनीकी और परिणामी परिवर्तन भी करता है।

महोदय, प्रस्तावित संशोधनों से जीएसटीएटी के कामकाज और समग्र जीएसटी विवाद समाधान तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। जीएसटीएटी के संचालन के साथ करदाताओं को समर्पित अपीलीय प्राधिकरण तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे संभावित रूप से विवादों का तेजी से समाधान हो सकेगा। इससे बदले में कारोबारी माहौल में सुधार होगा और जीएसटी नियमों के अनुपालन को भी बढ़ावा मिलेगा।

महोदय, जीएसटीएटी उच्च न्यायालयों पर बोझ को कम करने में मदद करेगा, जिससे उन्हें होने वाली जटिल कानूनी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। जीएसटीएटी में अप्रत्यक्ष करों के विशेष ज्ञान वाले कानूनी पेशेवरों को शामिल करने से निर्णयों की गुणवत्ता में वृद्धि होने और जीएसटी कानूनों के लगातार कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की उम्मीद है।

महोदय, जीएसटीएटी की सफलता इसके कुशल प्रशासन और मामलों के समय पर निपटान पर निर्भर करेगी। इसके सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधन और बुनियादी ढाँचा महत्वपूर्ण होंगे।

महोदय, केंद्रीय माल एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023, लंबे समय से प्रतीक्षित जीएसटीएटी को क्रियान्वित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इस कदम से जीएसटी विवाद समाधान तंत्र में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है, जिससे करदाताओं और सरकार दोनों को लाभ होगा। हालांकि, जीएसटीएटी की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए कुशल कार्यान्वयन और पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।

मैं आदरणीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यह जो अभी नया ढाँचा बन रहा है, कानून बन रहा है, उसके माध्यम से करदाताओं को बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन, अभी जो प्रलंबित केसेज चल रहे हैं, जो उच्च न्यायालय में अभी पेंडिंग हैं, उसके लिए सरकार क्या करने वाली है? उसका प्रावधान इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। निश्चित रूप से उनको भी रिलीफ इसके माध्यम से मिलने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की तरफ है, क्योंकि वह आज भी लंबित है। बहुत समय से बहुत सारे करदाता उच्च न्यायालयों में अपना केस लड़ रहे हैं।

महोदय, जीएसटीएटी सदस्यों की नियुक्ति, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। कुल मिलाकर केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 जीएसटी शासन के विकास में एक सकारात्मक विकास का प्रतीक है। हालांकि, चिंताओं को दूर करना और नई अपीलिय प्रणाली में सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

केवल प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से ही जीएसटीएटी प्रस्ताव वास्तव में अपने इच्छित उद्देश्यों को पूरा कर सकता है और अधिक कुशल न्यायसंगत जीएसटी प्रशासन में योगदान दे सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर) : सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

आज माननीय वित्त मंत्री जी ने व्यापारियों के हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पेश किया है। वैसे जब 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 'वन नेशन, वन टैक्स' का जो बहुत बड़ा सपना था, वह साकार हुआ था। अगर वर्ष 2017 में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देखें, तो सिर्फ 64,00,000 रजिस्ट्रेशंस थे, जबकि आज जीएसटी में 1,39,00,000 रजिस्ट्रेशंस हो गए हैं। इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ और रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है।

माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्यों के प्रतिनिधियों की जीएसटी काउंसिल है, वह समय-समय पर संशोधन भी करती है, विचार भी करती है। कभी-कभी व्यापारियों और जीएसटी के बीच में जो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उनको न्यायालय में जाना पड़ता है। जब न्यायालय में जाना पड़ता है, तो उसमें समय भी लगता है, एनर्जी भी लगती है और न्यायालय में पहले से ही बहुत सारे प्रकरण लंबित हैं। हाई कोर्ट में इसके लगभग 14,000 प्रकरण लंबित हैं। उस वजह से अपील के लिए जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है, इस ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष-सदस्य की पात्रता, आयु आदि के लिए यह बिल लाया गया है। इससे व्यापारियों को तो लाभ मिलेगा ही और मोदी सरकार हमेशा ही व्यापारियों के हित में काम करती है। यह बिल इसलिए लाया गया है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अनेकों राज्यों में दो-दो ट्रिब्यूनल्स बनाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में भी एक ट्रिब्यूनल बनाई गई है, लेकिन वह भोपाल में है। मेरा मानना है कि इंदौर मध्य प्रदेश की कॉमर्शियल सिटी है और इंदौर में जीएसटी के सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, इसलिए एक ट्रिब्यूनल बेंच इंदौर में भी बनाई जाए। ऐसी मैं मांग करता हूँ। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak on this important Bill.

I appreciate the Minister for setting up of the Appellate Tribunal. Everything is moving in the positive direction. When we need justice, we need to have another set of Bench where we can go and represent our case. So, I appreciate the Minister for coming up with this Bill. But I have one issue in this regard.

It is with regard to the age limit that has been prescribed for both the President and the Members and there is a provision in the Bill wherein retired judges can actually be inducted in. My request from my Party side is that this should not be a place where again retired judges will come and settle in this Tribunal. It should not be a retired home for them. I hope the Minister and the Government will take care of this.

Coming to the GST, I enquired with a lot of MSMEs about the issues that they are facing with the GST. They said they are doing amazingly well. The GST collection has grown exponentially and it has been disbursed to the State Government very well. It has helped a lot of MSMEs, mostly the ones which are moving from offline to online. They have done exceedingly well in the last 6-7 years. But here also, there are a few issues that need to be addressed mainly with respect to the MSMEs that are actually working with the Government. When I enquired these MSMEs about how they are doing, they said they are doing very well when they are doing transactions with the private

players. But when they are doing business-to-business transactions with the Government or with PSUs, that is where most of them are facing problems.

The first problem which they expressed was that they are not able to file returns. When I enquired why they are not able to file the returns, the bill amount and the GST amount in most of the cases are delayed by the PSUs or the Central Government or the State Governments. Even after executing the contract or even after completion of the work, they are not able to get this bill amount and the GST amounts and because of this, they are not able to file the returns. As they are not able to file the returns, they are not able to pay the GST on time. What is happening here? The Government is getting the work done either by the Central Government or the State Government or the PSUs. But instead of paying the vendor or whoever has done the work, they are delaying it. The Bills are being delayed. They are not able to file the returns. Once they do not file the return and get delayed, there is a huge interest almost of 18 per cent that is being levied on these MSMEs.

This is the issue that MSMEs have raised with me. Firstly, this 18 per cent is not being paid by the PSUs. Secondly, 18 per cent interest is also being levied as penalty on them, which itself is very high. This has been there when service sector regime was there. At that time, the MSMEs were getting around 15 per cent PLR from the banks. At that time, you put it around 18 per cent.

Now, when you look at the PLR which the MSMEs are getting from the banks, it is hovering around 10 per cent. The Government has done exceedingly well to bring it down to make the MSMEs more competitive across

the world. But still the penalty is being levied at 18 per cent. So, I request the Ministry to see if the penalty can be reduced. It is not due to the MSMEs, it is due to the PSUs which are not paying them. The delay is happening due to this and huge fines are being levied upon them because of that. So, the Ministry can look into it. There is a provision of decreasing it.

When you are doing business to business transactions, the main concern of the MSMEs is that they have issues with cash flows. Why have they issues with cash flows? They have to pay 18 per cent GST plus 10 per cent TDS. You return this 10 per cent TDS after one year. So, on the day it starts the business, 28 per cent is paid to the Government. It has to wait for one year for this to be realised. So, this can be looked into by the Ministry and you can come up with a solution.

We are talking about ease of doing business. The Prime Minister is very gung-ho about it. But we have a large number of slabs in GST. Almost eight slabs are there. When you look at the countries like Singapore and others which are more progressive, they have only two slabs. The Ministry can look into it and bring it down. The maximum slab amount that is being levied upon is almost to the tune of 18 per cent. I think the maximum slab should be reduced to 12 per cent or 10 per cent, which most of the progressive countries are doing. That will be a great thing. These things should be looked at in a positive way. MSMEs are employing lakhs and lakhs of people in this country. We want them to be very competitive across the world. It is for them we have come up with PLI Scheme and all these things. If everything has to work and MSMEs

have to be competitive across the world, I think these issues need to be sorted out. I hope for a positive reply from the Minister. Thank you very much.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I thank all the hon. Members who have participated in the discussion. I appreciate that there is an overall understanding of what the GST is trying to achieve. The glitches or the difficulties which have been faced by many of the users of GST portal have also been raised. The issue of the tax rates has also been raised. I will try to address each of the primary concerns voiced by the Members.

I thank Dr. Nishikant Dubey for having given a comprehensive picture of where the GST is today and from where it has reached here. Hon. Member from Indore, Shri Lalwani ji, of course expressed his concern that only one Tribunal has been announced for Bhopal in Madhya Pradesh. Every State is going to get one plus one Tribunal. The second one can be or may be or will be located in Indore, which is the commercial centre. That, of course, is a decision based on the inputs given in the GST Council by the State officials as well. I understand his concern on that.

There was a point mentioned by Shrimati Sarmistha Sethi. I do not know if she is here now. She asked for a reduction in the GST rate for tendu leaves.

This topic on the GST rates for tendu leaves has been discussed, if I remember correctly, more than once in the GST Council. I think, since 2017 itself this has been a subject of discussion. In my tenure, this has been discussed twice. There is no unanimity of views and, therefore, we are not able to arrive at any decision which Odisha might like. So, the matter on tendu

leaves lies there but it is not because the GST Council did not take it up for discussion. It was taken up but no unanimity has been arrived.

Member Sethi also raised the issue of taxation on online gaming with prospective effect and said if there is a need for a clarificatory exercise, it should be done. A clarification on that levy was issued and according to that 28 per cent is the tax. Whom it will apply to and on whom will the incidence fall has been clearly explained. But, about this particular point on valuation rules, I would like to put on record that the valuation rules to exclude winnings are prospective. So, I hope there is no confusion on that.

The Member from Shiv Sena, Dhairyasheel Mane ji, spoke about the cases which are pending in High Courts and the Supreme Court. Now we are bringing in a legislation with amendments for setting up of the GST Appellate Tribunal and this particular amendment, of course, is looking at the age limits so that it will be in alignment of the rest of the tribunals. I would like to inform the hon. Member that the taxpayer is at his will or liberty to withdraw from the High Court or the Supreme Court and go to the Tribunal which is getting set up so that his case can be speeded up. Now there is a new Bench which is established in the States and the Appellate Tribunal which is in Delhi. So, it is well within the rights of the taxpayer who can take it up or withdraw.

Sir, the hon. Member from Andhra Pradesh had raised quite a few issues on the GST and the fact that there are eight slabs along with the penalty levied on MSMEs and so on. Sir, first of all, on rate rationalisation, there is a GoM which is formed within the GST. It has had a few sittings but because the

Chairman of the Committee was the former Chief Minister of Karnataka and now there is a change of Government in Karnataka, the name of the Committee's Chairman will also have to be relooked at. The Committee needs to be reconstituted and so on. So, that work of rate rationalisation is a larger exercise which is undertaken by the GoM.

On the issue being faced by MSMEs, the GST Council at the State level and the GST *per se* at the Central level also interacts with various MSME groups. They have had quite a few issues with which the Council's team have sat through and addressed their issues. The issue of PSUs not paying the MSMEs and as a result they themselves will have to pay the tax on an amount which is not received has been, I think, to a large extent about the Central PSUs and it has been addressed. I personally involved myself in saying that PSUs cannot delay payment beyond 45 days. It was mentioned during one of my Budget Speeches after which we have followed it up with the PSUs. Once when there was a fairly unbelievable number floating around in the public domain about the total amount which is pending from PSUs for MSMEs, I was perturbed. I went back and checked it up. This understanding that PSU means Central may not always be correct.

Yes, there are Central PSUs which owe money to the MSMEs. All of us, the Ministers, are very keenly observing them to see that the delay should not be beyond 45 days, and the Central PSUs largely now go by that understanding. However, I do not have the authority to speak about State PSUs. It is not a secret that State PSUs owe a large amount to the MSMEs

and the problem, therefore, remains for the MSMEs. But it is outside my realm. It is very much in the realm of the States where the same concern for MSMEs should be understood by the State Governments, and they should quickly clear the Bills. I would like to inform the hon. Member that in this Budget, which was read out on the 1st February, 2023, we made it a point to say that large companies cannot benefit from claiming those fiscal incentives and other incentives which are given to them, without paying the dues to the MSMEs. As they would normally show it as an expenditure, the expenditure which is going as payments to the MSMEs, and as a result, that expenditure should not be taxed. It is the common-sense understanding. But you have not paid them the dues. And, without paying them if any company shows it as an expenditure, it cannot draw the claims for having spent that money when actually it has not spent it and paid the dues to the MSMEs. So, we brought that change in this particular Budget so that these advantages which accrue to the larger companies, without actually paying to the smaller companies, should not accrue till actually they make the payment whichever fiscal year it may be. So, we have been fairly sensitive to the needs of the MSMEs. I am quite happy to hear more about it. When I was recently in Vijayawada, the hon. Member met me with a delegation and also gave me a lot of representations. We will take that on board. So, that being my reply to all the hon. Members who spoke about it, I am very grateful and seek the cooperation of the House to pass this amendment.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I rise to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: आइटम नम्बर – 31, अनन्तिम कर संग्रहण विधेयक, 2023.

15.53 hrs

PROVISIONAL COLLECTION OF TAXES BILL, 2023*

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I rise to move** :

“That the Bill to provide for the immediate effect for a limited period of provisions in Bills relating to the imposition or increase of duties of customs or excise, be taken into consideration.”

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, अगर आप बिल पर कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Thank you, Sir. I will briefly highlight the need for a Bill of this nature. Article 265 of the Constitution provides that no tax shall be levied or collected except by the authority of law. What this Bill seeks to obtain is this authority from the Parliament to provisionally levy and collect the newly imposed or increased duty of the customs and excise for 75 days. I will briefly give you the background.

The Provisional Collection of Taxes Bill, 2023 which is before us proposes to replace the erstwhile Provisional Collection of Taxes Act, 1931 with just minor changes which are technical in nature. This law is in existence from 1931. We have just made minor changes and we are here, therefore, not with a new law but with a mildly amended existing law.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 19.12.2023.

** Moved with the recommendation of the President.

The provision of the Bill empowers collection provisionally – I underline the word ‘provisionally’ – during the period between the introduction and the enactment of the Bill the increased Customs or Central Excise Duty where such duty rate is increased beyond the statutory rate approved by the Parliament or where such duty is newly imposed. So, if we are bringing in something which has to be implemented from a particular date, this Provisional Collection of Taxes Act, which exists from 1931, is the one which gets invoked. This Bill confines this interim period to 75 days, and where the Bill is not enacted within 75 days or is enacted with amendments, the provisionally collected taxes are to be refunded. So, I would like to make it very clear that the amendments to this or rates increased by the invocation of this particular Provisional Collection of Taxes Act, 1931 is valid only upto 75 days within which I need to make sure that it gets the approval of the Parliament. If it does not get the approval of the Parliament, then the amount collected will be refunded.

I already said that Article 265 of the Constitution provides that no taxes can be levied or collected except by the authority of law. So, if I do not have a law within 75 days, the amount collected becomes not valid and, therefore, it has to be repaid.

Why do we then at all need to collect temporarily? Why do we want to provisionally collect it and run the risk that if we do not pass the Bill, we will have to pay the refund back? Why do we want to do it? This provision is required for reasons such as to provide tariff protection to domestic industry on

immediate basis. Sometimes you will have to bring it immediately, and not wait for 75 days or not wait for the Session to conclude, pass the Bill and so on. So, you want immediate relief to be given. When the prices are going up, you need to moderate it, avoid speculation in the market and also for revenue considerations.

This is not required in the Income-Tax. It is only required for the Indirect Taxes. In the case of Income-Tax, changes are made in the Finance Bill for the next Financial Year. So, on 1st February, I might bring in the Budget, and will announce it. But it gets effective only from 1st April. So, for the next Financial Year is when changes are made. Therefore, the power to collect tax provisionally is not required for income-tax. In the case of GST, all the rate changes are first of all carried out only based on recommendations of the GST Council. So, it gets decided in the Council, and then it comes here for the Central Government to pass it as a part of either Finance Bill or otherwise. On the recommendations of the GST Council the effective date of change of rate is also decided, and then it is synchronized between the Centre and the States. That is the case for the GST. Hence, the power to collect tax provisionally is not required for the GST. It is only, therefore, for the Customs and Excise Duties that we need it. So, I appeal to the House that this temporary provision which gives me the provisional power to collect taxes subject to the House passing the Bill continues with it, and if it does not within 75 days, I can pay back, helps me to stabilize the prices in the market, helps me to ensure that there are no speculations in the market, and above all helps

me when I want to have immediate impact to protect the domestic industry.

Thank you, Sir.

16.00 hrs

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क के अधिरोपण या उसमें वृद्धि से संबंधित विधेयक के उपबंधों को सीमित अवधि के लिए तुरंत प्रभावी करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए”

श्री जयंत सिन्हा (हजारीबाग): सभापति महोदय, आपको और मेरी पार्टी को आभार कि आपने इस प्रोविजनल कलैक्शन ऑफ टैक्सेज बिल पर बोलने के लिए एक अवसर दिया है।

इस बिल के द्वारा जो दो-तीन मुख्य बातें हैं, मैं उन पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि आज हम लोगों की जो अर्थव्यवस्था है, जो महान अर्थव्यवस्थाएं हैं, मेजर इकोनॉमीज़ हैं, उन सब में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज हम लोगों की अर्थव्यवस्था 7 परसेंट से ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है और प्रधान मंत्री जी ने हम सब को आश्वासन दिया है कि अगर विश्व में हम लोग 5वें स्तर पर हैं तो अगले कार्यकाल में, माननीय प्रधान मंत्री जी के अगले कार्यकाल में 5वें स्तर से तीसरे स्तर पर आ जाएंगे। माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी की यह गारंटी है। हम लोग वह गारंटी इस विश्वास के साथ क्यों दे सकते हैं, इसलिए दे सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के निरंतर सुधार के लिए जो ठोस कदम हम लोगों को लेने हैं, ये ठोस कदम हम लोग निरंतर लेते चले जा रहे हैं। चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, प्रोडक्शन लिंकड इनसेंटिव्स हों, आयुष्मान भारत हो, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड हो, इन सब में हम लोगों ने बड़े-बड़े ठोस कदम लिए हैं, प्रभावशाली कदम लिए हैं। आज हम लोग सदन में जो चर्चाएं कर रहे हैं, पहले जीएसटी बिल पर की और अब प्रोविजनल कलैक्शन ऑफ टैक्सेस के बिल पर चर्चा कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इनके द्वारा हम लोगों को जो स्ट्रीमलाइनिंग करनी है, हम लोगों को जो रेशनलाइजेशन करना है, हम लोगों को जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, वह हम लोग दर्शा रहे हैं कि इसको किस तरीके से किया जाता है? जब हम लोग इस तरीके से निरंतर करते रहेंगे, सुधार लाते रहेंगे तो अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ेगी और हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर चली जाएगी। इन दोनों बिलों के द्वारा आपको यह समझना जरूरी है, सब माननीय सांसदों को समझना जरूरी है कि यह काम डायनेमिकली चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। इसका प्रभाव देखिये, हम लोगों ने जो इनडायरेक्ट टैक्सेज में, अभी तो जीएसटी की बात हुई, अब हम कस्टम और एक्साइज की बात कर रहे हैं, हम लोग जो इनडायरेक्ट टैक्सेज में सुधार लाए हैं, जिसके द्वारा इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारी इकोनॉमी में हुआ है। यह दूसरी मुख्य बात है। मैं कुछ आंकड़ों के द्वारा फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अभी बात हुई कि जहां करीब 44 लाख लोग जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेज भर रहे थे, अब वह संख्या 1.4 करोड़ लोगों की हो गई है। कलैक्शन का इंक्रीज भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जीएसटी के द्वारा 1 लाख 86 हजार लोगों का कलैक्शन होने लग गया है। आप देखें कि टैक्स पेयर्स कितने हो गए हैं? वे भी उसमें दोगुने हो गए हैं, जहां 3.79 करोड़ टैक्स पेयर्स थे, अब 7.78 करोड़ टैक्स पेयर्स हो गए हैं। फास्टैग के द्वारा जहां एक ट्रक 300 किलोमीटर चलती थी, अब वह 600 किलोमीटर चल रही है। ईपीएफओ में जहां 11.8 करोड़ लोग थे, आज के समय करीब 28 करोड़ लोग हो गए हैं। इस प्रकार से फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी जो चल रही है, उससे इकोनॉमी में बहुत सुधार आ रहा है। हमारा टैक्स कलैक्शन बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। लेकिन मुझे बहुत दुःख है कि अभी भी इकोनॉमी में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं और कुछ ऐसे लोग हैं, जो फॉर्मलाइजेशन में विश्वास नहीं करते हैं।

16.04 hrs

(Shrimati Rama Devi in the Chair)

मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे झारखंड में ही छापे के बाद एक बड़ी दुःखद घटना निकल कर आई है, जहां शराब व्यापार में लिप्त एक राज्य सभा के सांसद के घर में 350 करोड़ रुपये से ज्यादा

का कैश मिला है। जहां हम लोग एक ओर, भारतीय जनता पार्टी के हर कोई सदस्य का यह प्रयास रहा है कि इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हो, इकोनॉमी में टैक्स कलेक्शन बढ़े, देश में सुधार आए, वैसे ही अगर आप हमारे विपक्ष की ओर देखें तो इनका कैश का व्यापार चलता चला जा रहा है और बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रहा है। अभी भी ये लोग टैक्स के दायरे में आने को तैयार नहीं हैं। इनकी जो लूट है, खासकर झारखंड में, इनकी जो लूट है, वह निरंतर चलती चली जा रही है। जहां ईडी, सीबीआई, आईटी की छापेमारी चलती चली जा रही है, वहां एक नहीं अनेकों ऐसे लोग निकल कर आ रहे हैं, जिनमें अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं और एक बहुत बड़े नेता हैं, जिनको 6 बार बुलाया गया है। ईडी ने उनको 6 बार बुलाया है, लेकिन दुःखद बात है कि इन लोगों की जो लूट है, इनफॉर्मल इकोनॉमी में इन लोगों का कैश में जो कारोबार चल रहा है, उससे बचने के लिए ईडी ने उनको बुलाया भी है।

He has not presented himself in front of the ED.

माननीय सभापति महोदया, इसी तरीके से हम लोगों का प्रयास है कि कस्टम्स एंड एक्साइज में, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि हम लोगों को डायनैमिकली एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, अगर हम लोगों को प्रॉविजनल टैक्स कलेक्शन करना पड़े, तो सरकार के पास उसका अधिकार होना चाहिए, on a provisional basis for up to 75 days to adjust to dynamic conditions चाहे कहीं डम्पिंग हो जाए या कहीं पर तेजी से भाव बढ़ रहे हों, तो उसके लिए हम राहत दे सकें। इसलिए हम लोगों को ये पावर्स सरकार को देने चाहिए। इस प्रॉविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेज के द्वारा हम लोग ये पावर्स सरकार को दे रहे हैं।

इस तरह से, जो लोग कैश का कारोबार कर रहे हैं, हम लोगों को उन पर रोक लगानी चाहिए, छापे मारकर उन लोगों को रोकना चाहिए। यदि ऐसा आप करेंगे, तो झारखण्ड में और बहुत सारे लोग निकलकर आएंगे।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यही गुजारिश करूंगा कि ईडी के द्वारा, आईटी के द्वारा और भी छापेमारी हो ताकि जहाँ कोयला, भू-माफिया, शराब, बालू आदि का अवैध कारोबार चल रहा है,

काले करतूत चल रहे हैं, आप इन पर छापेमारी कीजिए और अभी जो बिज़नेस कैश में चल रहे हैं, उनको टैक्स के दायरे में लाइए। हम सब को राहत दिलवाइए ताकि हम लोग एक विकसित भारत बना सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जल्द से जल्द सबको हर प्रकार की सुविधा मिले और एक विकसित भारत का निर्माण हो। जिस तरह से, अभी हम लोग जीएसटी के बिल में अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, कस्टम्स और एक्साइज़ ड्यूटी में अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, हम लोगों के प्रयास से तो यह होता ही रहेगा, लेकिन मैं विपक्ष के साथियों से भी यही विनती करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा कि ऐसे अवैध कारोबार आप छोड़िए, टैक्स के दायरे में आइए ताकि हम लोग मिल जुलकर एक विकसित भारत बना सकें।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Thank you, Chairperson Madam. I stand here to support the Provisional Collection of Taxes Bill, 2023 on behalf of the YSR Congress Party.

Before I speak in support of the Bill, I would also like to take this opportunity to talk about some of the ongoing issues regarding taxation and collection of taxes and provide some suggestions regarding the same.

The first point is regarding the remarkable surge in Centre's tax revenue collection and the need for its strategic allocation. I would like to highlight that in 2022, the Central Government has observed an extraordinary 303 per cent surge in tax revenue over the past 12 years, escalating from Rs. 6.2 lakh crore in the financial year 2010 to Rs. 25.2 crore in the financial year 2022.

The second point is regarding high tax burden on middle class. In the current context, the middle-class population in our country would welcome a reduction in the tax burden. Presently, the rich constitute a small proportion,

and the majority of India's population remains tax exempt, leaving the middle-income group with a substantial tax burden and limited returns.

The third point is regarding enhancing the Public Provident Fund. The unchanged interest rate of the Public Provident Fund, PPF, demands immediate attention, having remained at 7.1 per cent since April 2020, falling short of the 7.9 per cent recommended by the Reserve Bank of India, RBI.

Another point is regarding expanding the tax base for inclusive growth. The increase in population has led to a growth in the workforce. However, the income tax base has not seen a corresponding expansion, necessitating attention. While the absolute number of Income Tax Return filers in India has risen, a closer examination of the data from the Ministry of Finance in Lok Sabha for financial year 2023 reveals a comparatively lower number of individuals who have actually paid income tax, especially when compared to the figures from financial year 2020. To achieve this inclusive growth, the Government should consider reducing tax rates by broadening the tax net. A scenario where a larger population files Income Tax Returns and contributes to income tax payments could lead to a more prosperous country and a more even distribution of the tax burden among assesses.

This, in turn, could result in substantial reductions in tax rates providing individuals with more disposable income for spending and contributing to the accelerated growth of the economy. Taking steps to effectively harness this workforce can contribute significantly to the GDP.

Though the hon. Finance Minister expressed her commitment to addressing the challenges faced by the middle-class while presenting the Budget 2023-2024, significant tax burdens persist among the population. So, in conclusion, from YSR Congress Party under the dynamic leadership of our hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y. S. Jagan Mohan Reddy Garu, I appeal to the Ministry to consider implementing the suggestions from our Party as I had presented today as these reforms will undoubtedly contribute to the further growth of our economy.

Thank you very much, Madam.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Thank you, Madam.

I would like to thank both the Members who have spoken on the topic. I appreciate the hon. Member Jayant Sinha for having given a complete picture of what we are doing through this Provisional Collection of Taxes Bill, and I also appreciate Dr. Sathyavathi for having given a picture of how we can take this forward and the suggestions that she has put forth on behalf of her Party. This is certainly something which I will have the Ministry go through. I hope this is not taken as an assurance, but I will value her inputs and take it forward.

So, with these words as reply to the two hon. Members who spoke, I request that the House pass the Bill.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क के अधिरोपण या उसमें वृद्धि से संबंधित विधेयक के उपबंधों को सीमित अवधि के लिए तुरंत प्रभावी करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

“कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय सभापति : मंत्री जी, अब आप यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 32, श्री नित्यानन्द राय जी ।

... (व्यवधान)

16.14 hrs

MOTION RE: SUSPENSION OF RULE 66

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 66 के परंतुक को भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 पर विचार और पारित किए जाने के प्रस्तावों, जहां तक ये एक-दूसरे पर निर्भर हैं, के संबंध में लागू किए जाने को निलंबित करती है।”

16.15 hrs

(Hon. Speaker in the Chair)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 66 के परंतुक को भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 पर विचार और पारित किए जाने के प्रस्तावों, जहां तक ये एक-दूसरे पर निर्भर हैं, के संबंध में लागू किए जाने को निलंबित करती है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी आपको बोलने का मौका देंगे ।

सरदार सिमरन जीत सिंह मान (संगरूर): सर, क्या आप हमें मौका देंगे ।

माननीय अध्यक्ष : हाँ ।

आइटम नंबर 33, 34 और 35 चर्चा में एक साथ लिए जा रहे हैं ।

माननीय मंत्री जी, क्या आपका भी यही प्रस्ताव है कि इनको एक साथ ले लें?

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): जी ।

16.16 hrs

BHARATIYA NYAYA (SECOND) SANHITA, 2023*
AND
BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA (SECOND) SANHITA, 2023*
AND
BHARATIYA SAKSHYA (SECOND) BILL, 2023*

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 33, भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, आइटम नम्बर 34, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और आइटम नम्बर 35, भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 – माननीय मंत्री जी ।

(गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री) श्री अमित शाह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबद्ध या उससे आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”

और

“कि दण्ड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”

और

“कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

“कि अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबद्ध या उससे आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”

और

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 19.12.2023.

“कि दण्ड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

और

“कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

DR. TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR): Sir, given that existing criminal laws were historically used to enable India's colonisation, the primary step in revitalising and modernising our criminal justice system is critical. At that time, these laws were used to terrorise people and stifle the dissenting voices, but they no longer represent the current dynamics and aspirations of the Indian society. The adoption of the Bharatiya Nyaya Sanhita represents a significant shift from the India Penal Code (IPC) 1860 to create a more unified, equitable, responsive legal framework that aligns the current concerns and growing societal standards. The Bill is a progressive and cohesive replacement for the outdated Indian Penal Code, harmonising with modern context and addressing newer challenges. It is sensitive to today's serious challenges: the likes of terrorism, mob lynching and cybercrimes, the areas that have remained underserved by the IPC's outmoded provisions. Additionally, it is expanding the ambit of 'terrorist acts' to the offences committed against the State and its citizens perpetrated outside of India to provide the Government with legal mechanisms it needs to combat the situations like Khalistani vandalism at Indian High Commission in London last year, strengthening India's defence system against the activities that jeopardise its core interests and citizen's well-

being. Seeking to fill in the legal loopholes while strengthening the legal system against these rising threats, the Bill ensures that it stays unified and relevant in the face of changing criminal dynamics. This legislative change is a key and cohesive step towards establishing a judicial system that is adaptable, just, and capable of protecting every citizen's rights and security.

Sir, justice delayed is justice denied but justice hasty is justice miscarried. I recall the words of jurist Domitius Ulpian, who emphasised that justice is the perpetual will to allocate to every individual his or her due. This legislation, heralding a new era of legal system, stands as a testament of our commitment to uphold the justice while embracing the necessary reforms.

This transformative Bill includes several pivotal reforms crucial for the modernization of our criminal justice framework. Its provisions echo a collective desire to ensure fairness, expediency, and the safeguarding of individual rights. From the expansion of electronic modes in legal proceedings to the emphasis on forensic investigation for severe offences, the Bill resonates with the ethos of progress. However, as we aim for a more equitable and efficient justice system, it is crucial to consider the diverse socio-cultural dynamics across our nation. The Government of Andhra Pradesh urges for provisions addressing regional nuances. Flexibility in implementation could better accommodate the unique challenges faced by different States, ensuring effective and equitable application across diverse landscapes. While acknowledging the positive strides made in this Bill, it is essential to advocate for measures ensuring compensation and redressal for individuals wrongfully

detained or accused. The inclusion of such provisions would safeguard against potential injustice and reaffirm our commitment to a fair and just legal system. With regard to improved witness protection measures, the provision for audio-video recording of witness testimonies potentially enhances witness protection and augments the accuracy of recorded statements. The option of recording witness testimonies by audio-video electronic means at designated locations introduces modern methods for maintaining accurate legal records.

Setting of specific timelines for crucial legal procedures, such as submitting medical reports in rape cases within seven days under clause 184, delivering judgments within 30 days to 60 days after completing arguments, and informing victims of investigation progress within 90 days, ensures expeditious justice delivery. The Bill expands the scope of medical examinations for accused individuals by allowing any police officer to request such examinations. This ensures timely and appropriate medical attention, especially in cases involving sensitive issues like rape.

The coexistence of the old and new legal frameworks may lead to confusion and inconsistency in legal application. Ambiguity in some clauses like shifting the burden of proof in specific cases requires further clarification to avoid misinterpretations and their potential misuse. Judges and lawyers need adequate training to effectively implement the new procedures and interpret the law accurately. The Government should make provisions for holistic support services to victims of crime, including counselling, financial assistance, and access to medical care more effective and introduce various other

measures to protect witnesses from intimidation and retaliation, including physical security, witness anonymity programs, and relocation support. Provide avenues for victims to participate in the legal process and advocate for their rights and interests. The Bharatiya Sakshya (Second) Bill makes some essential changes to the original Act and successfully fulfils many of the Ministry's objectives. Most notably, it widens the ambit of electronic records admissible as evidence and removes certain colonial references from the initial Act.

There is a high rate of case dismissals due to lack of evidence. In 2021, Government data brought to light alarming statistics, revealing that 7.5 lakh police cases are closed annually in India due to lack of evidence. This concerning trend is observed nationwide and has consistently increased since 2016 when the National Crime Records Bureau began documenting such cases under the category of "True, but Insufficient Evidence" or "Untraced" or "No Clue" in its crime records in India. Given the Home Ministry's expressed commitment to achieving an enhanced conviction rate of up to 90 per cent and fostering a citizen-friendly and efficient criminal justice system, the issue of case dismissals due to insufficient evidence demands urgent attention and intervention.

It is imperative to address this challenge. The report of the Bureau of Police Research and Development indicates widespread vacancies across all ranks including specialised investigation units like Crime Branch and a small pool of forensic investigation and resources over the years. To enhance the

effectiveness of police investigation and expedite case resolution, police stations require additional forensic resources, well-trained personnel and increased staffing in dedicated investigation wings. The Ministry must also confront the long-standing issues of under-staffing within the premier intelligence and investigation agencies. The chronic shortage of personnel in the Central Bureau of Investigation has significantly hampered the agency's work, as, in October, 2023, there were 42 Superintendent of Police level vacant positions out of 73 sanctioned posts marking the highest vacancy rate among all the 17 police organisations. The Intelligence Bureau closely follows with 32 vacancies of the same SP level. The SP level officers play a crucial role in investigations as they supervise and are directly engaged with cases. Studies indicate that high caseloads correlate not to just low conviction rates and court delays but also the sub-standard evidence collection and analysis. Therefore, addressing these staffing gaps and resource shortages is crucial for enhancing the overall efficiency of law enforcement agencies.

The use of forensic techniques in evidence collection is crucial in building strong cases specially in serious crimes like homicide, sexual assault and burglary. Forensic science goes beyond the analysis of finger prints and, as such, it actually provides the necessary tool for examining documents, mobile phones, computers and audio, video footages. However, the challenges of high case load, outdated equipment, shortage of experts, deficiency in police training and implementation translate to rare uses of forensic analysis as per several reports. The scarcity of evidence is a major

reason for India's low conviction rates for offences against human body including murder, sexual assault, kidnapping and human trafficking. Even for crimes against women, our national average conviction rate remains 25.3 per cent according to the NCRB data. Currently, only 10 to 12 cases are referred to forensic science labs. These labs are already overburdened with pending cases. A study indicates that if cognisable offences are referred to the forensic science laboratories, backlog of cases would increase eight-fold. The hon. Home Minister recently announced that forensic investigation will be mandatory for all offences with a punishment of over six years. There is, however, a lack of resources in this regard. We are lagging behind global standards in adopting modern forensic techniques in criminal investigation. Developed countries have 20 to 50 forensic scientists for one lakh people, while India has only one person for every three-lakh people. Approximately, only 5000 forensic professionals are working across the country. Moreover, the report claims that many police stations lack access to forensic technology. This highlights the need of significant improvement by adopting the advanced forensic methods to align with international standards. There is a significant deficiency in specialised training. Although police undergo training academically covering various subjects such as policing, criminal law, weapons training, media etiquette and physical training, there is a notable gap when it comes to forensic technology. Research indicates that one-third of civil police personnel in India have never received training in forensic technology. Experts have stressed on the importance of having personnel with expertise in

forensic science involved in every step of criminal investigation. With these suggestions, we support these three Bills. Thank you very much.

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक बिल पर अपने विचार रखने का अवसर दिया है। मैं अपनी सरकार, माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूंगा कि भारत की क्रिमिनल न्याय प्रक्रिया में आज का दिन मील का पत्थर है, जब हम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पर चर्चा और इनको पारित करने वाले हैं।

महोदय, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पीनल कोड के स्थान पर आ रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के स्थान पर आ रही है और भारतीय साक्ष्य विधेयक, इंडियन एविडेन्स एक्ट के स्थान पर आ रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस पूरे प्रस्तावित कानून का कुछ दर्शन है। इंडियन पीनल कोड में पेनल्टी पर एम्फसिस था कि आपको दंडित करना है। भारतीय न्याय संहिता में न्याय पर एम्फसिस है कि हमें लोगों को न्याय देना है। यह बहुत बड़ी सोच का अंतर है, जिसे हमें समझना जरूरी है। दूसरी बात, जो नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें क्या था कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर, एक प्रोसिजर प्रस्तावित करता था कि कैसे लोगों को पेनल्टी देनी है और अपील करना है। उसकी जगह पर जो कानून आ रहा है, वह सुरक्षा संहिता है कि कोई अपराधी भी हो, तो उसकी प्रक्रिया में, उसकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए। यह बात भी कही गई है। साक्ष्य अधिनियम के बारे में तो बातें हैं ही कि कैसे सबूत हों, उनको कैसे प्राप्त किया जाए और कैसे कार्रवाई हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपकी कृपापूर्वक अनुमति से सदन के सामने इंडियन पीनल कोड, 1860 की थोड़ी पृष्ठभूमि देना चाहूंगा। अगर आप इन तीनों कानूनों को देखेंगे तो सन् 1860

में इंडियन पीनल कोड आया। एक्टिस एक्ट सन् 1872 में आया और सीआरपीसी सन् 1882 में आया। इन तीनों के पहले एक छोटा कानून था।

अध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि सन् 1857 में भारत की आज़ादी का पहला आंदोलन हुआ था, जिसमें भारत के महान क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर के लोगों को बहुत छकाया था। उन क्रांतिकारियों में रानी लक्ष्मीबाई थीं। हमारे बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे और तात्या टोपे जी थे। हम सभी का नाम जानते हैं। उसके बाद कंपनी बहादुर का राज खत्म हुआ और विक्टोरिया महारानी का राज शुरू हुआ। मतलब कि अंग्रेज़ों ने भारत के साम्राज्य को सीधा अपने कंट्रोल में लिया। यह बात जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब भारत पर शासन करना है, तो मैं अंग्रेज़ों की एक बात की तारीफ़ करूंगा कि कोई भी काम करेंगे, अन्याय की पराकाष्ठा भी करेंगे तो कानून का दिखावा दे कर करेंगे। जितना मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, उतना ज्यादा पता चलता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां आज़ादी के आंदोलन में एक कच्ची फांसी हुआ करती थी। ...

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ये कानून कितने सालों बाद परिवर्तित हो रहे हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, यह 151 सालों बाद हो रहा है और आज़ादी के 75 वर्षों के बाद हो रहा है। महोदय, मैं आपको अपने यहां की कच्ची फांसी के बारे में बता रहा था। हमने पता किया कि यह कच्ची फांसी क्या होती है, तब मालूम हुआ कि कोई कैप्टन स्कॉट घूम रहे हैं, उन्होंने किसी क्रांतिकारी को पकड़ा और पेड़ पर लटका दिया कि 'I, Captain Scott, in exercise of power so-and-so, hereby give you capital punishment'. महोदय, अगर आज आप भी देश में घूमें तो आपको ऐसे बहुत से पुराने पेड़ दिखाई पड़ेंगे, जहाँ क्रांतिकारियों को कच्ची फांसी दी गई थी। इसलिए अंग्रेज़ जो भी करते थे कानून के दायरे में करते थे। हमें मूल रूप से उनकी दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने यह किया कि कानून बनाना है दंड देने के लिए और

दंड देना है तो उसके लिए कानून की एक प्रक्रिया हो, तो सीआरपीसी ले आए। फिर उसके लिए एविडेंस चाहिए तो एविडेंस एक्ट ले आए।

माननीय अध्यक्ष जी, एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, जिसको मैं सदन के सामने बड़ी विनम्रता के साथ रखना चाहूंगा। उनको हिन्दुस्तान पर राज करना था, तो ऐसे हिन्दुस्तानी भी चाहिए, जिनका चेहरा हिन्दुस्तानी था, लेकिन दिमाग अंग्रेज था और दिल में अंग्रेजों के लिए सम्मान था। *Their skin may be Indian but their mind must be British.* उसके लिए यूनिवर्सिटी खोलनी थी, पढ़ाई करना था। जब मैंने इस पर थोड़ा शोध किया तो मुझे एक बहुत रोचक बात मालूम हुई। भारत में जितने पुराने विश्वविद्यालय हैं, उन सब की स्थापना का कालखंड लगभग वही है, जब ये तीनों कानून बन रहे थे। चाहे वह कोलकाता यूनिवर्सिटी हो या बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो या बाकी यूनिवर्सिटीज हों, कुछ पहले खुली होंगी, लेकिन बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज के खुलने का समय भी इन कानूनों के साथ-साथ है।

अध्यक्ष महोदय, इसकी पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। मैंने आरंभ में ही कहा कि यह न्याय संहिता है। यह पीनल कोड नहीं है। यह इसका दर्शन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन, हाँ, एक चिंता की बात होती है कि इतना लंबा समय क्यों लगा और क्यों लगनी चाहिए? वर्ष 1973 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ, पहले भी कुछ हुआ था, लेकिन भारत की आवश्यकताओं के अनुसार जो एक सुविचारित तीनों कोड्स को बदलने का प्रयास था, वह क्यों नहीं हुआ? डिसकवरी ऑफ इंडिया को लिखने वाले लोग, जब भारत को डिसकवर कर रहे थे, इस औपनिवेशिक दासता को क्यों भूल गए? ये बड़े सवाल हैं, ये उठने चाहिए और मैं उठाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई। उन्होंने 15 अगस्त को लालकिले से कहा कि हम किसी औपनिवेशिक प्रतीक को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, आज इसी संदर्भ में मुझे एक और बात कहने की इच्छा हो रही है। आज़ादी आई, तो जगह-जगह जॉर्ज पंचम की मूर्तियाँ थीं, विक्टोरिया की मूर्तियाँ थीं, बगल में

राजपथ था, जहां आज कर्तव्य पथ है। उनको हटाया गया, ठीक हटाया गया। लेकिन, हमारे जो महान नेता थे, उनको सम्मान देने में इतना विलंब क्यों किया गया? सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी पहले क्यों नहीं बन सकती थी? उसके लिए क्यों नरेन्द्र मोदी को ही आना पड़ा, ये बड़े सवाल हैं और यहां उठने चाहिए। यह उसी मानसिकता से लिंकड है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिल्ली में तभी क्यों लगी, जब नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। यह जो पूरी सोच है, उसको समझना बहुत जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष जी, आज चूंकि आपने मुझे कृपापूर्वक अनुमति दी है। अंग्रेजों के इस कानून के समापन और भारतीय प्रयास पर अपनी बात रखने का मुझे अवसर मिला है। अगर माननीय गृह मंत्री जी के इस बिल पर अपनी बात रखने का अवसर मिला है तो मेरे मन में जो उदगार हैं, उनको मैं रखने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष जी, मुझे गुलामी मानसिकता के बारे में कुछ और कहने की इच्छा है और कृपा करके आप मुझे अनुमति दीजिए। यह विषय इससे सीधा नहीं जुड़ा है, लेकिन विषय जुड़ा है। प्रभु राम के मंदिर को बनने में 500 साल क्यों लगे? यह मुझे जानने की इच्छा है। मेरा परम सौभाग्य था कि इस मामले में एक वकील के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश होने का मुझे सौभाग्य मिला था। लेकिन, 500 साल क्यों लगे? आज जो कृष्ण जन्मभूमि है, आज जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसके लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है? जब आजाद भारत बनता है तो आजाद भारत की जो आजाद आस्था है, उसका भी सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये बड़े सवाल हैं और यहां उठने चाहिए। आज मैं इस सदन को बताना चाहूंगा, पहले भी चर्चा हुई है कि अंग्रेजों के समय के 1500 पुराने कानून जो अनुपयोगी थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन, हाँ, ये जो तीनो पीनल न्याय संहिताएं हैं, क्षमा करेंगे, पुरानी आदत को जाते-जाते समय लगेगा। न्याय संहिता और बाकी संहिताएं हैं, इनमें एक बहुत बड़ी बात है। पहले भी कई कमीशन आए थे, जस्टिस मलिमथ कमीशन था, जस्टिस वर्मा कमीशन था, जस्टिस माधवन कमीशन था। लेकिन, यह पहला कानून में बदलाव है, जिसमें इतना सघन संवाद हुआ है। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी का विशेष

रूप से अभिनंदन करूंगा कि मैंने किसी कानून में इतना वाइड लेवल ऑफ कंसल्टेशन नहीं देखा है। सारे एमपीज़ को चिट्ठी लिखी गई। एक बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी को इसका नोडल प्वाइंट बनाया गया।

एकैडमीशियन्स से बात हुई, जजेज़ से बात हुई, रिटायर्ड जजेज़ से बात हुई, वकीलों से बात हुई, कानून के प्रोफेसर से बात और 158 कंसल्टेशन्स में माननीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित थे। यह कंसल्टेशन कितने वाइडर लेवल का होता है, यह इस बात से बहुत ही स्पष्ट है। आज जब 15 सौ कानूनों के निरस्त होने की हम बात कर रहे हैं और इस पर आ रहे हैं तो मन में एक और विचार आ रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैंने दो-तीन बार सभापति जी बोला, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये जो भारत की नौसेना वगैरह में बहुत से ब्रिटिश इनसिग्निया थे, इनका बदलाव भी कब हुआ, माननीय प्रधान मंत्री के आह्वान पर हुआ। महाराज शिवाजी की जो नौसेना थी, उसका जो सिम्बल था, उसको आज भारतीय नौसेना का प्रतीक बनाया गया है, यह कितनी बड़ी बात है। यह पहले क्यों नहीं हो सकता था?

अध्यक्ष जी, तीनों विधेयक की कुछ प्रमुख बातें मैं यहां रखना चाहता हूँ, फिर मैं इसके पॉइंटेड तथ्यों पर आऊंगा। पुराने पीनल कोर्ट में 511 प्रावधान थे, सैक्शन्स थे, नये में 356 होंगे। 175 सैक्शन्स बिल्कुल बदल दिए गए हैं, 8 नये जोड़े गए हैं और 22 सैक्शन्स को निरस्त किया गया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक में 167 की जगह 170 प्रावधान होंगे, 23 प्रावधान बदल दिए गए हैं। भारतीय सुरक्षा संहिता के सीआरपीसी में 533 प्रावधान होंगे, जिनमें 107 बदल दिए गए हैं। 9 नये सैक्शन्स जोड़े गए हैं और 9 प्रावधानों को बदला गया है। ब्रिटानिया संसद के द्वारा पारित इन कानूनों के सारे औपनिवेशिक प्रतीकों को भी समाप्त कर दिया गया है। हर मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी, दी काउंसिल, दी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उनको नमस्ते किया गया है। अब भारतीय संसद सर्वोपरि है। वह इस कानून का सार है, यह मैं कहना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विचार में इन कानूनों का सबसे प्रमुख विशिष्ट यह है कि यह युग टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी ताकत है। यह युग सूचना का है और सूचना ताकत है। This is the age of technology; technology is power. This is the age of communication; communication is power. आज इस पूरे मामले में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसका सदुपयोग करें। इसीलिए, डॉक्यूमेंट की परिभाषा को बदला गया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकार्ड, ईमेल, सर्वर लॉक, कंप्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल इलेक्ट्रॉनिक एवीडेंस, मॉल्स मैसेज ऑन डिवाइस, आदि के उपयोग से कागजी दस्तावेज के पहाड़ का भार कम होगा।

इसमें दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है? अभी तक सिर्फ कुछ कामों के लिए आप वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से कोर्ट में जुड़ते थे, अब आपका पूरा ट्रॉयल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से हो जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा, कंप्लेंट का एग्जामिनेशन हो जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। आप देखते हैं कि उनको जेल से कोर्ट्स में लाना पड़ता है। रास्ते में क्या-क्या होता है, आप सुनते ही रहते हैं। इससे बहुत बड़ी सुरक्षा का दबाव भी इसके माध्यम से कम होगा। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट से जजमेंट तक, सभी को डिजिटाइज करने का प्रावधान है, यह एक बहुत बड़ी बात है। सर्च और सीजन के दौरान वीडियोग्राफी होनी जरूरी है, ताकि लोग ये न कहें कि पुलिस ने यह किया और यह नहीं किया। यह पारदर्शिता को स्थापित करता है। यह इस पूरे नये प्रस्तावित अधिनियम की बहुत बड़ी विशेषता है। बिना वीडियो रिकार्डिंग के कोई भी चार्जशीट को वैधानिक नहीं माना जाएगा।

फॉरेंसिक साइंस को आगे बढ़ाना जरूरी है। जब इतनी बड़ी संख्या में हम टेक्नोलॉजी को आगे ला रहे हैं तो मुझे भारत के प्रधान मंत्री जी का अभिनन्दन करना है कि उन्होंने गुजरात में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनीवर्सिटी स्थापित की है और कुछ ही वर्षों में 33 हजार साइंस एक्सपर्ट्स उपलब्ध होंगे। यह एक नया नौकरी का, एंपॉवरमेंट का अवसर मिलने वाला है। यह अच्छी बात है, होना चाहिए।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि एक बार अपने स्तर पर जरूर स्टेट्स का फर्क देखना चाहिए, उनके थानों के कितने थाना इंचार्ज लोग डिजिटली ट्रेंड हैं, यह एक चिंता का सवाल है। आज हम सभी के पास मोबाइल जरूर है लेकिन उनकी ट्रेनिंग कितनी है, इस बारे में हमें थोड़ा देखने की जरूरत है। मैंने इसे दूसरे रूप में देखा है। फॉरेन्सिक एक्सपर्ट की उपलब्धता के बारे में भी ट्रेनिंग देखने की जरूरत है।

मैं यहां एक विषय उठाना चाहता हूं जिस पर बहुत चर्चा हुई है - राइट ऑफ प्राइवैसी। आप हमेशा टेक्नोलॉजी लाएंगे तो प्राइवैसी का क्या होगा? ऐसे लोगों से मुझे एक बात कहनी है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बहुत ही स्पष्ट हैं, A criminal has no Right to Privacy or a corrupt person has no Right to Privacy. उनको पुलिस कभी गिरफ्तार ही नहीं कर सकती है। रांची में एक सांसद जी के यहां साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये मिलेंगे तो इनकम टैक्स तो वहां जा ही नहीं सकती है, क्योंकि this is my Right to Privacy. इस पर दुनिया का कानून बहुत ही स्पष्ट है। कुछ लोग टेक्नोलॉजी के संबंध में बार-बार राइट टू प्राइवैसी की बात करते हैं। मेरे ख्याल में उन लोगों को थोड़ा कानून पढ़ने की जरूरत है। पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, this Right to Privacy, which is a Fundamental Right, does not extend to condone corruption and to condone crime. ये बात समझना जरूरी है, मुझे लगा कि इस विषय को मुझे रखना चाहिए।

इस अधिनियम की एक चीज को समझना जरूरी है। चूंकि इंडियन पीनल कोड दंड पर था, इसलिए कई प्रमुख अपराध पहले नीचे थे और अंग्रेजी साम्राज्य को मजबूत करने वाले प्रावधान ऊपर थे। इस पूरी सोच को भारतीय न्याय अधिनियम में बदला गया है। इसका मतलब महिला संबंधित कानून सबसे ऊपर है। आप इस बात को समझिए। जब मैं यह बिल पढ़ रहा था तो मुझे यह सोच बहुत ही अच्छी लगी कि किस प्रकार से अंग्रेजों के बनाए कानून और हमारी सोच में अंतर है।

महिला और बच्चे का बहुत विस्तार से प्रावधान रखा गया है, माननीय गृह मंत्री जी उसके बारे में बताएंगे। पहले जो मानव संबंधित ऑफेंसेज थे, जैसे धारा 302 में मर्डर, अटैम्प्ट टू मर्डर, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को लेकर मर्डर, बलात्कार, ये सब चैप्टर रोमन xvi में थे, धारा 302 में हत्या का पूरा विश्लेषण था, अब यह सीधे ऊपर आ गया है। बलात्कार का प्रावधान न्याय संहिता की धारा 363 से 364 में है। एक बात और कही गई है, मुझे दो प्रावधानों ने बहुत ही प्रभावित किया है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा। एक होता है समरी ट्रॉयल और एक होता है वारंट ट्रॉयल। समरी ट्रॉयल पुराने कानून में होता है, दो साल या उससे कम की सजा है तो आपका तेज ट्रायल होगा।

माननीय गृह मंत्री जी ने इस बिल में एक और काम किया, अब समरी ट्रॉयल के सजा वाले को दो से तीन साल तक की सजा होगी, उसका समरी ट्रॉयल होगा। उसके कारण क्या हुआ? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में हजारों केसेज पड़े हुए हैं, वे सीधे नीचे कोर्ट में चले जाएंगे और समरी ट्रॉयल होगा और पेंडेंसी खत्म होगी, इसे कहते हैं इनोवेटिव सोच। मुझे एक बात और बड़ी अच्छी लगी, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। मान लीजिए, कोर्ट में बहस हो गई, जज साहब बैठे हुए हैं कि निर्णय आएगा, लेकिन तारीख पर तारीख होती रहेगी। उसके बाद बहस, बहस के बाद जब माई लॉर्ड का मूड होगा, तब निर्णय देंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसमें इस बात का प्रावधान है कि निश्चित समय अवधि पर चार्ज फ्रेम होने के बाद मामले की सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद 30 दिनों के अंदर निर्णय देना होगा और सात दिनों में उसे अपलोड करना होगा ताकि अगर आपको अपेक्षा है तो आप जयपुर में बटन दबाकर देख सकें और मैं पटना से बटन दबाकर देख सकूँ कि निर्णय क्या आया है। अध्यक्ष जी, मैं बहुत सम्मान से कहता हूँ, जबकि यह बहुत पीड़ादायक है कि बड़े-बड़े ट्रायल्स पेंडिंग हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा क्योंकि इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। बड़े हाई कोर्ट्स में क्रिमिनल अपीलस 7, 8 और 15 साल से पेंडिंग हैं, सिविल अपीलस पेंडिंग हैं, वह भी गलत है। कई बार हम अखबार में पढ़ते हैं कि किसी को 20 साल पहले आजीवन कारावास की

सजा हुई, उसे रिवर्स कर दिया गया और वह दस साल जेल में रह गया। किसी की 20 साल पहले रिहाई की गई थी और 22 साल बाद उसे कन्विकट कर दिया गया। क्या ऐसा होना चाहिए? अगर हम लोकतंत्र हैं तो इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि माननीय गृह मंत्री जी इसका कोग्निजेंस लेंगे। हमारे लोकतंत्र की एक समस्या है कि कोर्ट की सुनवाई कैसे हो, यह माईलॉर्ड का काम है, न्यायपालिका का काम है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन काम तो उन्हें ही करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जजमेंट लिखनी पड़ेगी। एक और बात है, आजकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही मजबूत किया गया है। आपने देखा होगा कि भारत सरकार कोर्ट सिस्टम, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत पैसे देती है।

अध्यक्ष जी, कुछ नए ऑफेंसेज़ पैदा हुए हैं। मोबाइल स्नैचिंग का कोई प्रावधान नहीं था। चेन स्नैचिंग का कोई प्रावधान नहीं था, जबकि यह रोज होता है। अब इन सबको अलग से ऑफेंस बनाया गया है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने चैलेंजेज़ के बारे में सोचा है और इसके लिए अलग से प्रावधान किया है।

अध्यक्ष जी, आतंकवाद को लेकर बहुत चर्चा होती है, लेकिन इसकी कोई डेफिनिशन नहीं है। इस कानून में आतंकवाद की डेफिनिशन रखी गई है और बहुत विस्तार से रखी गई है। इस सदन में बार-बार ह्यूमन राइट्स की चर्चा होती है। इस सदन में बार-बार बातें होती हैं, जैसे राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेसन। मैं उन लोगों से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि धारा 19 में जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसी में 19(2) भी है, which says that in the interest of the sovereignty, integrity and security of India, your freedom of speech can be reasonably restricted. इसे हमने नहीं बनाया है, यह तब से है जब धारा 19 का जन्म हुआ था यानी जब उनकी सरकार थी। इसे बनाने वाले कौन लोग थे? डॉ. अम्बेडकर, सरदार पटेल, जवाहर लाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, ये बिल्कुल गांधी जी के अनुयायी थे, लेकिन फिर भी उनको लगा कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता बहुत आवश्यक है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आज आतंकवाद से खतरा है या नहीं? क्या आज

आतंकवादी देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं या नहीं? इसलिए आतंकवाद को अपराध मानने की जरूरत है।

अध्यक्ष जी, इस सदन में कुछ दिनों पहले दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मैं आपका अभिन्नंदन करता हूँ कि आपने हम लोगों को पत्र लिखा और विस्तार से बताया, जो कि बहुत ही भावुक था। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं? इस सदन में जो घटना हुई, उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग यह कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कर्नाटक में समस्या है या नहीं? केरल में समस्या है या नहीं? बंगाल में समस्या है या नहीं? अगर विपक्ष की विधान सभाओं में कुछ लोग कूदकर आग लगाने की कोशिश करें, पाउडर गिराने की कोशिश करें, तो क्या उनको उचित लगेगा? लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, लोकतंत्र नियमों से चलता है, लोकतंत्र संयम से चलता है।

मैं उन लोगों की टिप्पणी देख रहा हूँ, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए मुझे लगा कि उनको रखूँ। इस पूरे प्रावधान में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अपराधी अपराध करके भाग जाते थे, तो उनका क्या किया जाए? तो उनके लिए एक शब्द था- absconder.

पहली बार इन नियमों में, इन कानूनों में इस बात की चिंता की गई है। पहले क्या करते थे कि आपका ट्रॉयल सेपरेट कर दिया और बाकी का ट्रॉयल होगा। बाकी के लोग कहते थे कि काँस्पिरेसी करने वाले तो मेन लोग लंदन, दुबई, अमेरिका, कनाडा और अफ्रीका में बैठे हैं, तो ट्रॉयल कैसे करेंगे? इस वजह से लटक जाया करता था। अब उनका ट्रॉयल सेपरेट नहीं होगा। उनका भी ट्रॉयल होगा। Trial in absentia - उनको सजा मिलेगी। वे चाहें तो अपील कर सकते हैं। अगर अपील करनी है, तो हिंदुस्तान वापस आना पड़ेगा। अगर सजा हो गयी, तो आप सजायाफ़्त हैं। उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी और बाकी कुछ भी होगा। उसी प्रकार से यदि कोई विदेश में अपराध की प्रॉपर्टी लेता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जीरो एफआईआर- मान लीजिए कि असम में कोई घटना हो गयी, लेकिन आप दिल्ली या मुंबई में रहते हैं, तो क्या करें? आप अपने क्षेत्र में उसकी एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो सिस्टम से वहां

चली जाएगी। समाज की जो व्यावहारिक चुनौतियां थीं, उनके निराकरण के लिए आपने बहुत ही प्रभावी काम किया है। मैं पुनः अभिनन्दन करना चाहूंगा। मैं थोड़ा लम्बा बोल चुका हूँ, इसलिए अब समाप्त कर रहा हूँ। यह मेरा बड़ा प्रिय विषय था, इसलिए मैं 35 मिनट तक बोल गया। इसलिए अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बात मुझे और कहनी है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): अध्यक्ष जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है।

माननीय अध्यक्ष : इसमें प्रश्न नहीं पूछते, वह मंत्री नहीं हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : जो नया कानून आ रहा है, उसमें आपका रोजगार घटेगा या बढ़ेगा?

श्री रवि शंकर प्रसाद : इस पर मैं आपसे बाहर बैठकर बात करूंगा, क्योंकि यह मामला केवल मेरा नहीं है, बल्कि इस हाउस के कई सदस्यों का है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मुझे एक और बात कहनी थी कि इसमें एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है - कम्युनिटी सर्विस। यदि आपने कोई अपराध किया, petty offence किया, तो जाइए थोड़ी समाज सेवा आप करिए। यह अच्छी बात है और यह होना चाहिए। इससे बहुत लोगों को सुधारने का अच्छा अवसर मिलेगा। कम्युनिटी सर्विस में डिफेमेशन भी आता है। उस साइड के जो मेंबर्स हैं, जो बार-बार कई बातें कहते हैं, तो शायद वह कम्युनिटी सर्विस करेंगे, तो कुछ सुधार होगा। क्या मैंने ठीक बोला?

अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का पूर्ण समर्थन करता हूँ। यह एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है। माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी का अभिनन्दन। प्रणाम।

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH-WEST): Hon. Speaker, Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity. At the outset, I express my wholehearted support to the Bills under consideration on behalf of Shiv Sena party.

Sir, it has been a priority of the Government to curb the crimes, which are increasing day by day all over India. The crime-mongers are not afraid of police action or law courts since they know well that they would not be punished soon for their crimes or unlawful activities. There are a total of 806 districts in 28 States and eight Union Territories. To deal with crime and civil cases, 672 district courts and 25 higher courts have been established, which are working effectively.

Sir, though the total sanctioned strength of judges in the country is 1443, only 785 judges have been appointed. Thus, 658 posts of judges are lying vacant.

17.00 hrs

This has resulted in a large number of pending cases, say, approximately five lakh plus all over India. The total number of cases pending for more than 30 years is 1,69,000, and 4.3 crore in High Courts throughout India. Considering the large number of pending cases in the courts, top priority should be given to fill up the vacancies of judges. Not only this, it is also necessary to increase the number of courts and judges. This only can have a deterrent effect on the crimes and criminals. The citizens who are awaiting

justice in their years-long cases will be happy to get final verdict in the court within a reasonable time.

The Bharatiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita, 2023 now includes a new section 530(ii) as part of our commitment to creating a digital India. As per this section, trial and proceedings under this Code may be held in an electronic mode by use of electronic communication or use of audio-video electronic means.

An FIR plays a vital role in initiating criminal proceedings and taking the guilty party to the court. Despite multiple attempts to streamline the process, a hurdle still persists in the form of delay in lodging an FIR. The Code of Criminal Procedure, CrPC's Section 154 is set to undergo an important modification through the Bharatiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita. The modification would add Section 173 which states that an FIR for a cognizable offence can be filed through electronic means irrespective of the area where the offence occurs. Also, this is different from the process of uploading the FIR online by police which pertains to making a traditionally filed FIR available in digital form. Under this section, the police officer is mandated to electronically record the information on being signed within three days by the person giving it.

The Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita also mandates promptly delivering free of cost a copy of the recorded information to the informant or to the victim as per clause 173(2) of the Bill. This approach enables citizens to report crimes or provide information *via* electronic means rather than resorting to in person visit to police station which might not be feasible due to security

reasons or any other issue. Additionally, this may also reduce the hesitation shown by the police officer to lodge an FIR because of its highly transparent nature. Now, the Bill proposes the use of digital technology in eliminating human errors or mischief, and reduces the risk of corruption within the Police Force.

These collective efforts aim to modernise and streamline the FIR registration process.

With these words, I conclude. I really express my thanks. At this stage it is very much necessary. We have completed 75 years of our Independence. So, it was very much necessary. I express my thanks to Amit Shah ji. Thank you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, you had asked a very pertinent question how much time has flown after the IPC, CrPC and the Indian Evidence Act came into existence. I was just making a calculation. The IPC is 163 years old. The Indian Evidence Act is 130 years old. If we calculate and consider 1972 when the promulgation of CrPC was done, though it was there earlier, it is already 51 years old. All these three Acts which are going to be repealed today are the Acts of 19th century and 20th century. We are in the 21st century.

I would say, four months ago after the first introduction of three new pieces of legislation to overhaul the criminal justice system, the hon. Minister for Home Affairs placed it before us, he revised it last week. The new criminal code makes some crucial changes. The Bills for the first time bring terrorism, corruption, and organised crime under the ambit of ordinary criminal law. There were special laws earlier but now it has come into the ordinary criminal law. These aspects were reserved for stringent special legislation since they upend the general protection by reversing the burden of proof on the accused as per French jurisprudence to restrict bail. At the time of introduction, the Government had told us that three provisions of IPC, that is, sedition, criminalisation of homosexuality, and adultery had been repealed. Fine print shows rajdroh has been changed to deshdroh. The narrative has been doing the rounds for quite some time that the Indian criminal justice system is not delivering. Victims of crime are often helpless. The cases are dragging endlessly and courts are getting choked. These are the four major issues

which actually were perturbing us for quite some time. All this is being caused, it is said, because of colonial laws that somehow do not fit with Indian traditions, Indian customs.

The magnificent edifice of the democratic structure today in India rests on the rule of law. As it is always said, as the civilisation progressed, the society formed a ruler or created a *raja* but the *raja* has to perform his duty through law. It is not actually the *raja* who protects the subjects. It is the law which protects the subjects. That is the reason why we look up to our Constitution with great hope and admiration because it is not the Prime Ministers or the Chief Justices who give justice. They do not give us justice. It is the law which protects every citizen of this country. It may be said the State does not protect the citizens. It is the law that protects the citizens. The law is supreme. The three Bills that are before us today are replacing laws of 19th and 20th century. The question is whether they reflect current norms of criminal jurisprudence.

Numerous facets of the Indian criminal justice system predate our independence from the British.

The IPC was modelled after the Irish Penal Code made by English rulers that came into effect in 1860 though the Commission was formulated in 1838 and took 20 years to frame the provisions of the Penal Code. Subsequently, it got implemented in Ireland, but in India it got implemented in 1860. The CrPC was enacted in 1861 and revised in 1973, which establishes the rules for criminal proceedings. In 1872, the Indian Evidence Act modelled as per the

British jurisprudence was passed. Since 1872 this has not undergone any significant changes. Now, it is going to be changed with the approval of this House.

Invariably, there had been some talk in media and also outside that how can we pronounce these Hindi versions of the law -- Bharatiya Nyaya Sanhita. As Indians are very innovative, they have already found a way out. Instead of saying Bharatiya Nyaya Sanhita the lawyers are also saying BNS. So, in that respect, that is not an issue in some quarters where they have a tendency not to utter Hindi names or Indian names.

BNS is primarily going to be a primary legislation governing criminal offences. This Bill preserves several sections of IPC. Additional changes include the implementation of new laws targeting organised crime and terrorism; strengthening of punishment for certain existing offences is made and it introduces community service as a form of punishment for some minor offences. Importantly, excluded from consideration are specific violations under IPC that have been invalidated or modified by judicial rulings. These include acts of adultery and same-sex intercourse that is stipulated in section 377. BNS will have 365 sections instead of 511 sections. 175 sections have been changed, eight new sections have been added and 27 sections have been repealed.

Now, I would come to three or four specific sections of Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). Now, IPC section 124A, that is sedition, says: "... words, either spoken or written, or by signs attempts to bring into hatred or contempt, or

excites or attempts to excite disaffection towards the Government established by law ..." be punished. This is the sum total as sedition has been described, and a large number of freedom fighters including my parents were all imprisoned because of this section and went behind bars for months and years together.

But section 150 of the BNS, 2023 says and I quote: "... or by electronic communication or by use of financial means, excites or attempts to excite secession or armed rebellion or subversive activities, or encourages feelings of separatist activities or endangers sovereignty or unity and integrity of India be punished". Instead of Government, as I said earlier, established by law, the new section says 'endangers sovereignty or unity and integrity of India'. This is a very welcome step.

But I still find some loopholes, which need to be plugged. Instead of making incitement to violence or disruption to public order a condition precedent to invoke the charges, the proposed section 150 continues to criminalise any act that excites or attempts to excite secessionist activities or encourages feelings of separatist activities. Furthermore, it penalises a person who indulges in or commits any such act thereby giving the law enforcement agencies a greater discretion to decide what can be brought within the fold of an 'act' endangering sovereignty, unity and integrity of India for slapping the charges.

This discrimination needs to be looked into. This bill gives a wide spectrum of discretion to the enforcing agencies.

Thirdly, the term 'separatist activities' can be interpreted in several ways and can be used as a political tool to curb opposition parties to organise protests against any of the policies tabled by the Government.

Section 153 (b) of IPC has been recast as clause 195 of BNS with an addition where 195 (1) sub-clause (b) criminalises the making or publication of false and misleading information jeopardising the sovereignty, unity, integrity or security of India. The phrasing of clause 195 (1)(d) raises three potential causes for concern. 'False and misleading' and 'jeopardising' are the two words that render the clause very vague. There needs to be clarity. It leads to multiple interpretation. Similarly, the word 'jeopardises' can cover a wide unforeseeable range of consequences. Why do you leave all this in the hands of decision makers? It should be noted that the criminal law does indeed deal with the matter of determining what constitutes false information. It also does in other situations such as making a false statement under oath or providing fraudulent evidence, but in this clause, due to subjective nature of determining truth or falsehood, despite the need to control the mass dissemination of misleading information, it will become very challenging.

Another issue which has been incorporated in BNS is the 'organised crime'. Clauses 109 and 110 have been introduced effectively to deal with organised crime. Clause 109 borrows heavily from the existing State legislations in organised crime, especially from Gujarat and Maharashtra. That is also necessary. Clause 110 creates a separate category of 'petty organised crime' from 'organised crime' for the first time. IPC section 120 (a) deals with

criminal conspiracy where two or more persons agree to commit a crime. There are two things, 'gang criminality' and 'racketeering', that have not been defined, so are 'anchor points'. There is a word 'anchor points' that I fail to understand. There is no distinction between the commission of an offence and its attempt. It has to be looked into.

Then the concept of community service is not there in IPC. This is a welcome step but BNS does not define what community service will entail and how it will be administered. On mob lynching, clause 101, sub-clause (2) and clause 115, sub-clause (4) introduce a new provision against the heinous crime of mob lynching without specifically using the term. Section 352 of IPC is applied for murder. It says, "whoever commits murder shall be punished with death". In BNS, there is a phrase, "personal belief or any other ground which is without any definitional clarity". Therefore, it is quite dangerous. On abortion, section 132 of IPC is there. Unfortunately, except for moving the provision from section 312 up to 316 and from clause 86 to 90, no significant changes have been made. BNS does not even bother to change arcane terms such as 'quick with child' with an appropriate word.

There are certain other words also relating to a cart and relating to a horse. All these things have been there that need to be removed because those were the ideas of 19th century, and most of them have crept in here. It repeats the language that was there in the 19th century. Medical and ethical understanding of pregnancy and abortion has gone tremendous change in today's world. That could have been brought in this BNS.

Now, coming to BNSS, this will replace CrPC 1973. The major issue here is that audio-video recordings are now made in line with the increasing use of technology, and for ensuring greater accountability and transparency in police investigation. Courts have time and again emphasized the need for utilization of audio-video recording. Clause 105 in BNSS is new which aims to record search and seizures through 'audio-video electronic' means, preferably by cell phone. Instead of Section 157 of CrPC, it is Clause 176 relating to procedure for investigation. A proviso is added in the BNSS which was absent in CrPC. However, Section 161 and Section 154 have been retained in Clause 180 and Clause 173 of BNSS. Sub-clause (3) mandates for videography of the process of forensic evidence on mobile phone or any other electronic device which is a safeguard against manipulation and irregularities. This is a crucial safeguard to prevent torture and coercion of the accused during questioning in custody but a significant drawback is that this is not a mandatory requirement.

It is not certain whether subsequent recovery evidence audio/video-wise need to be recorded or not which is not mentioned. There is no mention of audio-video recording during investigation like spot inspection. Instead of Section 164 of CrPC under Clause 183 of BNSS, recording of confessions and statements before a magistrate is crucial safeguard to preserve the rights of witnesses. Confession be recorded in the presence of a lawyer is an all important safeguard against false confession, but this should have been made mandatory. The provision under Section 321 of CrPC has a gap in terms of allowing the prosecutor to withdraw from the prosecution of a case with the

consent of the court without giving the victim a chance to be heard. But this is addressed in Clause 360 allowing that that the victim must be heard before such withdrawal is allowed. This is a significant step. The right to information for the victim has been expanded in BNSS. So, in that respect, I believe that BNSS has expanded the scope in protecting the victim in a very great way.

One issue is relating to handcuffing. It falls short of well-settled constitutional threshold established to protect a person's right to dignity under Article 21. Only thing which has come is in economic offences, offenders are now being exempted from handcuffing.

Clause 398 is an entirely new addition which provides that every State Government shall prepare and notify a witness protection scheme for the State with a view to ensuring protection of witnesses. This is a welcome step, no doubt, but it merely reiterates the direction under Mahendra Chawla case, nothing more than that.

Clause 173(3) introduces a mandate for collection of forensic evidence by the forensic experts in all offences punishable by imprisonment of seven or more years.

This clause broadens the scope of forensic experts which could include private experts without any regulatory body to ensure their proficiency or compliance with professional and ethical standards. That could lead to problems as we have institutes now in our country where boys and girls are studying forensic science. I think, this scope is going to expand in a very great way. But we need a regulatory body also to look into that.

Article 22 of the Constitution requires a person in police custody to be produced before a Judicial Magistrate within 24 hours. The CrPC provides for this. The BNSS retains this provision. There is a phrase 'occasion is past'. This was not defined. But subsequently, after the Standing Committee gave its report, there has been a change in that. BNSS specifies that in petty cases, a person be released as soon as possible within 24 hours but leaves a lot of things for the enforcing agency to their discretion. Suppose I have participated in a demonstration, the police catch hold of me and take me to a certain place 25 kilometres away in a jungle and leave me there, what can I say? I can only travel by foot and come back and say, "Yes, I have come back within 24 hours". But that is not the case. It happens. It happens with political demonstrations.

Now, I come to the last Bill, that is the Bharatiya Sakshya Bill (BSB). The Indian Evidence Act, 1872 provides two kinds of evidences: documentary and oral evidence. The Bill provides that electronic or digital records will have the same legal effect as a paper record. There is a need to reset the justice dispensation system. Appellate courts are overburdened with appeals. Victims are waiting for years and undertrial prisoners are languishing in jail beyond their presumed conviction time.

The policing system has not embraced the advancement of 21st Century technology that has transformed investigation and criminology in other countries. The Indian Evidence Act, 1872 is a relic of the past. We have discussed this aspect a number of times in this House earlier. The Bill exhibits

modern modifications, linguistic adjustments for gender, inclusivity, and replacement of outdated terms such as 'insanity' with 'mental illness'. In the Bill, the definition of 'document' has been expanded to include electronic or digital records on emails, server logs, documents on computers, laptop or smartphone, messages, websites, locational evidences and voice mail messages stored on digital devices. The definition of 'evidence' has been expanded to include any information given electronically which will enable the appearance of witnesses, accused, experts, and victims through electronic means.

The BSB has incorporated most of the recommendations made by the Standing Committee on Home Affairs. Several drafting errors that were highlighted have been also addressed. Under the Indian Evidence Act, information received from an accused in police custody is admissible if it relates to a fact discovered whereas similar information is not admissible if it was received from an accused outside police custody. The BSB retains this distinction.

I am coming to the point regarding why I am mentioning it. In 1960, the constitutionality of this provision was challenged on the ground that it creates an unjustifiable discrimination between persons in and outside custody.

The Law Commission, in 2003, suggested redrafting the provision to ensure that information relating to facts should be relevant, whether the statement was given in or outside police custody. The Law Commission has made several recommendations which are not being incorporated but overall,

the BSB is in tune with time. This is also being discussed outside. I think some Members may also be speaking on that aspect. If I give a statement before police, I may be under duress and it has been pronounced by the court that it is not admissible. If it is given before a Magistrate, one thing has happened that before a lawyer also, it can be recorded as it is happening in some modern or advanced countries.

To a certain extent, the accused needs protection especially from the law enforcing agency. In conclusion, I may say, laws introduced during the colonial era were enacted to keep the subjects -- *Praja*, as we say -- the Indians in line. Therefore, it is imperative that the outlook must be changed, and law and order must be viewed outside the colonial lens. Since the drafting of a new criminal law is in discussion, it is imperative that justice prevails as drafting criminal law of a nation is not a regular practice.

Hon. Speaker, Sir, this reminds me of one thing that we are missing here in this House. It is for your consideration, Sir. In the old House, the present Samvidhan Sadan, there was a line on top of your Chair in Sanskrit which read, 'Dharma Chakra Pravartanaya'. That means, 'Wheel of Righteousness shall prevail'. What we do here, what we discuss here, ultimately, it is to keep the Dharma Chakra turning. So, you can find a suitable place for that here also because that is something unique to our culture and civilisation. That can be considered.

And here, history is in the making today with a new law for our Indian criminal jurisprudence being enacted. That is a great thing which is happening.

I personally thank our hon. Home Minister and also the hon. Prime Minister for taking the initiative. Others could have done it but they did not. You have taken that challenge upon yourself and the Government has taken that challenge. It goes to our credit that we are a witness to this history in making.

Thank you, Sir.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): अध्यक्ष जी, आज एक ऐतिहासिक दिन है। सदन में बैठे हम सभी साथीगण इतिहास बनते देख रहे हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के लिए आज जिन तीन विधेयकों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उनमें भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप तो डायरेक्टर जनरल, पुलिस भी रहे हैं न?

श्री विष्णु दयाल राम : जी सर।

जो इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), 1860, सीआरपीसी, 1878 और 1973 तथा इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 को रिप्लेस करेगा। इसके लिए मैं तहेदिल से आदरणीय प्रधान मंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ तथा उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने के लिए वर्षों से कोशिश हो रही थी, ढेर सारी कमेटीज बनी थीं। उदाहरण के तौर पर, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए बेजबरुआ कमेटी, मलिमथ कमेटी, विश्वनाथन कमेटी और समय-समय पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एवं स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने भी बहुत सारे सुझाव दिये थे। लेकिन वर्ष 2019 के पहले इसमें कोई सार्थक पहल नहीं की गई थी। पहली बार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के दिशा-निर्देश में आदरणीय गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय ने इस दिशा में सार्थक प्रयास शुरू किया। यह चार वर्षों के परिश्रम का फल है कि आज तीन विधेयक सदन के समक्ष लाये गये हैं। इन विधेयकों को लाने के पहले वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन हुई थी। उसमें 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट्स, 22 विधि विश्वविद्यालयों, 142 सांसदों और 270 विधायकों से सुझाव प्राप्त हुए थे। स्वयं गृह मंत्री जी ऐसे कंसल्टेशन के दौरान 158 अवसरों पर उपलब्ध रहे हैं।

जब इन तीनों विधेयकों को लोक सभा में उपस्थापित किया गया, तो इनमें कुछ त्रुटियाँ पाई गई थीं, जिसके बाद इनको स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स को रेफर कर दिया गया। स्टैंडिंग

कमेटी ऑफ होम अफेयर्स की रेकमेंडेशंस और सुझावों में संशोधन लाते हुए, पुनः इसको सदन के समक्ष उपस्थापित किया गया।

मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट अंग्रेजों की हुकूमत को सुदृढ़ करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। ये दण्ड देने के लिए बनाये गये थे, ये न्याय देने के लिए नहीं बनाये गये थे। आज सरकार जो विधेयक लेकर आई है, उसकी जड़ में न्याय देने की भावना है, दण्ड देने की भावना नहीं है। अब मैं विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करूँगा, लेकिन मैं उन बातों को कतई दोहराने की कोशिश नहीं करूँगा, जो पूर्व के माननीय सांसदों ने अपनी-अपनी बातें रखने के क्रम में कही हैं।

17.38 hrs

(Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

इसमें जीरो एफआईआर की बात हुई है, यह पहले से ही प्रचलन में था, लेकिन इसको कानूनी अमलीजामा पहनाने का काम इस विधेयक के माध्यम से हुआ है। निश्चित रूप से, जीरो एफआईआर नागरिकों को सुविधा प्रदान करेगी। यदि किसी भी थाना क्षेत्र में अपराध हुआ हो और हमें उसे दूसरे थाना क्षेत्र में रजिस्टर कराना है, तो हम उसे रजिस्टर करा सकते हैं। जिस थाने के जूरिस्डिक्शन में वह आता है, उस थाने में वह चला जाएगा और रेगुलर एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा। इस प्रक्रिया को 15 दिनों के अन्दर समाप्त कर लेना है। इसी प्रकार से, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर की बात है, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से अपना कम्प्लेंट दायर कर सकते हैं। तीन दिनों के अन्दर उस कम्प्लेंट पर हस्ताक्षर करना होगा और एफआईआर दायर हो जाएगा। नागरिकों को इस प्रकार के एफआईआर दायर करने की जो सुविधा दी गई है, निश्चित रूप से, उस सुविधा को बहुत अच्छे ढंग से और बारीकी से संचालित करने की आवश्यकता है, नहीं तो मल्टीपल एफआईआरज की समस्या इकट्ठा हो जाएगी और इन्वेस्टिगेशन में अनावश्यक रूप से विलम्ब होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(1) के अनुसार, यौन शोषण के मामले में पीड़िता का जो बयान दर्ज करना है, तो उसकी विडियो रेकॉर्डिंग करनी होगी।

यह कम्पलसरी कर दिया गया है। पहले भी अनुसंधानकर्ता अपनी-अपनी इच्छा, अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो रिकॉर्डिंग करने का कार्य करते थे, लेकिन पहली बार इसको मैन्डेट्री कर दिया गया है। जो सात वर्ष से अधिक सजा वाले मुकदमें हैं, उन मुकदमों के place of occurrence पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री की टीम को जाना आवश्यक है।

अब यह सवाल उठता है कि इतने सारे एक्सपर्ट्स कहां से आएंगे? निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखते हुए फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। जैसी कि सूचना है, हर तीन साल में 33,000 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अवेलेबल होंगे। पांच साल के भीतर इस तरह की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। निश्चित रूप से यदि इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाती है, तो कनविक्षन रेट में बढ़ोत्तरी होगी। कनविक्षन रेट को 90 प्रतिशत से ऊपर ले जाने की सरकार की मंशा है।

एक और बात है, जो निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगी, वह यह है कि यदि किसी भी व्यक्ति की थाने में गिरफ्तारी होती है, तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए एक एसआई रैंक का ऑफिसर पुलिस स्टेशन और जिले में नामित होगा। यह गिरफ्तारी की सूचना डी. के. बसु का जो केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, उसमें थी। इसको गिरफ्तारी की सूचना देनी थी, लेकिन थाने से किसी प्रकार की गिरफ्तारी की सूचना, जो व्यक्ति पकड़ा जाता था, उसके माता-पिता या उसके नियर-रिलेटिव्स को नहीं दी जाती थी। इस प्रावधान के चलते अब उनको कम्पलसरी हो गया है, मैन्डेट्री हो गया है कि वे उसकी सूचना देंगे ही देंगे। सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी दी जा सकती है और टेलिफोन या मोबाइल के माध्यम से भी दी जा सकती है।

बीएनएस के इन प्रावधानों से पॉक्सो पीड़ितों को और बलात्कार के पीड़ितों को प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराना सुनिश्चित होगा। ... (व्यवधान) इस प्रकार की कोई सुविधा पहले नहीं थी। ... (व्यवधान) इस प्रकार की सुविधा निश्चित रूप से इस एक्ट के अनुसार

दी गई है। पीड़िता का बयान बंद कमरे में मजिस्ट्रेट के सामने उसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए जरूरी किया गया है। इस तरह की कार्यवाही को सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

इसी प्रकार बीएनएस की धारा 193 के अनुसार बच्चों के खिलाफ जो अपराध दर्ज किए जाते हैं, उन अपराधों का अनुसंधान दो महीनों के अंतर्गत समाप्त किया जाना है। अनुसंधान में हुई प्रगति की जानकारी भी 90 दिनों के भीतर देनी है और उसके बाद हर 15 दिन, जो इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस होगी, उसकी भी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मोड से दी जानी है।

एफआईआर, केस डायरी और चार्जशीट से लेकर जजमेंट तक की जितनी भी कार्यवाही है, सबको डिजिटलाइज करने की बात कही गई है। आरोप पत्र को दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। विशेष परिस्थिति में कोर्ट की अनुमति से और 90 दिनों का समय लिया जा सकता है, यानी 180 दिनों के अंतर्गत, छः महीनों के अंतर्गत आपको उस केस का अनुसंधान समाप्त करना है।

जो व्यवहारिक स्थिति है और जो आज देखने को मिलता है, वह यह है कि 90 दिनों की बात कौन कहे, दो-तीन सालों तक या उससे भी ज्यादा अवधि तक मामले अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत लंबित रहते हैं। इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूँ कि धाराओं में जो प्रोविजन्स किए गए हैं, धाराओं में जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए अकाउंटिबिलिटी फिक्स करना जरूरी है। मॉनिटरिंग क्लोज होनी चाहिए और जो लोग भी इन प्रावधानों को नहीं मानते हैं या उन प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध डेटरेंट पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए। सारे कदमों पर, सारे स्टेजेज पर टाइम लाइन की व्यवस्था की गई है। अनुसंधान 90 दिनों के अंतर्गत समर्पित कर देना है। यदि 90 दिन से ज्यादा की आवश्यकता है तो कोर्ट की परमीशन चाहिए। इसी तरह से जब केस कोर्ट में कमिट हो जाता है, 60 दिनों के भीतर जो पुलिस पेपर्स उसको मिलने हैं, वे मिल जाते हैं तो 60 दिनों के अंतर्गत डिस्चार्ज पिटिशन डाल देनी है। अगर आप 60 दिनों के अंतर्गत डिस्चार्ज पिटिशन नहीं डालते हैं तो उस पर आप अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। एक बार ट्रायल समाप्त हो जाने के बाद 30 दिनों के अंतर्गत

जजमेंट डिलीवर करना है। उनके बाद 60 दिनों के अंतर्गत उस जजमेंट को अपलोड कर देना है। ये सारी व्यवस्थाएं जो की गई हैं, उसमें टाइम लाइन सुनिश्चित की गई है और इस टाइम लाइन को सुनिश्चित कराना अत्यंत आवश्यक है। एक और व्यवस्था की गई है, राज्य सरकारों के स्तरों पर सिविल सर्वेंट या पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध यदि किसी प्रकार का आरोप पाया जाता है और उनको उस केस को कमिट करने की आवश्यकता होती है तो सैंक्शन देना पड़ता है। अब सैंक्शन की स्थिति यह होती है कि राज्य सरकारें उसे लेकर बैठी रहती हैं। उसमें अब 120 दिनों की बाध्यता बना दी गई है कि 120 दिनों के अंतर्गत राज्य सरकार को सैंक्शन देना होगा। यदि राज्य सरकार सैंक्शन नहीं देती है तो वह डीमड सैंक्शन माना जाएगा। इसी तरह से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, हालाँकि उसकी चर्चा पहले हो चुकी है कि ट्रायल इन एब्सेंशिया का प्रोविजन किया गया है। उसको ज्वाइंट ट्रायल माना जाएगा और ज्वाइंट ट्रायल मानकर उसकी सुनवाई होगी। जो भी पनिशमेंट देय होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा और उसके लिए उसको आकर कोर्ट के सामने अपने पनिशमेंट के अगेंस्ट अपील करनी पड़ेगी। प्रोक्लेम्ड अफेन्डर का जहाँ तक प्रश्न है, वे प्रोक्लेम्ड अफेन्डर सैशंस कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर होते हैं। उसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी प्रोक्लेम्ड अफेन्डर डिक्लेयर हो गया, उसकी सम्पत्ति की कुर्की-जब्ती की जा सकती है। यह प्रावधान इसमें किया गया है। जो महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, वह समरी ट्रायल का है। समरी ट्रायल में जो पहले प्रोविजन था, उसमें जिस केस का पनिशमेंट दो साल होता था, उसी को समरी ट्रायल के अंतर्गत रखा जाता था, लेकिन आज उसको बढ़ाकर तीन साल पनिशमेंट वाले केसेज को समरी ट्रायल के अंतर्गत रखा जाएगा। ऐसे केसेज की संख्या काफी है, जो निश्चित रूप से लंबित कांड हैं और लंबित केसेज हैं, उनकी संख्या में कमी आएगी। हैंडकफिंग के बारे में एक बीच में मामला काफी पेचीदा हो गया था, अब इस प्रावधान के अंतर्गत शुरू में अरेस्ट करने के टाइम में और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के टाइम में हैंडकफिंग सर्टेन मामलों में की जा सकती है। उन सारे मामलों का विस्तृत विवरण किया गया है, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि केन्द्र सरकार द्वारा दया याचिका प्राप्त होने पर, राज्य

सरकार से कमेंट प्राप्त होने पर 60 दिनों के भीतर यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र अपने मंतव्य के साथ राष्ट्रपति जी को भेज देने की आवश्यकता है।

सभापति जी, किसी भी केस का विड्राल तब तक नहीं हो सकता है, जब तक कि शिकायतकर्ता की राय न ले ली जाए। पहले ऐसा होता था कि जो दोषी पाए जाते थे, उनको मनमाने तरीके से सजा की अवधि तक जमानत देने का काम होता था। इस बिल में जिन्हें आजीवन कारावास दिया गया है या मौत की सजा सुनाई गई है, उन लोगों की रिहाई का कोई प्रावधान नहीं है। नए प्रावधान के अनुसार मंत्री और राष्ट्रपति जी के बीच में यदि किसी प्रकार का कोई पत्राचार हुआ है, तो उस पत्राचार को कोर्ट नहीं मंगा सकता है, उसका अवलोकन नहीं कर सकता है। आईपीसी की चार-पांच मुख्य बातें हैं, जिनके बारे में सभी सदस्यों ने अपने वक्तव्य में कहा है जैसे sedition, mob lynching, trial in absentia या इलेक्शन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, इन्हें आईपीसी में लाया गया है। इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स पर चर्चा की जा सकती है और इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा है। यह चर्चा का विषय था कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में इलेक्शन से रिलेटेड जो केसेज हैं, उनके बारे में ऑलरेडी प्रावधान किया गया है, इसलिए इसे आईपीसी में लाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इसे आईपीसी के अंतर्गत लाया गया है। कम्युनिटी सर्विस का जो प्रावधान किया गया है, उससे केसेज की संख्या में काफी कमी आएगी और जिस प्रकार का प्रावधान दूसरे देशों में है खास कर अमरीका वगैरह में, इसका प्रावधान पहले से ही है।

सभापति जी, मैं दो-चार बातें अपनी तरफ से कहना चाहूंगा। नए भारतीय न्याय संहिता के क्लॉज 20 में है कि:

“Nothing is an offence which is done by a child under seven years of age.”

और क्लॉज 21 में है कि:

“Nothing is an offence which is done by a child above seven years of age and under twelve, who has not attained sufficient maturity

of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion.”

Nothing has been said about a child who is of seven years of age. What about a child who is seven years of age? He is neither less than seven years nor less than 12 years.

सभापति जी, धारा 377 और 483, सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आलोक में इसे डिलीट कर दिया गया है लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारतीय समाज के नार्म्स के अनुसार न तो धारा 377 समाप्त होनी चाहिए और न धारा 483 समाप्त होनी चाहिए और ये दोनों धाराएं रहनी चाहिए। मेंटल इल्नेस की जगह पुनः अनसाउंडनेस ऑफ माइंड स्थापित कर दिया गया है इसलिए इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। बहुत सारे जो एरर्स या स्पेलिंग मिस्टेक्स थे, प्रोसेस सेंसेस थे, उन सारी चीजों को दूर कर दिया गया है। डाक्यूमेंट्स की परिभाषा को काफी विस्तारित कर दिया गया है। इलेक्ट्रोनिक या डिजिटल रिकार्ड्स को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। एविडेंस को भी काफी विस्तारित कर दिया गया है। उसमें भी एक्यूज्ड, विटनेसेस, एक्सपर्ट्स और विक्टिम्स के मीनिंग्स को काफी विस्तारित किया गया है और इलेक्ट्रोनिक मीन्स से इंफोर्मेशन इकट्ठा की जा सकती है।

सभापति महोदय, अन्त में यह बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि अभी भी कुछ एक प्रावधान ऐसे हैं, जिनके बारे में मेरी व्यक्तिगत राय है कि उनमें सजा का जो प्रावधान है, वह कम है, जैसे फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत जो सजा है, वह आईपीसी की सजा से ज्यादा है। इसके बावजूद भी इसमें सजा अपर्याप्त लगती है। इसी तरह से, यदि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेन्ट को इम्पर्सोनेट करता है, तो उसके लिए तीन माह के कारावास की सजा या पाँच हजार रुपये जुर्माने का जो प्रावधान किया गया है, यह सजा भी कुछ कम लगती है।

महोदय, जब हम कोलोनियल एरा की बात करते हैं और यह बात कहते हैं कि यह कानून ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था और यह कानून एक खास उद्देश्य से बनाया गया था, जो व्यक्ति

उनकी खिलाफत करते थे, उन्हें दंडित करने के लिए बनाया गया था, तो एक पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिस को ब्रिटिशर्स ने कभी भी अच्छी निगाह से नहीं देखा, कभी उन पर विश्वास नहीं किया। उनकी बातों पर विश्वास न करने का उनका कारण था। पर, आज जब हम नया कानून लेकर आ रहे हैं, हालांकि इसके दोनों पहलू हैं, पक्ष में भी हैं, विरोध में भी हैं। However, the statement before a police officer is not admissible before the court of law. इस पर विचार किया जाना चाहिए। जो भी स्वतंत्र देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें उन्होंने विभिन्न माध्यमों से इसको सर्कमवेंट करके यह सुनिश्चित करने का कार्य किया है कि उनके समक्ष जो एविडेंस आता है, वह किस प्रकार से सही तरीके से प्राप्त किया जा सकता है और यदि वे किसी प्रकार की गड़बड़ी करते हैं तो किस प्रकार से उन्हें दंडित करने का प्रावधान किया जा सकता है, ताकि उनके समक्ष जो भी बयान आए, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। यदि गड़बड़ी पाई भी जाती है तो उसके आधार पर उसे सबूत के तौर पर उतना महत्व देने की जरूरत नहीं है।

महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे तरीके से इस तरह की चीजों को समाप्त किया जा सकता है। आप कितने सालों तक पुलिस पर अविश्वास करते रहेंगे? इंवेस्टीगेशन तो उन्हें ही करना है, केस डायरी तो उन्हें ही लिखनी है, तो केवल उनके समक्ष जो स्टेटमेंट आएगा, अगर उसके आधार पर आप कहेंगे कि यह इन-एडमिसिबल है, कोर्ट में इसकी मान्यता नहीं है, तो इस पर विचार किया जा सकता है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : अगर हाउस सहमत है तो सदन का समय आठ बजे तक बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : हाँ।

माननीय सभापति : धन्यवाद।

श्री प्रिंस राज।

18.00 hrs

श्री प्रिंस राज (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, आज मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए तीन कानूनों को समाप्त कर नए कानून लाने के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरगामी प्रयास के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, यहां हमने अपने सहयोगियों को सुना। यहां वरिष्ठ सांसदों ने अपनी-अपनी बातों को रखा। श्री रवि शंकर प्रसाद जी ने अपनी बात रखी।

सर, आपने स्वयं भी अच्छी तरह से विस्तार में अपनी बातों को रखा। श्री विष्णु दयाल राम जी ने अपनी बातों को रखा। उन्होंने बहुत-सी चीजों को अच्छी तरह से समझाया कि इस बिल में क्या-क्या चीजें नहीं हैं और क्या-क्या चीजें हटाई गई हैं।

सर, हम अपना अनुभव यहाँ पर बताना चाहेंगे। आज से करीब 10 साल पहले, जब हम अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे, जब हम वहाँ पर लोकल नागरिकों से बात करते थे, तब एक जगह यह बात उठी, वहाँ हमसे यह पूछा गया कि क्या आप अभी भी उसी सदन में जाते हैं, जो हम लोगों ने बनाया था। सर, आप समझ सकते हैं कि हमें उस वक्त कैसा लगा होगा और आज हमें कैसा महसूस हो रहा है, जब हम यहाँ खड़े हो कर अपनी बात अपने स्वदेशी सदन में रख रहे हैं और इस अंग्रेजी कानून को बदल कर अपने स्वदेशी कानून के लिए बोल रहे हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि हमें आज के दिन कितना फ़ख़ हो रहा होगा।

सर, ये जो तीन अंग्रेजी कानून हैं – पहला, इंडियन पीनल कोड, 1860 जो अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 होने जा रहा है। दूसरा, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, 1898 जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 होने जा रहा है और तीसरा, इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 जो अब भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 के रूप में स्थापित होने जा रहा है।

सर, ये जो तीनों अंग्रेजी कानून थे, जब ये बनाए गए थे, तब इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो उस वक्त के शासक थे, जो शासन कर रहे थे, उनको किस तरीके से बचाया जाए और आम लोगों को किस तरीके से दंडित किया जाए। लेकिन ये जो तीन नए कानून आ रहे हैं, उनका उद्देश्य

है कि भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की सुरक्षा करते हुए न्याय दिलाया जाए। इनमें यह प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया में सजा को केवल अपराध को रोकने की भावना से किया गया है और आवश्यकता अनुसार सजा दी जाएगी। सर, इससे हमारे क्रिमिनल ज्यूडिशरी सिस्टम में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आएगा। सर, जब ये कानून बनाए गए, अभी हमने अपने सीनियर्स को सुना, इन कानूनों पर तरीबन चार वर्षों से काम किया जा रहा था। करीब 18 राज्यों, 6 केंद्र प्रशासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट्स, 5 ज्यूडिशरी अकेडमी, 22 लॉ यूनिवर्सिटीज़, करीब 142 एमपीज़ के सुझाव, 270 एमएलएज़ के सुझाव और जनता में से बहुत से लोगों ने जो सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को मद्देनज़र रखते हुए, इनकी रचना की गई है।

सर, कानून में दस्तावेज़ों की परिभाषा को भी विस्तार दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एवं डिजिटल एविडेंस को भी कानूनी वैधता दी गई है और अत्याधुनिक तकनीकों को भी समाहित किया गया है। सर्च और ज़बती के वक्त वीडियोग्राफी को भी अनिवार्य किया गया है। दोष सिद्ध करने के परिणाम को बढ़ाने के लिए फॉरेंसिक साइंस को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसके लिए हम अपने आदरणीय प्रधान मंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया।

सर, यहाँ पर जब कई बिल आते हैं, तब बहुत सी चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा हरेक चीज़ का होता है, जैसे मान लीजिए हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, जब रेल बजट आता है, तब लोगों के कान बस एक जगह टिके होते हैं कि हमें किराया कितना देना है, वैसे ही जब आम बजट आता है, तब लोगों को एक ही बात की दिलचस्पी होती है कि हमारी पॉकेट से कितना रुपया टैक्स के रूप में जाएगा। उसी तरीके से जो यह नए तीन कानून आ रहे हैं, इनके अंदर और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि पूरा देश टीवी देख रहा है और सभी को बस एक बात का इंतज़ार है कि हम जो केस दायर करते हैं और जो सुनने को आता है – तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, वह कितनी कम हो जाएगी। हमें लगता है कि देश की जनता इसकी ओर देख रही होगी। हम आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देते हैं, आदरणीय प्रधान मंत्री श्री

नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से लिया है। इसमें जो आरोप पत्र दाखिल करने की समय सीमा है, उसके लिए 90 दिन तय किए गए हैं। अगर किसी तरह की कोई परिस्थिति आ गई तो उसको 90 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है, अनुमति दी जा सकती है। कुल 180 दिनों में जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। चार्जशीट मिलने के 7 दिनों में आरोप तय करने का प्रावधान है। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर अदालत को सज़ा सुनानी होगी।

जो केसेज सालों साल तक लटके होते हैं, उनका जल्द से जल्द निष्पादन करने में आसानी होगी।

सर, हमारा देश भारत सदियों से आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहा है। आज पूरा विश्व इस चीज़ को मानने के लिए राजी हो गया है। पहले इसे कोई नहीं मानता था। आज आतंकवाद, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध को भारतीय कानून के तहत लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इन कानूनों में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रावधान किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि अपराधियों को सज़ा मिले एवं पुलिस अपने अधिकारों का कम से कम दुरुपयोग न करें।

सर, ये तीनों बिल्स ऐतिहासिक हैं। इंडियन क्रिमिनल ट्रायल प्रॉसिक््यूशन की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी का समावेश करने और कोर्ट में केसों को जल्द से जल्द निष्पादन करने के लिए इसकी आवश्यकता है।

सर, हम बिहार से आते हैं। जब भी हम अपने घर पर होते हैं, हमारे समक्ष कई समस्याएं आती हैं। कई लोग अपने-अपने ग्रीवान्सेज को लेकर आते हैं। उसमें सबसे बड़ा ग्रीवान्स यह होता है कि लोगों के ऊपर अत्याचार होता है। गरीब लोग चाहे वे अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, पिछड़ा वर्ग के हों, या गरीब लोग हों, जब उन पर अत्याचार होता है तो उनके समाज के लोग कहते हैं कि भाई, केस मत कीजिए। अगर आप केस करेंगे तो लटक जाओगे, सालों साल केस चलेगा। तुम्हारा पैसा, जमीन और घर बिक जाएगा, लेकिन तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा।

सर, हमें लगता है कि इन तीनों कानूनों के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उससे सबसे ज्यादा फायदा हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और गरीब लोगों को मिलेगा। उनमें एक भरोसा जगेगा कि अगर उनके साथ अन्याय होता है तो वे न्याय की मांग कर सकते हैं।

सर, मैं पुनः इन तीनों बिल्स को लाने के लिए अपने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ।

सभापति जी, आज आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इन तीनों विधेयकों का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण): सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपना विषय रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ।

This august House is today a witness to history in the making in the true sense because what we are enacting today is a historic reform that will touch the lives of 140 crore Indians not just for today but for centuries to come. While doing so, we are ridding ourselves of a 162-year-old colonial baggage and are moving towards a *swadeshi vyavastha* at the time when Bharat is entering the Amrit Kaal of its glorious period of history. I want to thank and congratulate, hon. Prime Minister, Narendra Modi ji and our very visionary Home Minister, Amit Shah ji for piloting this historic reform of India's criminal justice law.

Chairman Sir, if you will spend a minute to understand the context in which our criminal justice system came to be introduced by the British, it comes to light that all the three criminal justice legislations, the IPC, the CrPC, as well as the Indian Evidence Act were enacted right after the first war of India's Independence in 1857. The objective of the then British Government while introducing these three legislations was to subject the natives, subject the Indians to such a criminal justice system that will obliterate, annihilate all kinds of possibilities of rebellion.

So, all the three laws, namely the Indian Penal Code, the CrPC and the Evidence Act were enacted with this intention of subjecting the native population to humiliation and making sure that their self-confidence was always subjected to insights. The British understood that there are two important aspects of a society that need to be controlled to completely colonise

and destabilise a native population. One was education and the other was the criminal justice system.

Lord Macaulay in his prophesied 'Education Minute' exhaustively mentions how the British tried their very best to remove from the civilizational memory of this country, our educational as well as criminal justice system that had been in practise for so long in the country. I must say today that when the country is on the threshold of *Amrit Kaal* under the leadership of hon. Prime Minister, Narendra Modi ji, we have implemented the National Education Policy, 2020 and today we are enacting these three Sanhitas, which are going to replace the colonial codes and in the true sense we are moving away from colonisation of education and colonisation of our criminal jurisprudence.

Today marks an important day also because for about 160 long years and almost seven decades after Independence the country's criminal justice system followed legislations, which were made by the British, made for the welfare of the British, and made in Britain. Today, in those places we are enacting a law that is made by Bharat, made in Bharat and made by Bharatiyas for the welfare of Bharatiyas. This marks a very important step in our decolonisation journey.

While we are here, I would want to draw the attention of this House to another important aspect of the British criminal jurisprudence of how vicious the intent of the British was while bringing and enacting these legislations. One of the biggest examples of this intent of the British is the example of the Criminal Tribes Act of 1871. In 1871, the British Raj enacted a legislation

called the Criminal Tribes Act under which large communities, large tribes were declared as criminals by birth and they were subjected to multiple humiliations and restrictions. There were police manuals that were drafted enumerating long lists of how these criminal tribes must be dealt with, how they must be punished, how they must be abused, and for a long time, even after Independence, many of our jail manuals contained these very provisions, and many tribes that were enumerated in the Criminal Tribes Act faced severe humiliation both legally and socially.

Many of the major castes of Hindu society like ...* like this, these were the words that were used by the British. ... (*Interruptions*) Yes, it is unparliamentary. These were the words that were used by the British. Many of these communities or 140 of them were declared as criminals by birth. By 1947, at the time of our Independence, more than two crore people existed in this country who were, by definition, criminals by birth.

This was the intent behind the criminal justice system of the British. This is just to explain the monumental difference that we are today making by moving out of the dark shadow of the British's criminal justice system and moving towards a completely Indian and *Swadesi* justice system.

HON. CHAIRPERSON: I suggest that the names that have been uttered should be removed. Only the numerical, i.e. two crore, should be there.

SHRI TEJASVI SURYA : With respect to the changes that have been made in these three legislations, I want to take a few minutes to highlight some very

* Not recorded.

important changes. Under the BNS, precedence has now been given to crimes against women and children. Some of the most important changes that have been made have been made keeping in mind the protection, empowerment, and justice delivery for our sisters in the country. Not only the precedence in numbering reflects this intent of the Government but also providing death penalty for gangrape of a minor girl is introduced for the first time. Most importantly, we have been witnessing for the last few years that a concerted attempt by a certain vested interest group of suppressing their identity and luring young women under the false pretext of marriage. Even this has been declared an offence and stringent provisions have been made to punish such attempts. We also keep observing that there are multiple instances of hit and run cases; what we refer in a collectible term. In most of these hit and run cases, it is always the rich who hit and run, and the poor who do not have access to justice, and power are left fighting for justice without any support. For a long time, this offence of hit and run was not codified and not declared as an offence. That has now been brought into the law and, as also, offences like chain snatching and mobile snatching. If you go to any police station today, you will see a board. Most of the cases that are reported in urban areas, at least, in our country are the chain snatching and mobile snatching cases but, unfortunately, we did not have a penal provision to deal with this. This has been added now.

We have also seen that whenever there are protests in the name of displaying outrage, certain antisocial elements use that opportunity to damage

public property amounting to crores of rupees. For the first time, under mischief, by expanding the provision, 'damage to public property' has also been made an offence. Hereafter, any antisocial elements who indulge in any such activity will be facing the music of the law. There were many provisions which were reflective of the colonial and Victorian morality of that era. Both sections 377 and 497 which dealt with adultery were a reflection of this Victorian morality. Both of them have been omitted and we have now truly moved away from a pre-colonial legislation system to a post-colonial legal system.

There is another aspect that gives us a great amount of joy. For a long time, the Indian Penal Code was not fully applicable to the whole of India, it was applicable to the whole of India except in the State of Jammu & Kashmir and in Jammu & Kashmir, we had the Ranbir Penal Code that was in existence. With this Act, and with the abrogation of the article 370, the BNS will be applicable to all the States including the State of Jammu & Kashmir. This is another very historic step that Parliament has taken with this enactment.

While these are some of the important changes that have been made to the BNS, the Criminal Procedure Code was also crying for reform.

Many committees, the mention of which have been made earlier, made reports on reports. Committees gave voluminous suggestions, but none of that was implemented by earlier Governments because the Criminal Procedure Code is that procedural law which is the foundational law on which criminal justice system is adjudicated, delivers justice. But it was the discrepancies

inherent in the CrPC that led to the vast number of under-trials that we have, pendency of cases that we have, the complexity of criminal justice system that we have, and the whole 'justice delayed is justice denied' kind of a feeling that a large number of people in this country felt that going to court was itself a punishment. It was a vexatious issue. Many major changes are made under the CrPC to address the complexity of the procedure and make it more simple, keeping the citizen's interest and protecting the interests of both victim as well as the informant. For example, it has been provided that no arrest shall be made in any case of an offence punishable for a term less than three years, and if the person has infirmity or is above the age of 60 years, he cannot be arrested without prior permission of the officer not below the rank of DSP. We are aware that how in many cases, especially in Section 498 dowry cases, senior citizens are harassed even at the cost of false cases that are registered. Even though the Supreme court in multiple instances, even in Lalita Kumari and many other judgments, has enumerated that arrest should not be made whimsically or arbitrarily, experience is such that this was not followed. For the first time, by codifying this as a principle, interests of those people who are weak, senior citizens are protected from arbitrary arrests. The provision on mandatory video-conferencing during search and seizure also tries to balance harmoniously the interest of the victim as well as the need for transparent and fair judicial system. We have also come across, in our own experience, people coming to MPs, people coming to MLAs with complaints that they went to the police station, but the police did not file an FIR saying that it does not come

under their jurisdiction. वो भागते रहते हैं, यहां – वहां, इधर -उधर । By the time he finds out which police station comes under his jurisdiction, time would have lapsed and the FIR and its sanctity would have lost meaning and in multiple instances cases have gotten quashed at courts because of the delay in filing of FIRs. For the first time, through zero FIRs and e-FIR, this paradigm change has been brought in our criminal justice system where an individual can report a case, file an FIR of a cognizable offence in any part of the country and it is mandated on the part of the police to register the case and then forward the complaint to the police station concerned for investigation. This is again a very, very welcome step.

In addition to that, it has come to our experience that when a complainant or an informant goes to a police station, files a case, after filing of the FIR, he is not aware as to what is the status of the case or what is happening with it, he will have to repeatedly meet the Station House Officer. He is not aware, and he goes to the DCP office, standing for hours together. He is not aware of the status of the case or status of the investigation. But in this Sanhita, it has been made mandatory, provided that the police officer in 90 days shall inform the progress of investigation to the informant or victim by digital means. This is again an attempt at making the citizen the center of criminal justice system and not the crown. In addition to that, one of the biggest challenges that our criminal jurisprudence or criminal justice system faced was the abysmally low conviction rates.

If you compare our conviction rate to more advanced jurisdictions like Israel or Australia, our conviction rate is abysmally low. One of the reasons for this low conviction rate is the quality of evidence that is submitted before our courts. To address that, especially in serious offences, it has been made mandatory for forensic science experts to visit the crime scene to collect forensic evidence in all cases that are prescribing punishment for seven years or more. This is a truly revolutionary provision because not only is it going to enhance our conviction rate, it is also going to protect those innocents but those who are facing false allegations and false charges. This is because one of the foundational principles of an effective functioning criminal justice system is to punish the guilty and to protect the innocent. That can be done if the quality of evidence submitted before the court is increased. This is a very important provision in that regard.

The other big affliction, ailment of India's criminal courts is the delay in dispensation of justice. The moment a case is filed, you never know when the justice is finally dispensed. Going to the courts itself is a vexation, is a punishment for both the victim, his family as well as the accused. For the first time, investigation, submission of charge-sheet, investigation pursuant to filing of charge-sheet, pronouncement of judgement, all of these have been made time-bound by the statute itself.

Even seeking of adjournments was a common practice for all. Many lawyers in the House who have practised in the criminal courts are aware that seeking of adjournments as a matter of right is a practice seen in our sessions

courts, in our trial courts. Every delayed date creates a burden not just on the exchequer but also on the families of the victim as well as the accused. For the first time, even this arbitrary adjournment has also been dealt with under the Sanhita where it has been provided that where the circumstances are beyond the control of a party, not more than two adjournments may be granted by the Court after hearing the objections of the other party and for the special reasons to be recorded in writing. In a sense, this provision will make sure that there is a *mukti* from unlimited and arbitrary adjournments, which is a big ailment of this system.

We have also seen that in many cases, even in serious cases which have a political colour, if there is a change in dispensation, the new Government drops the prosecution of these cases. In Karnataka, the previous edition of the Siddaramaiah Government dropped more than 1600 cases belonging to the now banned and declared terrorist organisation like PFI to meet their vote bank politics. In many instances, these were very serious cases of murder, culpable homicide, organised crimes, terrorist activities. More than 1600 cases were dropped. In many instances, even the victims were not heard. For the first time, under the new Sanhita, it is mandated that where prosecution is supposed to be withdrawn, especially in cases where the punishment is seven years or more, the victim side shall be given an opportunity of being heard. This is again a very important step in not only diluting political interferences in criminal justice system and prosecution, but

also placing the interest of the citizen, the victim over and above the interest of the State.

One of the points that Ravi Shankar Prasad ji made was about the condition of our undertrials. Hon. Chairperson, Sir, I remember when you had made an intervention earlier when the Bill was proposed four months ago and had drawn the attention of this House to the condition of our undertrials. Lakhs of people who may be otherwise innocent are languishing in our country's jails because the wheels of justice are moving so slowly and painfully slowly. In many of these instances, rather in most of these instances, the undertrials are young people. Any third-year or a fourth-year law student who had visited a jail will understand that 80 per cent of our undertrials are young people who are staring at a bleak future just because their cases are not being heard properly. In many instances, they would have completed more time as an undertrial than what they would have faced had they been convicted of that offence. To address that issue, a new provision has been made that if a person is a first-time offender, he shall be released on bail by the court if he has undergone detention for the period extending up to one-third of the maximum period of imprisonment specified for that offence. It has also been made mandatory that where the undertrial completes one half or one-third of the period, it will be the duty of the Jail Superintendent to forthwith make an application in writing to the court in this regard.

Hon. Chairperson, Sir, I want to take a couple of minutes at the end to only highlight some monumental changes that have been made in the Indian

Evidence Act. One of the biggest challenges that our courts would face in evaluating and appreciating evidence in today's day and age where digital, IT, electronic evidence, play such a vital part of our everyday communications, was that our Evidence Act was not equipped to handle and appreciate the quality of electronic evidence. The thrust of the changes that have been made in the Evidence Act, which is now going to be replaced by the Sakshya Bill, is the importance placed on electronic evidence, digital evidence, and new age mediums of communication and presentation of evidence before the court.

HON. CHAIRPERSON: It is used as primary evidence. Earlier, some electronic equipment was used as secondary evidence. Now, it is primary.

SHRI TEJASVI SURYA: Hon. Chairperson, Sir, I am coming to this point. I want to explain this with an example.

Hon. Chairperson, Sir, you must be aware and the House must be aware that very recently, in the famous case of ...^{*}, he was acquitted.

HON. CHAIRPERSON: Do not mention the name. That name should not go on record.

SHRI TEJASVI SURYA: Hon. Chairperson, Sir, he was acquitted on the premise that the person who recorded the speech did not provide the original DVD to the Investigating Officer. But the speech was broadcast live, and millions of people all over the country and all over the world were witness to it. But the court ruled that the digital evidence that was submitted before it was not admissible because the person who recorded the original DVD, did not

* Not recorded.

provide it to the Investigating Officer. So, all other copies which were available online and which were available at the time of making of the speech were not considered either as primary evidence or secondary evidence, and were rejected. This was a major lacuna in our Evidence Act. That has been addressed by expanding the definition of primary evidence.

In the new Section 59, in the definition of primary document, new explanation has been added. A video recording which is simultaneously stored in an electronic form and transmitted or broadcast to another, in such a case, each of the stored recording is considered as original.

So, had this Bill got enacted a few years ago, the fate of that person who made hate speech would have been very different than what it is today, Chairman, Sir.

In addition to that, provision has also been made to make available evidence through appearance of witness, accused, victims through electronic means. We have seen how in many instances cases have gone on forever because either the witness or the expert witness or any other person could not appear before the court physically.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude

SHRI TEJASVI SURYA: So, all of these are important changes that have been brought to the criminal justice system by the enactment or the introduction of these three important legislations.

Sir, I must place on record the gratitude of millions of young Indians today because I represent the demography in this House for bringing this

monumental reform. It is because this is a philosophical change in the way we are approaching our citizens. This is a philosophical difference in the way the country and the country's criminal justice system is viewing our own people. This marks a departure from the colonial era legislations.

Chairman, Sir, the United Kingdom and its press were aware that Narendra Modi Government will herald and usher in such reforms and they knew this on the very first day that the people of this country gave Narendra Modi ji the mandate in 2014.

I want to conclude by reading four lines from the Editorial of the Guardian newspaper of 18th May, 2014. On 18th May, 2014, just after the election results were declared and the country's people had elected Modi ji to be the Prime Minister of the country with an overwhelming mandate, the Guardian wrote in its Editorial.

“Today, 18th May, 2014, may well go down in history as the day when Britain finally left India. Narendra Modi's victory in the election marks the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly from those through which Britain ruled the sub-continent. India under Congress was in many ways a continuation of the British Raj by other means.”

This was an observation made not by an Indian newspaper. This was not an observation made by the *Panchjanya* or the Organiser of RSS. This was the observation that was recorded by Britain's foremost newspaper the Guardian, on the day the people of this country voted

Narendra Modi ji to office in 2014. And what has followed since then is a conscious effort towards decolonisation of this country through the education policy and now through these historic *sanhitas* which are going to overhaul the delivery of the criminal justice system in India.

Finally, the meaning of the word Swarajya has attained the true meaning because the country is moving towards respecting *swabhasha*, *swadharma* and *swadesha*.

Thank you so much, Chairman Sir, for giving me this opportunity.

HON. CHAIRPERSON: Thank you, Tejasvi ji.

Now, we will hear another former police officer who practiced IPC, CrPC and Indian Evidence Act, Dr. Satya Pal Singh ji.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : आदरणीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर और समय देने के लिए, मैं आपका तथा अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ।... (व्यवधान) मैं इन तीनों बिलों – भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, मेरे लिए ये एक ऐतिहासिक दिन भी है और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात भी है कि मैं इन बिलों पर बोल रहा हूँ।... (व्यवधान)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Mr. Chairman I have been waiting since 2 pm. This is very unfortunate. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I restrain you. Do not utter such words inside the House.

... (*Interruptions*)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: I will not utter ... *

HON. CHAIRPERSON: This is going beyond limit.

... (*Interruptions*)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: I am equal to you.

HON. CHAIRPERSON: So am I and everyone.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: But you are a single Member in the House. You will speak when your turn comes.

... (*Interruptions*)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: When will my turn come? I have been waiting since 2 pm.

* Expunged as ordered by the Chair.

HON. CHAIRPERSON: You have to wait for the direction of the hon. Speaker and accordingly, it will be decided.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You take your seat. You will be allowed to speak. But you have to take your seat. As a Member of the House, you will be allowed to speak. I have been saying this repeatedly. Stop casting aspersion on the Chair.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: That you have done. That you have done. I do not want to quarrel with you inside this House.

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: I am wating.

HON. CHAIRPERSON: Everybody is waiting. I have a long list with me.

... (*Interruptions*)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: So what? You should have allowed me much earlier.

HON. CHAIRPERSON: I am not sitting here to answer your questions.

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: Is there any difference between you and me?

HON. CHAIRPERSON: Dr. Satya Pal Singh.

डॉ. सत्यपाल सिंह : सभापति महोदय, इन बिलों पर बोलने के लिए मेरे लिए एक ऐतिहासिक दिन भी है और सौभाग्य का समय भी है। इसके दो कारण हैं। पुराने कानूनों को लागू करने के लिए और करवाने के लिए मैंने 33-34 वर्ष इस देश की सर्वोत्कृष्ट पुलिस सेवा में बिताए। मैंने बहुत बार देखा कि जब कोर्ट्स से फैसले आए तो मैंने पुलिस, राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार की इन एजेंसीज को

असहाय पाते हुए देखा, क्योंकि मैंने सीबीआई में भी काम किया है। मैंने पीड़ितों, विक्टिम्स को कराहते हुए देखा, मैंने अपराधियों और गुनाहगारों को कानूनों की खिल्ली उड़ाते हुए और हसते हुए देखा। जब से हमने सर्विस ज्वॉइन, तब से हम लोग यह बार-बार सुनते थे कि इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की व्यवस्था चरमरा गई है और जैसे आदरणीय रवि शंकर प्रसाद जी कह रहे थे। मैंने मुंबई जैसे शहरों में काम किया। कई बार हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल होता दिखता था, इसलिए पब्लिक के प्रेशर और सरकार के प्रेशर में बहुत बार पुलिस एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल मैथड्स को भी अपनाती थी, जिनको लोग एनकाउंटर और पुलिस एक्शन कहते हैं। अगर समय मिलेगा तो मैं उसके कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। महोदय, मेरे बोलने का दूसरा सौभाग्य इसलिए भी है कि इस हाउस में आने से पहले, इन बिलों के पेश होने से पहले गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये बिल आए तो मुझे होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य होने का सौभाग्य मिला और इन बिलों पर चर्चा करने तथा अपने विचार रखने का मौका मिला। हम लोग एक सत्य, सनातन संस्कृति पर विश्वास करते हैं। इस सत्य, सनातन संस्कृति के मूल और सार्वभौम ज्ञान के मूल वेद में एक बहुत सुंदर मंत्र आया। वह मंत्र है –

“ॐ इन्द्रं वर्धन्तो अमरुः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। अपघ्नन्तो अराव्णः॥”

महोदय, यह मंत्र मैं इसलिए भी कोट कर रहा हूँ कि वर्ष 2011 में मुझे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाने का मौका मिला। वहां हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का एक गुप था। वहां पर अंग्रेज लोग आए और उनके प्रोफेसर्स यह बात बड़े गर्व के साथ कह रहे थे कि सारी दुनिया के अंदर पुलिसिंग सिस्टम हमने दिया है।

फिर वह चाहे इंडिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, सभी जगह हम लोगों ने पुलिसिंग सिस्टम दिया। मैंने उस समय भी उन अंग्रेजों के सामने, प्रोफेसर लोगों के सामने इस मंत्र को कोट किया था और यह मंत्र यह कहता है कि अगर हम जीवन में, समाज में, राष्ट्र में सुख-समृद्धि और शांति चाहते हैं। अगर हम सम्मान चाहते हैं, सतत् प्रगति करना चाहते हैं तो देश में कानून का राज चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए। सबकी सुरक्षा, सबको न्याय, सबको आजादी। इस

मंत्र के अंदर यह कहा गया- अच्छे विचारों, परम्पराओं, रीतियों, व्यक्तियों और संस्थाओं का संरक्षण करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, “इन्द्रं वर्धन्तो अमुरः” । दूसरा, अबोध, अज्ञानी, दुर्व्यसनीय, अपराधिक प्रवृत्ति वालों को समझाओ, उनको शिक्षा दो, कानून बनाओ और कानून का प्रचार और प्रसार करो । तीसरा, यह भी कहते हैं कि “अपघ्नन्तो अरावणः”, जिनको सुधारा नहीं जा सकता, जो सुधरना नहीं चाहते, अंग्रेजी में इसको इनकोरिजिबल बोलते हैं, ऐसे दुष्टों का, शातिर हार्डकोर अपराधियों का, आतंकवादी-जिहादियों का, चरमपंथियों का दमन भी होना चाहिए, शमन भी होना चाहिए, दफन भी होना चाहिए और जरूरत पड़े तो उनका वध भी होना चाहिए । मैंने कहा था कि इस देश और दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति सबसे प्रथम: संस्कृति विश्ववारा । सारी दुनिया को कानून सिखाने वाली, सारी दुनिया को संस्कृति सिखाने वाली इस देश की संस्कृति रही है । इन तीनों उद्देश्यों को लेकर ही आज के यह विधेयक आए हैं । हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे संगठन और सरकार में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का मैं अभिनंदन करता हूँ । हम यह भी कहते हैं कि इंसाफ और न्याय से बढ़कर के दूसरा कोई अमृत नहीं है, दूसरी कोई दवाई नहीं है । इस अमृतकाल के अंदर ये तीनों विधेयक, तीनों बिल इस अमृतकाल का आधार बनेंगे ।

सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा था कि इस पुरानी आपराधिक न्याय व्यवस्था जो अभी तक चालू है, उसमें बहुत कमियां थीं और कई बार, हम लोगों ने जब से सर्विस जॉइन की, हमने जजों को भी सुना, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी सुना, इस देश के चीफ जस्टिसेस को भी सुना और सब लोग यह बोलते थे कि इसमें सुधार होना चाहिए । बहुत कमियां थीं । आदरणीय रवि शंकर प्रसाद जी भी कह रहे थे कि एक प्रकार की जटिल व्यवस्था थी । इस जटिल व्यवस्था के अंदर गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता था । बहुत खर्चीली और वर्षों तक केस पेंडिंग रहता था । कुछ में तो कई-कई पीढ़ियों तक चलता था । मैंने सीबीआई में काम करते हुए देखा कि 30-30 और 40-40 वर्षों तक क्रिमिनल केस हाई कोर्टों में पेंडिंग रहे । उसमें इनवेस्टिगेशन के प्रमाण की भी आज्ञा नहीं दी गयी । ऐसे बहुत सारे केस मैंने देखे हैं । जिसको हम न्याय का मंदिर मानते हों, वहां अगर

न्याय मिलता भी है तो देरी से मिलता है। जैसा आप भी कह रहे थे कि "Justice delayed is justice denied" हमारे देश के एक पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं श्री के.आर. नारायणन जी, उन्होंने एक बार चीफ जस्टिस की कांफ्रेंस में एड्रेस करते हुए कुछ बातें कही थीं। उन्होंने कहा था- "The law court is not a cathedral but a casino where so much depends on the throw of the dice." Judges do not give justice, they give judgements. They pronounce judgements according to the evidence put up before them. Here the accused is more protected than the victim. हम लोगों को केस मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रात के अंधेरे में, रात के दो बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल जाता है। पहले ऐसा हुआ है। पहले ऐसे केसेस हुए हैं। और वह भी आतंकवादियों के लिए, जो लोग आतंकवाद में और बड़े-बड़े बम ब्लास्ट में लिप्त थे। उनके लिए रात के अंधेरे में, रात दो बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल जाता है।

गरीब लोगों को सुनने की जब बारी आती है तो दशकों लग जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे जो कोर्ट्स हैं, हमारा जो पुराना सिस्टम था, उसके लिए यह बात पहले भी आई है कि कोर्ट्स में 5 करोड़ केसेस अभी भी पेंडिंग हैं, जिनमें से लगभग 4.3 करोड़ केसेस जिला कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। इसमें लॉ कन्विकशन रेट की बात आती है। इवन रेप केसेस में तथा मर्डर केसेस में हमें मालूम है, जज भी समझते थे कि मर्डर इसने किया है, रेप इसने किया है, लेकिन कन्विकशन नहीं होता था। कमियां बहुत थीं। कोर्ट्स पुलिस की कमियां निकालते हैं। पुलिस वाले कोर्ट की कमियां निकालते हैं। विटनेस होस्टाइल हो जाते हैं, इसलिए कमियां बहुत थीं।

पहले कुछ अपराधों में दंड की राशि बहुत कम थी। 10 रुपये का भी दंड था, 100 रुपये का भी दंड था और 500 रुपये का भी दंड था, जिसकी आज कोई कीमत नहीं है। यहां पर अंडर ट्रायल की बात पहले आ चुकी है कि 77 से 80 परसेंट केसेस अंडर ट्रायल हैं। पहले आधुनिक तरीके का इस्तेमाल नहीं होता था तथा पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट ट्रायल की कोई सीमा नहीं थी। यह बात आदरणीय रवि शंकर प्रसाद जी ने पहले भी कही है, इसलिए मैं उस विषय में डिटेल

में नहीं जा रहा हूँ। जब हमने सर्विस जॉइन की तो सन् 1978 में इस देश में जो चल रहा था, उसके लिए नेशनल पुलिस कमीशन बना था। वहां से लेकर उसके बाद लॉ कमीशन बना, बेजबरूआ कमेटी बनी, विश्वनाथन कमेटी बनी। मलिमथ कमेटी की वर्ष 2003 में रिपोर्ट आई। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए वह बहुत बड़ी रिपोर्ट थी, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बोलते हैं, लेकिन वह धूल खाती रही। उसके बाद माधव मेनन कमेटी आई। उसमें सभी ने इन क्रिमिनल कानूनों में संशोधन करने के लिए और इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार करने की बात की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारी होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी ने तीन बार वर्ष 2005 में, 2006 में और 2010 में अपनी 111वीं, 128वीं तथा 146वीं रिपोर्ट में कहा कि पूरे के पूरे इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारना चाहिए तथा इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। इन कानूनों को बदलने का श्रेय भी आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को ही जाता है। इसलिए आप चाहे यह मोदी जी का भाग्य कहिए या हम सबका सौभाग्य कहिए कि हम सब इस एतिहासिक दिन के साक्षी बन रहे हैं। यह काम भी मोदी जी के हाथों से हो रहा है। चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे इस नए संसद भवन का निर्माण हो, चाहे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करना हो, तीन तलाक खत्म करना हो, महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो या ओबीसी आयोग बनाने की बात हो, इन सबका श्रेय आदरणीय मोदी जी को जाता है। सभापति महोदय, इन सब बातों से मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में जो 140 करोड़ लोग हैं, केवल यही नहीं, आगे आने वाले 100-150 वर्षों तक लोगों को न्याय देने का काम ये कानून करेंगे। इसलिए मैं इन कानूनों के लिए कहता हूँ कि मोदी जी की सरकार का सबसे बड़ा योगदान इस देश की जनता के लिए इन तीन कानूनों को देने से होगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हम कहते हैं कि दासता के सारे चिह्न खत्म होने चाहिए। 15 अगस्त को प्रधान मंत्री मोदी जी ने कहा था कि गुलामी के सारे चिह्न खत्म हो जाएंगे। मेरे मित्र तेजस्वी सूर्या जी ने भी एक बात कही थी। उन्होंने गार्जियन पेपर को कोट किया था। मैं उसे कोट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब से मोदी जी आए हैं, तब से एक के बाद एक दासता के जो चिह्न थे, उन्हें खत्म

किया जा रहा है। इसलिए सन् 1562 के अंग्रेजों के जमाने के जो कानून थे, जिनको रिडन्डेंट या ऑब्सलीट बोलते थे, उनको हमारी सरकार ने आकर खत्म किया। प्रधान मंत्री मोदी जी ने वर्ष 2019 में गृह मंत्रालय को यह निर्देश दिया कि पुराने सारे आपराधिक कानूनों को बदलकर नए कानून लाए जाए। उसी दिशा में आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने बड़ी तत्परता के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ यह काम आरंभ किया। मैं कुछ डेट्स के साथ कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे तो मोटी-मोटी बातें आ गई हैं कि 7 सितम्बर, 2019 को आदरणीय गृह मंत्री जी ने देश के सभी प्रदेशों को, यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर्स को, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को, मुख्य मंत्रियों को, यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको पत्र भेजे कि इस पर आप अपने-अपने सुझाव दीजिए।

इन्होंने 6 जनवरी और 7 जनवरी 2020 को भी अपने मुख्य न्यायाधीश, सभी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेज, बार काउंसिल्स, लॉ यूनिवर्सिटीज, लॉ इंस्टीट्यूट्स को पत्र लिखे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के नेतृत्व में 2 मार्च, 2020 में एक कमेटी बनाई गई। 31.12.2021 को दोनों हाउसेज, लोक सभा और राज्य सभा के सभी माननीय सदस्यों को पत्र लिखे कि अगर उनके पास कोई सुझाव है, तो सुझाव देना चाहिए। इन्होंने इस कमेटी के अंडर में सभी लोगों से सुझाव मांगे। पूरे देश में जितने एक्सपर्ट्स, डोमेन एक्सपर्ट्स थे, जजेज, विधायक, लॉयर्स, सिविल सोसायटीज, लॉ यूनिवर्सिटीज, सभी से सजेशंस मांगे गए। इन सभी के सजेशंस आने के बाद सीबीआई, आईबी, बीपीआर एंड डी, जो पुलिस के ऑर्गनाइजेशंस हैं, लगभग एक हजार से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स ने अपने सुझाव एमएचए को भेजे। कमेटी ने एमएचए को फरवरी, 2020 में रिपोर्ट दी। पहले भी यह बात आ चुकी है। मुझे नहीं लगता है कि इस देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में कोई भी गृह मंत्री, कोई भी मंत्री नए कानून बनाने के लिए 158 टाइम्स, उस मीटिंग में शामिल रहा हो और उस मीटिंग की उन्होंने अध्यक्षता की हो। मुझे नहीं लगता है कि हमें कहीं ऐसा उदाहरण मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि 11 अगस्त को ये कानून पेश किए गए और तभी हमारे संसदीय कमेटी को ये सौंपे गए। मैं स्टैंडिंग कमेटी के सभी माननीय

सदस्यों और चेयरमैन बृजलाल जी को धन्यवाद देता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं कि सभी लोगों ने बहुत गंभीरता के साथ इन तीनों बिलों पर चर्चा की और अपने विचार इन पर दिए। उनमें कुछ सुझाव भी थे, भाषाओं में कुछ गलतियां भी थीं, उसी के परिणामस्वरूप सरकार ने पुराने बिलों को वापस लिए और 12 दिसम्बर को दोबारा इन्हें प्रस्तुत किया गया। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य देश की कानून व्यवस्था को बहुत अधिक मजबूत करना है। न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाना है, ताकि एक गरीब आदमी उसका फायदा उठा सके। सामान्य गरीब आदमी को त्वरित न्याय मिल सके। एक नागरिक केन्द्रित, जिसको सिटीजन सेंट्रिक कहते हैं, एक न्यायिक व्यवस्था प्रदान करना। लोगों का जीवन आसान बनाना, जिसको हम ईज ऑफ लीविंग कहते हैं।

सभापति महोदय, आपने भी कहा था कि ब्रिटिश जमाने में इसका उद्देश्य केवल न्याय के बजाय लोगों को दंड देना था। मुख्य बदलाव की काफी बात यहां आ चुकी है। मैं अपने कुछ विचार यहां रखना चाहता हूं। स्टैंडिंग कमेटी में हमारे कुछ सामान्य सदस्य थे। उनका एक बड़ा आक्षेप था। विशेष रूप से तमिलनाडु के सदस्य दुर्भाग्य से यहां पर आज उपस्थित नहीं हैं। उनका सबसे बड़ा आक्षेप था कि इन कानूनों के अंदर भारतीय नाम क्यों रखे गये, भारतीय नहीं होना चाहिए था, भारत नहीं आना चाहिए था। यह इंडियन होना चाहिए था। मैंने तब भी कहा था और आज भी उस बात को दोहराना चाहता हूं कि 'इंडिया' दासता, गुलामी का चिन्ह है। भारत हमारा गौरव है। इसलिए भारत रखा गया है।

19.00 hrs

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

जैसा मैंने कहा कि भारत सरकार का मोटो 'सत्यमेव जयते' संस्कृत में है। आर्मी का मोटो 'सेवा अस्माकमः धर्म', संस्कृत में है। नेवी का मोटो 'शं नो वरुणः' है, एयरफोर्स का मोटो 'नभः स्पृशं दीप्तम' है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मोटो 'य एष सुप्तेषु जागर्ति' है, आईबी का 'जागृतं अहर्निशं' है, इनकम टैक्स का मोटो 'कोष मूलो दंडः' है। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का मोटो 'यतो धर्मस्ततो जयः' है। वह भी संस्कृत में है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा।

अगर वे सामने होते तो मैं उनको बताता, जो लोग इस बात का विरोध कर रहे थे, हमारे तमिलनाडु के फ्रेंड्स, ज्यादातर उनके नाम, उनके परिवार के सदस्यों के नाम ज्यादातर संस्कृत में है।

I think that they should not be apologetic about it. They should be proud of it. I appreciate this that the core culture of Tamil Nadu is intrinsically linked to the *bhartiyata*.

हमको इस बात पर गर्व होना चाहिए, एक तो मैं यह कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, कॉन्स्टीट्यूशन का जो आर्टिकल 348 है, वह यह कहता है कि authoritative texts of all Bills and Acts should be in English unless otherwise decided by the Parliament. इसमें कहा कि इंग्लिश में होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अब समय आ गया है और मैं भारत सरकार से, माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आर्टिकल को भी आज बदलने की जरूरत है। हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर सारी की सारी प्रोसीडिंग्स इंग्लिश के अंदर होगी, यह भी आर्टिकल 348 बोलता है। हमारे जितने टेक्स्ट हैं, जितने बिल्स हैं, उनको इंग्लिश में होना चाहिए। इसको आज बदलने की जरूरत है। यह भी एक दासता का निशान है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर सारी का सारी जो हेयरिंग होगी, जजमेंट आएंगे, वे सब इंग्लिश के अंदर होंगे। मैं एक बात तो यह कहना चाहता हूँ।

महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं और जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं। मेरा पहला सुझाव यह है कि इस देश के अंदर सब के लिए एक ही कानून होना चाहिए। हम इक्वेलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं। कानून की निगाह में सब लोग बराबर हैं। एक आदमी अपने घर में बिजली का बल्ब लगाने के लिए, बिजली का बल्ब जलाने के लिए बिजली की चोरी करता है और एक आदमी जो इल्लिगल रूप से, अवैध रूप से चौबीसों घंटे करोड़ों की फैक्ट्री चलाता है, दोनों के लिए दंड बराबर है। एक आदमी जो अपने पेट के लिए चोरी करता है और एक बड़ा उद्योगपति जो सैकड़ों व हजारों करोड़ रुपये की चोरी करता है, उसके लिए भी दण्ड एक है। यह ऐसा है कि किसी किसान के खेत में अगर घास किसी खरगोश ने खा ली, राम कृपाल जी, किसी खरगोश ने अगर किसी के खेत में थोड़ी सी घास

खा ली और एक हाथी ने खा ली, तो दोनों को एक-एक डंडा मारो, क्योंकि दंड एक ही है। दोनों को एक-एक डंडा मारो। एक डंडा मारने से खरगोश बेचारा मर जाएगा और हाथी को कुछ होगा नहीं, इसलिए इस कानून को बदलने की जरूरत है।

दूसरा, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग कहते हैं कि दुनिया के अंदर जिसने कानून दिया, उसको मनु महाराज बोलते हैं। मनु महाराज ने मनुस्मृति के अंदर और आचार्य चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर यह लिखा है— जो व्यक्ति जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा अपराध करेगा, जितने बड़े पद पर होगा, जितनी ऊंची प्रतिष्ठा का होगा, उसको दंड भी इतने ही गुना मिलना चाहिए। इसलिए हमारे कानूनों के अंदर यह बदलाव भी आना चाहिए।

आदरणीय सभापति महोदय, हमारे एक साथी ने इस बात का जिक्र किया था कि मोदी जी जिस श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना चाहते हैं... (व्यवधान)

माननीय सभापति: मान साहब, बैठ जाइये।

सरदार सिमरन जीत सिंह मान: अग्रवाल साहब, आप सुनिये।... (व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह : हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी जिस श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि हमारे बच्चों में नैतिकता आए। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, ताकि हमारे बच्चों को स्कूल-कॉलेजों के अंदर मोरल एजुकेशन दी जा सके, नैतिक शिक्षा दी जा सके और हम अपनी विरासत पर गर्व कर सकें। विरासत किसी ईंट-पत्थरों का नाम नहीं है। विरासत विचारों का नाम है, सदाचार और संस्कृति का नाम है। इसलिए श्रेष्ठ भारत के परिवारों में अच्छा चरित्र हो, श्रेष्ठ चरित्र हो, वहां स्वतंत्रता भी हो। वहां स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। वहां फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन लिमिटलैस लिबर्टीज नहीं होनी चाहिए। इसी के तहत हम जानते हैं कि जब नदी किनारों के बीच में बहती है तो जीवन देती है और जब किनारे तोड़ कर बहती है तो विनाश करती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दो बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमारे इन बिलों के अंदर और हमारी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी यह बात डिस्कस हुई है कि सेक्शन 377 – जिसको हम अननेचुरल सेक्स बोलते हैं, अप्राकृतिक मैथुन बोलते हैं और

सेक्शन 497 – जिसको एडल्टरी या बेवफाई कहते हैं, इन दोनों सेक्शंस को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट वर्ष 2018 में आया था, उसमें यह कहा गया कि ये दोनों के दोनों जो कानून हैं, ये नागरिक के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं। इसलिए इनको खत्म किया जाता है।

मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यह बात कही गई कि व्यक्ति को सेक्सुअल चॉइस की फ्रीडम देनी चाहिए। जब हम सेक्शन 497 की बात करते हैं, जहाँ हम एडल्टरी खत्म करने की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आदमी को स्वायत्तता है, तो महिला को, उसकी पत्नी को भी स्वायत्तता है। क्या हम अपने परिवारों को बर्बाद करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं? कौन चाहेगा, हम में से कौन सम्माननीय सदस्य चाहेगा कि मेरे परिवार में इसके बारे में आज़ादी दी जाए, बच्चों को आज़ादी दी जाए कि जहाँ मन करे, वहाँ यौन संबंध बनाओ, सेक्सुअल रिलेशंस बनाओ। कौन जज इस बात को चाहेगा कि उनके बच्चों के साथ ऐसा हो। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए क्योंकि जहाँ भी ऐसा होगा, तो परिवार टूटेंगे। जब परिवार टूटेंगे, तो तलाक के मामले बढ़ेंगे, परिवार टूटेंगे तो जुवेनाइल क्राइम बढ़ेगा, जिसे हम कहते हैं, “children in conflict with the law”. जब यह होगा, तो वे बाद में जाकर एक संगीन अपराधी बनेंगे। इसलिए मैं इस बात के लिए रिक्वेस्ट करूँगा।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली, 1 सितम्बर, 2023 को, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने बहुत अच्छी बात कही। मैं उसको कोट करना चाहता हूँ:

Repealing Sections 377 and 497 of IPC appears to be wrong. Where will morality exist?

Sir, I would like to congratulate Justice Siddharth, Allahabad High Court who recently stated categorically in a judgement that there is a systematic design to destroy the institution of marriage in India. The western concept of changing partners every season cannot be considered to be a hallmark of a stable and healthy society, and youth get attracted to such philosophy.

हम तो एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं, एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं, जो दुनिया का सिरमौर बने, जो दुनिया में विश्वगुरु बने। इसलिए मैं यह रिक्वेस्ट करूँगा कि सेक्शन 377 को, इसमें तो यह भी हो गया कि यदि अडल्ट मेल के साथ किसी ने ज़बरदस्ती की, then he has no recourse to go, न वह कहीं कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि ये सब खत्म हो गए हैं। इसलिए सेक्शन 377 और सेक्शन 497 को हमारे इन कानूनों में जगह देनी चाहिए।

मैं एक और बात जरूर कहना चाहूँगा। श्री वी.डी. राम साहब ने इसके बारे में कुछ बातें कही थीं। पहले अंग्रेजों ने कहा कि पुलिस के ऊपर भरोसा मत करो, पुलिस ने जो स्टेटमेंट रेकॉर्ड किया है, उस पर भरोसा मत करो। अभी भी वही बात है, यह भी एक दासता का चिह्न है, एक गुलामी की निशानी है। ऐसा क्यों है? क्या हम पुलिस पर भरोसा नहीं करते हैं? हम अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस पर भरोसा करते हैं। इस देश में सारी चीजों की बंदोबस्ती के लिए, जितने पर्व-त्योहार होते हैं, सब कुछ के लिए हम पुलिस पर भरोसा करते हैं। हम इनकम टैक्स में काम करने वाले एक क्लर्क पर भरोसा करते हैं, कस्टम, ईडी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आदि के अन्दर काम करने वाले जो भी जवान हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमें पुलिस वाले पर भरोसा नहीं करना है, यह कहाँ का न्याय है? हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ कुछ मामले आए हों, कुछ लोगों ने कुछ गलतियाँ की होंगी, कुछ लोगों ने कुछ बेईमानी की होगी, मगर कौन-सा ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि उसके किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी ने कोई बेईमानी नहीं की होगी? हम लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, मगर पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के 140 करोड़ लोगों को आज़ादी दी। उन्होंने उनसे कहा कि जिन नौजवानों को रोजगार चाहिए, तो जितने भी सर्टिफिकेट्स और डिग्रियाँ हैं, उनको सेल्फ अटेस्ट करो, उस पर खुद सिग्नेचर करो। हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन, हम अपनी ही बनाई पुलिस पर, इस देश के पार्लियामेंट द्वारा अपने ही बनाये हुए कानूनों पर विश्वास नहीं करेंगे। यदि हम लोग ही विश्वास नहीं करेंगे, तो विदेशी लोग कैसे विश्वास करेंगे? आज हम इस देश की इज्जत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यदि हम लोग अपने कोर्ट्स पर विश्वास

नहीं करेंगे, तो विदेशी लोग हमारे कोर्ट्स और पुलिस के डॉक्युमेंट्स पर क्या विश्वास करेंगे? इसलिए आज इस बात पर विचार करने की जरूरत है। आईपीसी पर चर्चा के दौरान यह बात आई है, एविडेंस एक्ट के अन्दर यह बात आई है। अभी तेजस्वी सूर्या जी बोल भी रहे थे कि यदि आपको किसी का स्टेटमेंट रेकॉर्ड करना है, अगर वह इलेक्ट्रॉनिकली रेकॉर्ड हो रहा है, अगर पुलिस इलेक्ट्रॉनिकली रेकॉर्ड कर रही है, तब भी उस पर भरोसा नहीं करना है, यह कहाँ का न्याय है? मुझे लगता है कि अगर हम इस बात को खत्म नहीं करेंगे, तो हमें कोई भी माफ नहीं करेगा। आज लगभग 50 लाख पुलिस परिवार हम सब लोगों की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं, इस सदन की तरफ देख रहे हैं। हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए जिन पर भरोसा करते हैं, क्या हम उनको न्याय नहीं देंगे?

यह सब देख रहे हैं, क्या उन पर हम विश्वास नहीं करेंगे? आज जरूरत है कि हम पुलिस पर विश्वास करना सीखें और इसको चेंज करें।

सभापति महोदय, मैं एक और बात जरूर कहना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

... (व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह : हां, सर, मैं जल्दी अपनी बात समाप्त कर देता हूँ।

दुनिया के जितने विकसित देश हैं, हम लोग अंग्रेजों की नकल उतारते थे। अंग्रेजों ने हमारे देश के लिए कानून बनाए कि पुलिस पर विश्वास नहीं करना। अंग्रेजों ने अपने देश के अंदर कानून बनाए कि पुलिस पर विश्वास करना। यहां तक कि Test Identification Parade भी हमारे यहां मेजिस्ट्रेट कन्डक्ट करता है, जबकि खुद लंदन में मैंने देखा है, मुझे वहां कोर्ट्स में जाने का मौका मिला था, आज भी इंग्लैंड के अंदर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, कौन एक्यूज्ड है, कौन आरोपी है, यह काम वहां पुलिस वाले करते हैं। कोई मेजिस्ट्रेट नहीं आता, कोई जज नहीं आता। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, सब जगह पुलिस पर भरोसा करते हैं।

मोदी जी इस देश को वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित देश बनाना चाहते हैं। ये कानून तो बहुत लंबे समय तक काम करेंगे। इस देश को पूर्ण विकसित देश बनाने के लिए क्या हम पुलिस पर विश्वास नहीं करेंगे? मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ। मेरा इस बात के बारे में विनम्र अनुरोध है कि हमें इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

फूड एडल्ट्रेशन के बारे में बात आई है। यह बात सही है कि छः महीने की सजा बहुत कम है। आज यह बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है। आज बहुत ज्यादा मिलावट होती है। सुबह के दूध से लेकर चाय तक, हर एक चीज के अंदर आज मिलावट है। हम लोग उसमें छः महीने का दंड देते हैं। मुझे लगता है कि इसमें कम से कम सात वर्ष की सजा जरूर होनी चाहिए, ताकि हर एक केस के अंदर फॉरेंसिक साइंटिस्ट्स को बुला सकें, जिससे यह कार्य करने वालों को सही दंड मिल सके।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं कुछ और मोटी-मोटी बातें बताना चाह रहा था। यदि आप मुझे अनुमति देंगे, तो मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं विशेष रूप से सीआरपीसी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपने यह कहा था कि मुझे एक बात और कहनी है। मैं यह समझ रहा था कि शायद वह आपकी आखिरी बात है। आपने 'एक बात' कई बार कही न, तो मैं समझा कि शायद आप कनक्लूड कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह : यह कई बार होता है। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, I am not asking to do that. Please conclude.

... (Interruptions)

डॉ. सत्यपाल सिंह : सभापति महोदय, हमारे सीआरपीसी में एक बात अभी आई है। एविडेंस एक्ट के अंदर एक नया प्रोविजन किया गया है। प्रोविजन यह है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको कोर्ट के अंदर नहीं बुलाया

जाएगा। उनके डॉक्युमेंट्स के ऊपर विश्वास किया जाएगा। लंदन में हमारा केस चल रहा है। हमारे देश के कई केसेज चल रहे हैं, हमारे लोग वहां जाते हैं। हम जो डॉक्युमेंट्स वहां पेश करते हैं, उन पर विश्वास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमने ऐसा कानून यहां बनाया है। अतः मेरा निवेदन यह है क्या हम लोग एक्सपर्ट्स के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे? क्या पुलिस एक्सपर्ट नहीं है? पुलिस भी तो क्रिमिनल सिस्टम की एक्सपर्ट है। उसने जो डॉक्युमेंट्स दिए हैं, they should be considered as exhibits. This should also be considered. इसके बाद एक निवेदन यह है कि ट्रायल शुरू होने से पहले एक्यूज्ड लोगों को बुलाकर, डिफेंस काउंसिल को बुलाकर पूछो कि कौन से डॉक्युमेंट्स आपको एक्सेप्टेबिल हैं? कौन से डॉक्युमेंट्स आपको एक्सेप्टेबिल नहीं हैं? जो डॉक्युमेंट्स वे कहते हैं कि मुझे एक्सेप्टेबिल हैं, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मैं एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ। पुराने कानून में, सीआरपीसी में एक सेक्शन 162 है। सेक्शन 162 के तहत अगर पुलिस किसी का बयान लेती है, किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, तो उस पर उसके साइन नहीं लेती। लेकिन दुनिया में सब जगह साइन लिए जाते हैं। आज भी उसको सेक्शन 162 के तहत ऐसे ही रखा गया है। आज पूरी दुनिया के अंदर बयान पर साक्ष्यदार के साइन लिए जाते हैं, नहीं तो जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत से कनविक्षन हम इसलिए नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जो विटनेस हैं, जो साक्ष्यदार हैं, वे कल को होस्टाइल हो जाते हैं, इसलिए उनके साइन करवाने चाहिए। सेक्शन 162 में हमको यह चेंज लाना चाहिए कि जितने भी स्टेटमेंट्स पुलिस रिकॉर्ड करेगी, they must be signed by the concerned witness. यह मेरा निवेदन है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का बहुत समय दिया। वैसे तो मैं दो-चार बातें और कहना चाहता था। मैं मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में कहना चाहता था। ... (व्यवधान) आपको बोलना है? ... (व्यवधान) जो मैं बोल रहा हूँ, वह आप नहीं बोलेंगे। ... (व्यवधान) मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डी. के. बसु जजमेंट दिया। यह डी. के. बसु जजमेंट कहता है कि एक्यूज्ड को पकड़ोगे, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करोगे। हर 48 घंटे के अंदर पुलिस कस्टडी में उसको एग्जामिन करो।

सवरे से लेकर शाम तक पुलिस वाले अस्पताल के अंदर बैठे रहते हैं। कोई मेडिकल एग्जामिन नहीं करता है। पुलिस वालों का सारा दिन बर्बाद हो जाता है। उसकी रिपोर्ट मिलती नहीं है। इस बारे में भी, मैं कहता हूँ कि अभी जो यह आया है, अब इस कानून में बहुत अच्छी बात आयी है कि डॉक्टर को तुरन्त रिपोर्ट देनी पड़ेगी। हथकड़ी लगाने के लिए, कितना ही बड़ा गुंडा या बदमाश हो, हर बार कोर्ट से पूछना पड़ता था। कई बार हम पुलिस वाले कहते थे, यह मैं आपको सच बता रहा हूँ, कई बार पुलिस वाले जज से बोलते थे कि सर यह आरोपी ऐसा है कि अगर इसको हथकड़ी नहीं लगायी तो यह आपकी कुर्सी पर चप्पल फेंककर मारेगा। एकदम से जज कहते थे कि ऐसा है तो इसे हथकड़ी लगा लीजिए। हर बार उसको हथकड़ी लगाकर लाने के लिए कोर्ट की परमीशन लेनी पड़ती थी। अभी जो यह प्रोविजन किया गया है, यह बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अभिनन्दनीय है। हथकड़ी लगाने का प्रावोजिन पुलिस को दिया गया है।...

(व्यवधान) सर्विस ऑफ समंस एंड वारंट। कितनी बार हम लोग उसमें जाते हैं, हमारे पुलिस वाले जाते हैं। कितना पुलिस बल लगता है। सर, एक मिनट का समय दे दीजिए। सर्विस ऑफ समंस और वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत पुलिस वाले लगाये जाते हैं। कितना पुलिस बल उसमें लगता था। अभी यह बहुत अच्छा प्रोविजन आया है कि इलेक्ट्रॉनिकली व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिए, आप ई-मेल भेज दीजिए, यह सब उसमें माना जाएगा, इससे पुलिस को बहुत बड़ा फायदा होगा। सैंक्शनिंग अथॉरिटी का 120 दिन के अंदर प्रोविजन आ गया। अगर सैंक्शन नहीं दिया तो इट वुड बी डीमंड टू हैव बीन गिविन। एक और धारा 156(3), अगर पुलिस केस रजिस्टर नहीं करती तो लोग कोर्ट में जाते हैं और आजकल आपको मालूम है कि नीचे के कोर्ट में कैसे काम होता है। आपके खिलाफ धारा 156(3) में केस रजिस्टर हो जायेगा। अब इसमें प्रोविजन किया गया है कि जब तक आपको नहीं सुना जाएगा, जिसे आरोपी बनाया गया है, जब तक उसे नहीं सुना जाएगा तब तक केस रजिस्टर नहीं हो सकता। यह बहुत अभिनन्दनीय प्रोविजन भारत सरकार ने किया है। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ।

माननीय सभापति : मैं सोचता हूँ कि काफी चीजें हो गई हैं।

डॉ. सत्यपाल सिंह : मैं आपके लिए कह रहा हूँ। मैं यह सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ। यह आप लोगों के फायदे में है कि कोर्ट में पुलिस पर विश्वास किया जाए। यह हम सब लोगों के फायदे में है। मैं आधी बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि पहले हमें न्याय क्यों नहीं मिलता था, एड्जॉर्नमेंट ऑफ्टर एड्जॉर्नमेंट इन कोर्ट्स के अंदर होता था। लोग तो यह बोलते थे, अभी हमारे कुछ लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए कि काले कोर्टों के चक्कर में न्याया बेचारा रोता था।

माननीय सभापति : अभी काले कोर्ट वाले भी बोलने वाले हैं।

डॉ. सत्यपाल सिंह : मैं इसलिए बोल रहा हूँ। केवल दो ही अड्जॉर्नमेंट होंगे। दो अड्जॉर्नमेंट से ज्यादा नहीं होगा। यह बहुत अच्छा प्रावधान किया है। महोदय, आपने मुझे इतना समय दिया है, मैं अपने सभी मित्रों का, अपनी पार्टी का, सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद

माननीय सभापति : श्री पी.पी. चौधरी जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी स्लिप भिजवाइए, देखते हैं।

सरदार सिमरन जीत सिंह मान : स्लिप तो मैंने भिजवाई हुई है। स्लिप तो सबसे नीचे दबी हुई है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : जी-जी, बैठिए। आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। आप बहुत माननीय व्यक्ति हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण तीन बिलों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

भारतीय न्याय संहिता बिल, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल, 2023 पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

सभापति जी, ये तीनों बिल इतिहास कायम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इंडियन पीनल कोड 160 साल पुराना है और एविडेंस एक्ट 130 साल पुराना और सीआरपीसी करीब 51 साल पुराना है। आज क्रिमिनल जस्टिस में एक बहुत बड़ा इतिहास प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। जिस हिसाब से इन कानूनों को नाम दिया गया है? उसके बारे में भी जानने की जरूरत है। कई बार बात हुई कि इनका हिंदी में इस तरह का नाम क्यों दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता के पहले अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाया गया था, वह इंडियन पीनल कोड था यानी 'भारतीय दंड संहिता।' कानून का परपज पनिशमेंट था। उस कानून का ऐम एंड ऑब्जेक्ट पनिशमेंट देने का था और अब इस कानून का ऐम एंड ऑब्जेक्ट भारतीय न्याय संहिता यानी 'न्याय' देने का है, 'जस्टिस' करने का है। यह डिपार्चर बहुत बड़ा फर्क है और अपने आप में पहली बार हम देख रहे हैं कि देश के नागरिकों के साथ न्याय करने के लिए यह बिल लाया गया है जिसका ऑब्जेक्ट पहले दंड देने का था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट और ऐम न्याय देने का है।

सभापति जी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसिजर कोर्ट, यानी पहले से ही व्यक्ति को क्रिमिनल माना जाता है। व्यक्ति के लिए जो ट्रॉयल होता था, उसका जो प्रोसिजर था, वह क्रिमिनल मानकर किया जाता था लेकिन अब जो बिल माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पेश किया है, वह नागरिक संहिता सुरक्षा है। आप डिपार्चर देखें कि हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसमें जो प्रावधान किए हैं, उसमें नागरिकों के साथ अन्याय नहीं होगा। इस ऑब्जेक्ट के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह बिल लाया गया है। नागरिक असुरक्षित महसूस न करें, इस सोच में और ब्रिटिश कोलोनियल सोच में बहुत बड़ा फर्क है। पहले क्रिमिनल प्रोसिजर कोर्ट था, अब भारतीय नागरिक

सुरक्षा संहिता है। पहले कानून लोगों को कंट्रोल में करने के लिए बनाते थे क्योंकि उन्हें अपना राज चलाना था और कोलोनियल रूल को मजबूत करना था,, लेकिन अब ये कानून सिविल और क्रिमिनल केसेज के लिए काम में आएंगे। यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसके लिए कई कमेटियां बैठीं, पब्लिक कंसल्टेशन हुआ और माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत समय दिया और एक-एक प्रावधान इस प्रकार से बनाए गए कि देश के नागरिकों के लिए सही तरह का कानून बने। होम अफेयर्स की जो संसदीय स्थायी समिति थी, उसने अपनी 146वीं रिपोर्ट में इन सारे कानूनों के लिए कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कोलोनियल रूल का है और इसका रिव्यू होना बहुत जरूरी है। उस रिपोर्ट के बाद भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। पार्लियामेंटी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स की 111वीं और 128वीं रिपोर्ट में भी साफ लिखा है कि इन कानूनों का रिफार्म और रेशनलाइजेशन होना बहुत जरूरी है और एक कम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लाया जाना चाहिए। पीसमील में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट कर देते थे लेकिन उसे टच करने की कोशिश नहीं करते थे। किसी ने टच करने की हिम्मत नहीं की और यह सोच लिया था कि लार्ड मैकाले ने वर्ष 1860 में जो कानून बनाया, वर्ष 1872 में जो कानून बनाया, उसे वैसे ही रहने दिया जाए और उन्हें टच करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने केवल अपने राज को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए। तीनों कानूनों में इंडियन इथोज रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन कानूनों का ऐम, ऑब्जेक्ट और स्प्रिट जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच है कि नागरिकों को कैसे न्याय मिले।

चाहे विक्टिम हों, चाहे अपराधी हों, दोनों को न्याय कैसे मिले? ऐसा न हो कि किसी निर्दोष को सजा मिले। पहले हमारा जस्टिस सिस्टम पनिशमेंट देने का था। अब आप वहां से डिपार्चर देखिए। पहले यह एप्रोच थी कि पनिशमेंट कैसे दी जाए, लेकिन अब यह एप्रोच है कि लोगों को न्याय कैसे दिया जाए और अब कानून को रिफॉर्मेटिव रखा गया है।

महोदय, हम देखते हैं कि क्रिमिनल ज्यूरिस्पूडेंस में एक थ्योरी डेटेरेंट की होती है और एक थ्योरी रिफॉर्मेटिव की होती है। दुनिया भर में समय-समय पर इस पर लम्बी बहस चली। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स को देखें तो हम देखेंगे कि कई जजेज रिफॉर्मेटिव थ्योरी में विश्वास करते थे। इसके कई जजमेंट्स हुए कि यह सिस्टम रिफॉर्मेटिव होना चाहिए। डेटेरेंट की थ्योरी पुराने जमाने की बात थी। वह मुगल शासकों की और अंग्रेजों की बात है। अगर हमें रिफॉर्मेटिव को देखना है तो इन कानूनों की स्पिरिट और ऑब्जेक्ट रिफॉर्मेटिव है, जैसे छोटे-छोटे अपराधों के लिए कम्युनिटी सर्विस का भी प्रावधान रखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि नेशनल पॉलिसी ऑन क्रिमिनल जस्टिस की रिपोर्ट वर्ष 2007 में आई। उस रिपोर्ट के अलावा वर्ष 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु दयाल वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में यह साफ लिखा कि हमारा इंडियन इथोज रिफॉर्मेशन और रिहैबिलिटेशन का है, हमें थ्योरी ऑफ डेटेरेंट को एडैप्ट नहीं करना चाहिए, और जहां पर संभव हो सके, वहां पर कम्युनिटी सर्विस का भी प्रावधान होना चाहिए। इस तरह से बार-बार, चाहे रिपोर्ट्स हों, चाहे स्टैण्डिंग कमेटी की रिपोर्ट्स हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के डायरेक्शंस हों, सबमें इसे कहा गया है क्योंकि तब लॉ में बहुत बड़ा गैप था, यह कोडिफाइड नहीं था। वर्ष 1860 में कोलोनियल टाइम में जो कानून बना, वह कानून जब आज के परिप्रेक्ष्य में फिट नहीं होता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने कई केसेज में अपना इंटरप्रेटेशन देकर 'फिल-इन-द-गैप' का काम किया। चूंकि वे मल्टीपल जजमेंट्स थे, अलग-अलग इंटरप्रेटेशन थे, तो हमने देखा है कि उस जजमेंट को समझना एक आम जनता के लिए बहुत मुश्किल का काम था, पुलिस और इन्वेस्टीगेटिंग ऑफिसर के लिए मुश्किल का काम था, क्योंकि कानून कोडिफाइड नहीं था, हम बस इंटरप्रेटेशन के बेस पर चल रहे थे। इसका उदाहरण विशाखा जजमेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन्स दी गयीं। अगर कानून अपने आप में पूरा होता तो फिर विशाखा जजमेंट नहीं आता। उसके बाद संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 2013 में उस गैप को भरने की कोशिश की गयी।

महोदय, जहां तक विटनेस की प्रोटेक्शन की बात है तो हम देखते हैं कि आज सबसे ज्यादा वल्लरेबल विटनेस हैं क्योंकि कोई भी आदमी अपनी गवाही देने के लिए दस बार सोचता है कि मुझे क्या सुरक्षा मिलेगी? वर्ष 2018 में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत आई। हम देखते हैं कि उतने पुराने कानून को हम आज के परिप्रेक्ष्य में कम्पैटिबल नहीं मानते हैं, तो उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने बार-बार कई जजमेंट्स में 'फिल-इन-द-ब्लैक' का काम किया है।

महोदय, अभी प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ये तीनों बिल लेकर आए हैं। तीनों को रिप्लेस करके नए कानून लेकर आए हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश रूल के रेन्मेंट्स हैं और उनका लक्ष्य सिर्फ इंडियन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को कंट्रोल करना था। जैसा कि मैंने बताया, पुराने कानून का फोकस सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट पर था। उसमें नागरिकों के न्याय के लिए किसी तरह के प्रावधान नहीं थे। अगर हम देखें तो पहले के तीनों कानून आज की तारीख में मॉडर्न सोशल नॉर्म्स, तकनीक, जस्टिस रिक्वायरमेंट, इन तीनों के साथ एलाइन नहीं करते हैं। इनमें ये तीनों कानून फिट नहीं बैठते हैं। यही कारण है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध हुए, बच्चों के खिलाफ अपराध हुए। इन मामलों में ये तीनों पुराने कानून इंसेंसिटिव हैं।

महिलाओं और बच्चों के मामलों में पूरी तरह से जो प्रावधान होना चाहिए था, वह प्रावधान नहीं होने की वजह से आज हम देखते हैं कि उनके साथ लंबे समय तक अन्याय हुआ है और न्याय नहीं हुआ है। सर, आउटडेटिड और कोलोनियन लॉ की वजह से लो कनविकशन रेट रहा है। यह सबसे बड़ी समस्या है। पता चलता है कि 83 पर्सेंट रेट एक्विटल का है या कहीं देखते हैं कि मात्र 10 पर्सेंट कनविकशन रेट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लॉज सन् 1860 में बने हैं, वे आज के मॉडर्न सोसाइटील नॉर्म्स में, आज की तकनीकी के मामले में, आज के जस्टिस रिक्वायरमेंट के मामले में फिट नहीं होते हैं। इसीलिए आम जन का विश्वास क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में पूरा का पूरा खत्म हो रहा है। हम कभी एक्यूज करते हैं, ज्यूडिशियरी को करते हैं या किसी अन्य संस्थान को करते हैं, लेकिन हमने अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा कि इसका क्या कारण है।

पार्लियामेंट की प्राइमरी ड्यूटी कानून बनाने की है तो इन चीजों को बहुत पहले देखा जाना चाहिए था। यह बहुत ही अच्छा निर्णय है, जो माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने लिया है। यह बहुत ही ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। पूरे देश में आम नागरिक यह महसूस करेगा कि मुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। इन तीनों कानूनों की मेन स्प्रिट और ऑब्जेक्टिव जस्टिस ऑरिएंटेड और न्याय करने से संबंधित है। यह एक कम्बरसम प्रोसेस है। महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि किस हिसाब से यह एक कम्बरसम प्रोसिजर है। आप क्रिमिनल प्रोसिजर कोड देखें, एविडेंस एक्ट देखें, एक लंबा कम्बरसम प्रोसिजर है और पेपर वर्क भी उसका इतना बड़ा हो जाता है कि लगातार फाइल के ऊपर फाइल और उसके बाद डॉक्यूमेंट के ऊपर डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं। उसी वजह से जो हम कहते हैं कि न्यायालय में डिले क्यों होता है, उसका यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। अगर कानून क्लियर नहीं है, कानून साफ नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसमें डिले होने की बहुत संभावना रहती है। हम देखते हैं कि क्रिमिनल केसेज बहुत लंबे समय तक चलते हैं, उनका कल्मिनेशन नहीं होता है, फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचते हैं। जहाँ तक लीगल टैक्नीकैलिटीज हैं, हम हमेशा कोर्ट में देखते हैं कि एक तरफ तो लीगल टैक्नीकैलिटीज हैं और दूसरी तरफ जस्टिस है। In case of a conflict between technicality and justice, आज की तारीख में इन तीनों पुराने कानूनों के तहत टैक्नीकैलिटी का ओवराइडिंग इफेक्ट होता था और न्याय एक तरफ रह जाता था। न्याय नहीं मिलता था। अब उस चीज को हटा कर इन तीनों नए बिलों में टैक्नीकैलिटीज के ऊपर न्याय रखा गया है। न्याय सबसे पहले आएगा और टैक्नीकैलिटी बाद में आएगी। इस तरह से कोर्ट के लिए गाइडेंस इन तीनों बिलों के द्वारा होगी कि वे पहले न्याय करें और टैक्नीकैलिटी की सुप्रीमेसी नहीं होगी।

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में तीनों पुराने कानूनों में ऐसा किसी तरह का प्रावधान नहीं था कि आज की मॉडर्न टैक्नोलॉजी को कैसे यूटिलाइज करें। जब कि मॉडर्न टैक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, उसका यूटिलाइजेशन जरूरी है, चाहे एविडेंस एक्ट में हो, चाहे क्रिमिनल प्रोसिजर कोड में हो। इन पुराने कानूनों में कहीं भी इसको यूटिलाइज करने के

सही तरह के प्रावधान नहीं थे। लेकिन अब तीनों नए बिलों में यह प्रावधान देने की वजह से आने वाले समय में कोर्ट केसेज़ की पेंडेंसी भी घटेगी, जो हम आज कहते हैं कि 5 करोड़ केसेज़ पेंडिंग है। सबसे पहले तो देश का इतना बड़ा क्रिमिनल जस्टिस डिलिवरी सिस्टम जो है, जिसमें सबसे ज्यादा केसेज़ पेंडिंग हैं, इन तीनों कानूनों से कम हो जाएंगे। हमने कई बार देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की, वकीलों ने कोशिश की, बार एसोसिएशन ने कोशिश की, सरकार ने कोशिश की और पार्लियामेंट ने भी कोशिश लेकिन पेंडेंसी हमेशा रही है।

सभापति महोदय, चूंकि मैं भी इसी फील्ड से हूँ, इसलिए यह बताना चाहूंगा कि इन तीनों कानूनों को पढ़ने के बाद हम यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पहला तो केसेज़ में डिले नहीं होगा।

दूसरा, जो एरियर्स हैं, वे भी खत्म होंगे। पुराने कानूनों की अभी जो सबसे बड़ी हिडेंस थी, उसमें एफिसिएन्ट इन्वेस्टिगेशन की बात थी। हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के मामले में बड़ा समय लग जाता था। उसमें तकनीकी का उपयोग नहीं हो पाता था।

आज कई मॉडर्न इश्यूज हैं। आज की तारीख में पुराने कानून और नए कानून को देखें और तीनों बिल को देखें, तो साइबर क्राइम को एड्रेस करने के लिए पुराने कानूनों में सही तरह के प्रावधान नहीं थे। हम कभी कोई कानून काम में लेते हैं, कभी कोई दूसरा कानून काम में लेते हैं, लेकिन हमें एक जगह कोडिफाइड नहीं मिल रहा था। जिस हिसाब से टेररिजम का एक्स्पेंशन हुआ है, उसको भी सही तरीके से डील नहीं किया जा रहा था। जिस हिसाब से ऑर्गनाइज्ड क्राइम होते हैं, जैसे मॉब लिंग है, यह पहले नहीं था। वर्ष 1860 के कानून को डील करने के लिए हम अलग-अलग जगह से देख कर करते थे। अब इन सारे तीनों बिलों में इसका प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा कि जिस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट ने वर्ष 2014 से पुराने कानूनों को, जो कानून हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हर्डल क्रिएट करते थे, उन कानूनों की वजह से देश आगे नहीं बढ़ रहा था, जिस स्पीड से बढ़ना था, वह नहीं बढ़ रहा था। इस तरह के करीब 1500 कानूनों को वर्ष 2022 तक रिपील किया गया। उसके साथ-साथ इन कानूनों में

करीब 32,000 कम्प्लैन्सेस थे। उनकी जगह-जगह पालना करनी पड़ती थी। कोई बिजनेस लगाने के लिए नहीं तैयार था। जिस हिसाब से उन क्राइम्स के मामले में इतने कानून थे कि उन कानूनों को रिपील करके बहुत बड़ा काम किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी बहुत बड़ा काम हुआ है।

महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जिस हिसाब से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से काम हो रहा है, इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी काम बहुत आगे बढ़ा है। मैं कह सकता हूँ कि इन तीनों बिलों से एन्टायर लीगल प्रोसेस और एफआईआर रजिस्ट्रेशन से लगाकर जजमेंट तक पूरा का पूरा डिजिटाइज किया गया है।

सभापति महोदय, सिर्फ इसी बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, एरियर को रिड्यूस करने का, क्विक जस्टिस के लिए और जो पेंडेंसी है, वह भी खत्म होगी। जिस हिसाब से हम वुमेन के मामले में देखते हैं, हार्मिंग वुमेन व मेंटल हेल्थ के लिए पहले कोई पनीशमेंट नहीं था। इसको भी अब नए कानूनों में एक क्रूएल्टी माना है। सबसे ट्रांसपरेंसी का जो काम है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पूरा का पूरा वीडियोग्राफी का प्रावधान किया जा रहा है। सेक्सुअल क्राइम विक्टिम के लिए, ट्रांसपरेंसी मेन्टेन करने के लिए, विक्टिम के प्रोटेक्शन के लिए वीडियोग्राफी का पूरा प्रोविजन देना और नई टेक्नोलॉजी का काम लेकर, इन सब को जोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।

महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट की जो परिभाषा थी, यह पहले बहुत लिमिटेड थी। कई चीजों डॉक्यूमेंट में नहीं आती थीं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लोगो, कम्प्यूटर्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, वेबसाइट और लोकेशनल एविडेन्स, मेल-मैसेजेज ऑन डिवाइसेस, इन सबको अब प्राइमरी एविडेन्स के रूप में कोर्ट यूज कर सकती है।

माननीय सभापति : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी. पी. चौधरी : इन सारे के सारे एन्टायर प्रोसेसेज को डिजिटाइज करना, एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सहित एन्टायर ट्रायल के लिए बहुत बड़ी बात है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: चर्चा कल तक चलेगी।

श्री पी. पी. चौधरी : सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जैसे पुराने कानून में समन इश्यू करते थे। समन डाक से जाते थे, क्योंकि उसमें वही प्रावधान था। उसमें इतनी डिले होती थी कि चार-चार, पाँच-पाँच सालों तक समन सर्व नहीं होते थे। आज इलेक्ट्रॉनिकली समन सर्व हो सकते हैं। उसमें किसी तरह की पेंडेंसी नहीं होगी और डिले भी नहीं होगा। आप ई-एफआईआर कहीं भी फाइल कर सकते हैं। जरूरत नहीं है कि आप उस क्षेत्र में करें, जहां क्राइम कमिट हुआ है। इसे आप कहीं भी कर सकते हैं।

जहां तक मेडिकल एग्जामिनेशन की बात है, पहले मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ सब-इंस्पेक्टर जा सकता था, लेकिन अब कोई भी पुलिस ऑफिसर जा सकता है। इन चीजों को लचीला बनाना है और जस्टिस ओरिएंटेड एप्रोच होना है। इसमें डिले नहीं होना है। यह इन कानूनों का स्पिरिट ऑब्जेक्ट है।

फारेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर सात साल से ऊपर की सजा है, यह बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है, तो वहां पर एक्सपर्ट साइट पर विजिट करेगा, क्राइम सीन पर विजिट करेगा और अपने मोबाइल से सारा प्रोसेस रिकार्ड करेगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एवीडेंस के लिए फिंगर इम्प्रेशन के साथ-साथ, अब वाइस सैंपल को भी उसमें शामिल किया है।

जहां तक टाइम लाइन की बात है, अब मेडिकल प्रैक्टिशनर को सात दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी और बीस दिनों के अंदर जजमेंट देना पड़ेगा। जो एग्जंप्शन है, वह कंप्लीशन ऑफ जजमेंट 45 डेज तक मैक्सिमम एक्सपेंडेबल है। चार्जेंज प्रेम करने के लिए 60 दिन के अंदर-अंदर यह सारा करना पड़ेगा।

जहां तक पनिशमेंट की बात है, छोटे-छोटे क्राइम की पनिशमेंट में जेल भेजने की बजाए कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान रखा गया। जैसे अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, छोटा चोरी का कोई मामला हो, डीफॉर्मेशन का मामला हो, इसमें कम्युनिटी सर्विसेज का प्रावधान रखा है। मॉब लिंगिंग का पहले पनिशमेंट नहीं था। अब इसको इंकलूड किया गया है। पुलिस द्वारा 90 दिनों के अंदर

चार्जशीट फाइल करनी पड़ती थी और कोर्ट परमीशन 90 दिन के अंदर दे सकता था।... (व्यवधान) सबसे ज्यादा फोकस आर्गनाइज्ड क्राइम पर है।

माननीय सभापति : बिल के प्रत्येक पहलू पर बोलना जरूरी नहीं होता है।

श्री पी. पी. चौधरी : डॉक्यूमेंट्स चाहे भारतीय साक्ष्य बिल में हों, चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हों, उनमें सारे डॉक्यूमेंट्स को लिया गया है। जो पहले एविडेंस थी, उसको चेंज करके इन्फॉर्मेशन गिवेन इलेक्ट्रॉनिकली, उसको भी शामिल किया गया है। एपीयरेंसेज ऑफ विटनेस, एक्यूज्ड, एक्सपर्ट एंड विक्टिम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी कर सकते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एडमिसिबल एविडेंस में नहीं था। यह होने से ट्रॉयल और भी फास्ट होगा।

माननीय सभापति : आपने बोल दिया है, सब चीजें एविडेंस में जोड़ दी गई हैं।

श्री पी. पी. चौधरी : लास्ट में, एक फियर आम जन में था कि तीनों बिल जब पास हो जाएंगे, तो क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू होंगे? सभापति जी, मैं क्लियर कर दूं कि सब जगह यह संशय फैला हुआ है, कहीं मीडिया भी पूछती है, आम जन भी पूछते हैं, कोर्ट में एडवोकेट्स वगैरह भी पूछते हैं, सारे लोग एक ही बात पूछते हैं। मैं आपके माध्यम से इस बात को क्लियर कर दूं कि ये तीनों बिल आने के बाद उसमें किसी तरह की कोई पेंडेंसी है, किसी तरह एप्लीकेशन, किसी तरह की प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो चाहे नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें धारा... (व्यवधान) और साक्ष्य बिल में धारा 170 है, उसके तहत में जितनी भी पेंडिंग प्रोसीडिंग हैं, उन पर ये कानून लागू नहीं होंगे। आने वाले जो ... (व्यवधान) एक्टिविटीज हैं, उन पर लागू होंगे। आपने मुझे परमीशन दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री दिलीप शङ्कीया।

आप अपना विषय संक्षेप में रखने की कोशिश करिए।

... (व्यवधान)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: Mr. Chairman, Sir, please allow me to speak.

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए ।

... (व्यवधान)

श्री दिलीप शङ्कीया (मंगलदोई): सभापति जी, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक, जो तीनों बिल माननीय गृह मंत्री जी ने पेश किए हैं, इन तीनों बिल्स के सपोर्ट में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। करीब डेढ़ सौ साल बाद कानून में यह संशोधन लाया गया है। भारत के संस्कारों के अनुरूप एक प्रक्रिया माननीय प्रधान मंत्री जी ने शुरू की है। हजारों कानून ब्रिटिश यहां पर चालू करके गये थे और वे अभी भी चल रहे थे, ये कानून भारत की संस्कृति और जनता के हित में नहीं थे। ऐसे हजारों कानून रद्द किए गए और उसके साथ जो यह संशोधन लाया गया है, भारत सरकार के प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यह बहुत ही इंपोर्टेंट मूव है।

गृह मंत्री जी ने जिस हिसाब से इस कानून को बारीकी से अध्ययन करके इसमें सुधार किया है, इसमें भारत के न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन करके इसके भारतीयकरण करने के मकसद को भी निश्चित रूप से पूरा किया है।

तीनों बिल्स में जो विधान लाये गये हैं, इस विधान के माध्यम से जो क्रिमिनल्स हैं, जो समाज विरोधी घटनाएं करते हैं, उनको न्याय देने का विषय नहीं है, जो एक्यूज्ड है, उसको जल्दी से जल्दी पनिशमेंट मिले, इसका प्रावधान इस बिल में किया गया है।

मैं इस बिल के सपोर्ट में बोलना चाहता हूँ। मैं इस ऐतिहासिक कदम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और माननीय गृह मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं तीनों बिल्स का सपोर्ट करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री राम कृपाल यादव जी – उपस्थिति नहीं।

श्री गणेश सिंह जी।

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को देश के सामने पांच प्रण की बात की थी। उन पांच प्रणों में गुलामी की सभी निशानदेही को समाप्त करना था। आज के तीनों विधेयक मोदी जी के उसी प्रण के अनुपालन का सबसे बड़ा उदाहरण है।

अंग्रेजों द्वारा बनाए गए और अंग्रेजी संसद द्वारा पारित किए गए इंडियन पीनल कोड, 1860, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 1898 और 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 कानूनों को समाप्त करना। आज माननीय गृह मंत्री जी ने तीन कानून यहां विचार के लिए रखा है, उसका मैं हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

इंडियन पीनल कोड, 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 स्थापित होगा, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 स्थापित किया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 में अंग्रेजों की गुलामी का सबसे बड़ा उदाहरण था, जिन्होंने लिखा था, "Parliament of the United Kingdom", 'Provincial Act', 'notification by the Crown Representative', 'London Gazette', 'any Dominion, colony or possession of his Majesty', 'Jury', 'Lahore', 'United Kingdom of Great Britain and Ireland', 'Commonwealth,' 'Her Majesty or by the Privy Council,' 'Her Majesty's Government,' 'copies or extracts contained in the London Gazette, or purporting to be printed by the Queen's Printer.' 'possession of the British Crown,'..." ये तमाम चीजें उन्होंने लिखी थी, गुलामी की दास्तान से मुक्ति दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, कम है। समाप्त होने वाले तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। इसका उद्देश्य न्याय देने का नहीं बल्कि दंड देने का

न्याय था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का अभिनंदन करता हूँ। ये तीनों नये कानूनों की आत्मा होगी, भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना, इनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा। इन कानूनों में संशोधन की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। इनके लिए समय-समय पर भारत विधि आयोग, बेजबरुआ समिति, विश्वनाथन समिति, मल्लिमथ समिति, माधव मेनन समिति और गृह मामलों की संसदीय साहित्य जैसे निकायों ने कई बार सिफारिशें दीं लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इसे ठंडे बस्ते में डालकर रखा।

सभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2019 में कहा था कि अंग्रेजों के समय के बनाए हुए जितने भी कानून जिस भी विभाग में हैं, उन पर पर्याप्त चर्चा और विचार कर आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाना है। 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट्स, 5 न्यायिक एकेडमियों, 22 विधि विश्वविद्यालयों, 142 सांसदों और लगभग 270 विधायकों ने इस कानून के बारे में अपने विचार भेजे थे। माननीय गृह मंत्री जी ने इस नए विधेयक को लगातार चार साल विचार के लिए रखा और स्वयं 198 बैठकों में उपस्थित हुए, जो कि अब के इतिहास का सबसे अद्भुत प्रमाण है।

सभापति जी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी। इसमें अब 533 धाराएं होंगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिप्लेस करेगी। इसमें 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। इसमें 168 के स्थान पर 170 धाराएं होंगी, 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं। ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे। इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था। माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में 475 जगह गुलामी की इन निशानियों को समाप्त कर नया विधेयक प्रस्तुत किया है।

सभापति जी, कानून में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलैक्ट्रॉनिक, डिजिटल रिकॉर्ड्स, ई-मेल, सर्वर लॉक्स, कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल सर्च, डिवाइस पर उपलब्ध मेल, मैसेजर्स को कानूनी वैधता दी गई है। अभी तक साक्ष्य में ये सब चीजें जोड़ी नहीं जाती थीं, लेकिन अब इससे कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। एफआईआर के केस की डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइजेशन करने का प्रावधान किया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को कम्पलसरी कर दिया गया है और यह केस का हिस्सा होगा। इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा और पुलिस द्वारा इस तरह की रिकॉर्डिंग के बिना कोई चार्जशीट दर्ज नहीं मानी जाएगी।

सभापति जी, प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नेशनल फोरेन्सिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे दोष सिद्धी के प्रमाण के लिए फोरेन्सिक साइंस में बढ़ावा दिया जा सकेगा। इससे तीन साल बाद हर साल 33,000 फोरेन्सिक साइंस एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स देश को मिलेंगे। कानून में दोष सिद्धी के प्रमाण को 90 परसेंट से ऊपर ले जाने का प्रावधान किया गया है। सात वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन्स पर फोरेन्सिक टीम की विजिट को कम्पलसरी किया जा रहा है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा और इसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।

सभापति जी, माननीय मोदी जी की सरकार नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आजादी के 75 सालों बाद पहली बार 'जीरो एफआईआर' शुरू करने जा रही है। अपराध कहीं भी हुआ हो, इसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। अभी तक इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। पहली बार ई-एफआईआर का प्रावधान जोड़ा जा रहा है। हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना देगा। यह शायद पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं होता था।

सभापति जी, यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान कम्पलसरी कर दिया गया है। यौन उत्पीड़न के मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग कम्पलसरी कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना आवश्यक हो गया है। अभी तक यह होता था कि जब अपने लोगों का मुकदमा वापस लेना होता था तो बिना किसी आधार के मुकदमे वापस हो जाते थे, लेकिन अब इसमें नया प्रावधान किया गया है, पीड़ित को सुने बिना कोई भी सात वर्ष या इससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगा, इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी।

छोटे मामलों में समरी ट्रॉयल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब तीन साल तक की सजा वाले अपराध समरी ट्रॉयल में शामिल हो जाएंगे। इस अकेले प्रावधान से ही सेशन कोर्ट में 40 प्रतिशत से अधिक केसेज समाप्त हो जाएंगे। आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय-सीमा तय कर दी गई है और विशेष परिस्थितियों में इसे 90 दिनों तक और बढ़ाया जा सकता है 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रॉयल के लिए भेज देना होगा। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होगी। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर माननीय न्यायालय को फैसला सुनाना होगा। इससे सालों तक पेंडिंग पड़े केस जल्दी समाप्त हो जाएंगे। सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारी के विरुद्ध ट्रॉयल के लिए सरकार को 120 दिनों के अंदर अनुमति अगर प्राप्त नहीं होगी, तो वह उनकी अनुमति मान ली जाएगी और उस पर मुकद्दा कायम हो जाएगा। घोषित अपराधियों की सम्पत्ति की कुर्की का प्रावधान भी लाया गया है। अंतर्राज्यीय गिरोह, संगठित अपराधों के विरुद्ध अलग प्रकार की कठोर सजा का नया प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा गया है। सजा माफी को राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करने के कई मामले देखे जा चुके हैं। अब मृत्यु दंड को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास को कम से कम 7 साल की सजा और 7 साल की सजा को कम से कम 3 साल तक की सजा में भी बदला जा सकेगा और किसी भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी सरकार राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने जा रही है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, इसलिए सबको बोलने का पूरा अधिकार है।

राजद्रोह का मुकद्दा पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। पहले आतंकवाद की कोई व्याख्या नहीं थी। अब सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, सम्प्रभुता एवं अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। अनुपस्थिति में ट्रॉयल के बारे में फैसला किया गया है। सेशन कोर्ट के जज द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए व्यक्ति की अनुपस्थिति में ट्रॉयल होगा और उसे सजा भी सुनाई जाएगी, चाहे वह दुनिया में कहीं भी छिपा हुआ हो, उसे सजा के खिलाफ अपील करने के लिए भारतीय कानून और अदालत की शरण में आना ही होगा। कानून में कुल 313 बदलाव किए गए हैं। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक आमूल-चूल परिवर्तन लाया जाएगा और किसी को भी अधिकतम 3 वर्षों में न्याय मिल जाएगा। इस कानून में महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है। अपराधियों को सजा मिले, यह सुनिश्चित किया गया है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके, ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं। मैं इस ऐतिहासिक बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): माननीय सभापति जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने भारतीय इतिहास में न्याय के क्षेत्र में होने जा रहे सबसे बड़े बदलाव के अवसर पर बोलने का मुझे मौका दिया है।

महोदय, मैं इसके साथ ही साथ अपने हिंदुस्तान के दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और सचमुच में गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपनी सूझ-बूझ के साथ कानून में इतना बड़ा बदलाव करके शोषित, पीड़ित एवं वंचित लोगों को न्याय प्रदान करने की कोशिश की है। महोदय, आज का यह सदन और यहां बैठे हुए लोग इस ऐतिहासिक पल को हमेशा याद रखेंगे। यह सदन और हम सब लोग इसके साक्षी रहेंगे। पिछले 100 वर्षों से अधिक, जो कानून था, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था, अंग्रेजियत उस पर साफ तौर से दिख रही थी, आज आजाद भारत में 75 वर्षों के बाद इस ऐतिहासिक कदम को उठाने का अगर किसी ने निर्णय लिया, तो वह हमारे प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी ने लिया है। निश्चित तौर पर इतिहास में उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर जो वंचित और गरीब, शोषित तबके के लोग थे, उनके साथ न्याय करने का काम इस संशोधन के माध्यम से किया जाएगा।

महोदय, मैं समझता हूँ कि ये जो तीन विधेयक हैं, ये भारतीय दंड संहिता, 1860 की जगह पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 लाए गए हैं।

20.00 hrs

माननीय सभापति : यदि सदन की अनुमति हो तो सदन का समय एक घंटे के लिए यानी नौ बजे तक के लिए बढ़ा देते हैं।

कुछ माननीय सदस्य: जी हाँ।

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, दंड की जगह न्याय शब्द इशारा करता है कि हमारी सरकार का लक्ष्य क्या है। हम देश में न्याय का वातावरण बनाने आए हैं। साथ ही साथ जो दूसरा विधेयक अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 है, उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,

2023 लाया गया है, जिसके द्वारा न्यायिक प्रक्रिया, जांच के आरोप आदि के नियम भी तय किए जाएंगे। तीसरा विधेयक, भारतीय साक्ष्य संहिता, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 स्थापित होगा, जहां जांच के नये तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे तथा नई तकनीकी व्यवस्था का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस पर ही ज्यादा बल देने का काम किया गया है। महोदय, ये तीनों कानून गुलामी की निशानी थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहल करके कई परिवर्तन करने का काम किया है और गुलामी के उस चिह्न को मिटाने की कोशिश करने का भी काम किया है। उसी कड़ी में यह कानून है, जिसमें बदलाव आज माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से सदन में लाने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे खूबसूरत बात भारतीयता है। हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, हमने उसको भी इस कानून के माध्यम से एडॉप्ट किया है। हमारी जो लोकप्रिय और ऐतिहासिक संस्कृत भाषा है, उसको भी इस कानून में समाहित करने की कोशिश की गई है। यह सरकार के लिए बहुत बड़ा कदम है। मैं समझता हूँ कि भारतीय न्याय संहिता में पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब मात्र 336 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किये गये हैं। 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त करने का काम किया गया है। यही नहीं भारतीय साक्ष्य विधेयक में पहले की 167 धाराओं के स्थान पर 170 धाराएं होंगी तथा 23 धाराओं में बदलाव करने का काम किया गया है। इसमें एक नई धारा जोड़ी गई है तथा पाँच धाराओं को निरस्त करने का काम किया गया है।

महोदय, मैं इस कानून के कुछ प्रावधानों को आपके माध्यम से देश के समक्ष रखना चाहता हूँ। पहली बार इस कानून में ई-एफआईआर का प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है। पहला, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार से उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचना देना जरूरी होगा। दूसरा, एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने का प्रावधान किया गया है। यह बहुत ही उत्तम कदम है। यही नहीं सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी जरूरी होगा। सरकार ने न्याय प्रक्रिया में यह बहुत सार्थक कदम उठाने का काम इस कानून के माध्यम से

किया है। इससे निर्दोष नागरिकों को नहीं फंसाया जा सकेगा। सात वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराधों की घटना पर फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच की जाएगी। पुलिस की मनमानी पर अंकुश लगेगा। अभी लोगों का मानना है कि पुलिस बड़े मामलों में झूठा सबूत इकट्ठा करके, मैं समझता हूँ कि इकट्ठा करने की जगह मिटाने के लिए ज्यादा काम करती थी, उससे हम अपने-आप को बचाएंगे। इससे कोर्ट के सामने वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध होगा। इस कदम से कोर्ट में दोषियों को बरी होने की बहुत कम संभावना रहेगी। तीन साल के बाद हर साल 33 हजार फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट और साइंटिस्ट देश को मिलेंगे। उससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ अपराध के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है।

मॉब लिचिंग के केस में सात साल का आजीवन कारावास और मृत्यु दंड के भी तीन प्रावधान रखे गए हैं। मोबाइल फोन या महिलाओं की चैन स्नैचिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इस नए कानून के तहत यह प्रावधान रखा गया है। बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को सात साल से बढ़ाकर दस साल करने का काम किया गया है। अनेक अपराधों में जुर्माने की राशि को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

पहली बार शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। आम तौर पर ऐसे केस बहुत ज्यादा होने लगे थे। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का भी प्रावधान किया गया है, जो कि बहुत ही उत्तम कदम है। पहली बार न्याय देने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। पहली बार छोटे-मोटे अपराधों के निपटारे के लिए पूरे देश में समरी ट्रॉयल का स्थायी प्रावधान करने का काम किया गया है। चोरी, चोरी की संपत्ति रखना, शांति भंग करना, धमकी देने जैसे मामलों में अब समरी ट्रॉयल होगा और एक ही सुनवाई में जुर्माना या छोटे दंड के साथ इसका निपटारा किया जाएगा।

महोदय, माना यह जा रहा है कि इससे अदालतों पर 40 प्रतिशत केसेज का बोझ कम पड़ेगा। यही नहीं, ट्रॉयल के दौरान बार-बार तारीख पर तारीख लेने के सिस्टम को भी बंद करने

का काम किया जाएगा। किसी भी आरोपी का वकील दो बार से अधिक तारीख नहीं ले सकता है। अधिकांश केस इसी कारण से वर्षों तक लटके रहते थे।

सुनवाई पूरी नहीं होने के बाद, अब अदालत को भी 30 दिनों के अंदर फैसला सुनाना ही पड़ेगा, इसलिए इसे अनिश्चित काल के लिए नहीं टाला जा सकेगा। यह बहुत ही उत्तम कदम है। लोगों को इससे बहुत सहूलियत मिलने वाली है। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय-सीमा तय कर दी गई है और अदालत परिस्थिति देखकर अन्य 90 दिनों की परमीशन दे सकेगी। इस प्रकार कुल मिलाकर 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रॉयल की व्यवस्था करने का काम किया गया है। अब कोर्ट आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर ही न्यायाधीशों को फैसला देना होगा। इससे सालों तक जो निर्णय पेंडिंग रहा करते थे, अब उससे निजात मिलेगी। अब सात दिनों के भीतर फैसला ऑनलाइन डालना होगा और उसे लोगों के बीच में लाने की बाध्यता होगी।

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, यही नहीं, पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी।

माननीय मोदी जी की सरकार राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने जा रही है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और सबको बोलने का अधिकार है। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। मैं समझता हूँ कि इस कदम से देश की जनता को बहुत राहत मिलने वाली है।

माननीय सभापति : प्लीज, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, अभी तक सिर्फ आरोपियों के लिए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी का प्रावधान है। अग्रिम एफआईआर, चार्जशीट और अदालत के लिए...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप प्लीज अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, फ़ैसले पूरी तरह से डिजिटल होंगे। गवाहों और पीड़ितों को भी वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जा सकेगा। गवाहों और आरोपियों को समन या नोटिस एसएमएस के माध्यम से भी भेजने का प्रावधान है।

महोदय, मैं इस ई-गवर्नेंस के माध्यम से देश में न्याय और सुरक्षा का वातावरण बनाने के प्रयास के लिए सरकार का आभारी हूँ। इस सरकार ने लोगों की तकलीफों को समझने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर पुलिस, कोर्ट-कचहरी में फंसने का मतलब बर्बाद होना है। मैं समझता हूँ कि जो ये अंग्रेजी कानून का वातावरण था, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। हम न्यायिक कामकाज को विस्तारित तरीके से कम करने की कोशिश करेंगे।

महोदय, मैं दो-तीन बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा। सरकार ने बहुत काम किया है। मैंने बताया है कि गरीबों के लिए न्याय प्रक्रिया में सहजता करके न्याय देने का काम किया है। एक बड़ा सवाल यह है और आप भी आमतौर पर महसूस करते होंगे कि कोर्ट्स में जो केसेज जाते हैं, मैं समझता हूँ कि उनमें न्याय मिलने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे कई लोग हैं, जो ट्रायल कोर्ट्स में हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, जमानत करने वाला भी नहीं है। सरकार को उनकी तरफ भी एक नीतिगत सोच के तहत निर्णय लेना चाहिए, जिनको देखने वाला कोई नहीं है। सरकार उनके लिए विचार करे कि क्या उपाय हो सकता है। न्यायालय में जाने के बाद जब नीचे न्याय नहीं मिलता है तो वह आगे की कोर्ट में जाता है। वहां वकीलों की फीस इतनी अधिक है कि वह देने में असमर्थ होता है। जब उसको नीचे की कोर्ट में न्याय नहीं मिला तो वह उच्च कोर्ट में जाएगा और वह सुप्रीम कोर्ट तक आता है। सुप्रीम कोर्ट में एक-एक वकील की लाखों रुपये फीस होती है और वह देने में असमर्थ होता है। क्या हम इस पर विचार नहीं कर सकते हैं? निश्चित तौर पर ऐसे गरीब लोगों के लिए हम सहजता के साथ कानून में प्रावधान करें और ऐसी व्यवस्था करें, ताकि गरीब को, जो सामर्थ्यवान नहीं है, उसको आसानी से न्याय मिल सके। वह उच्च स्तर पर न्यायालय में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनकी औकात नहीं है। निश्चित तौर पर उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए।

महोदय, मैं आपके प्रति, माननीय प्रधान मंत्री जी और गृहमंत्री जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक ऐतिहासिक कानून लाकर परिवर्तन करने का काम किया है। सौ वर्ष के बाद ऐसा हुआ और अगले सौ वर्ष तक यह कानून लागू रहेगा और न्याय मिलता रहेगा। इससे गरीब और वंचित लोगों को न्याय मिलेगा। यह साहस करने का काम कोई कर सकता है तो मोदी गवर्नमेंट कर सकती है। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आज आपने मुझे भारत के गृहमंत्री द्वारा लाए गए विधेयकों पर बोलने का अवसर दिया है। इंडियन क्रिमिनल जस्टिस कानून, जो ब्रिटिश कोलोनाइजर्स का कानून था, उसको बदलने और एक आमूलचूल परिवर्तन करने के संबंध में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक, इन तीनों विधेयकों को माननीय गृह मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। आपने मुझे इनके समर्थन में बोलने का अवसर दिया है। महोदय, मैं उस दिन भी सदन में मौजूद था, जब माननीय गृहमंत्री जी इन तीनों विधेयकों को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। आज विपक्ष के बहुत साथी नहीं हैं, लेकिन उस दिन सदन के समक्ष विधेयकों को प्रस्तुत करते समय विपक्ष के कई साथियों ने इस बात का उल्लेख किया था कि क्या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य विधेयक के नाम बदले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इससे पूरे देश के पैन इंडिया के, परिप्रेक्ष्य में कठिनाई होगी। उन्होंने इस तरह का सवाल उठाया था। आज शायद वे इस चर्चा में भाग लेते तो इस सदन के माध्यम से इन तीनों विधेयकों के संबंध में पूरे देश में संदेश जाता कि आज भी विपक्ष की यह मानसिकता है। जिसका नाम ही भारतीय दंड संहिता या इंडियन पीनल कोड था, उस भारतीय दंड संहिता को समाप्त करके भारतीय न्याय संहिता लाने का काम भारत के गृहमंत्री कर रहे हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि आज दंड की जगह पर इस कानून से देश को न्याय मिलेगा। यह स्वाभाविक है कि आज इस कानून में बदलाव हुआ है। महोदय, जैसा हमारे साथियों ने भी कहा है कि आज इस कानून को बदलने के पीछे आखिर क्या कारण हैं और इन कानूनों का क्या इतिहास है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें कही हैं तो मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ और जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि जो आईपीसी या सीआरपीसी लाए गए थे, ये ब्रिटिश के लॉ थे और ब्रिटिशर्स के द्वारा ही बनाए गए थे, लेकिन उससे पहले भी कानून था। जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, उस समय हमारे यहां मुफस्सिल कोर्ट्स हुआ करती थीं।

उन मुफस्सिल कोर्टों में मोहम्मडन लॉ के माध्यम से, क्योंकि मुगलों की सल्तनत थी, तो मुगलों की सल्तनत में जो उनके अपने इस्लामिक आधार पर कानून थे, वे उन मुफस्सिल कोर्टों से लोगों को न्याय देने का काम करते थे। प्री-ब्रिटिशर्स अराईवल के समय में एक तरह से मुफस्सिल कोर्ट के जो कानून थे और फिर जब उसके बाद इस देश में अंग्रेज आए और उन्होंने आकर के इंग्लिश क्रिमिनल लॉ इंट्रोड्यूस किया तो एक कंप्यूजन होना शुरू हुआ और वह कंप्यूजन यह हुआ कि मुफस्सिल कोर्ट वाले कानून चलेंगे या ब्रिटिशर्स के कानून चलेंगे। फिर वर्ष 1831 में उस समय इंडियन लॉ कमिशन बनाया गया। जिस लॉर्ड मैकाले की बात करते हैं, आज भी उसकी शिक्षा पद्धति लागू थी, लेकिन यह देश इस बात के लिए आभारी रहेगा और शायद 17वीं लोक सभा कई चीजों के लिए इतिहास में साक्षी बनेगी कि लॉर्ड मैकाले की बाबू बनाने की जो शिक्षा पद्धति थी, उसको भी बदलने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है और आज वह एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं। मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं लेकिन आज उसी का परिणाम है कि हम दुनिया में ज्ञान के मामले में, एक्सलेंस के मामले में, आईटी के मामले में और बाकी सारी चीजों के मामले में आगे जा रहे हैं। उसी लॉर्ड मैकाले ने वर्ष 1831 में आईपीसी और सीआरपीसी को स्ट्रीम लाइन देने के लिए इंडिया में लीगल सिस्टम किस तरह का हो, इसके लिए उसने वर्ष 1833 में अपनी रिपोर्ट दी थी। उसका केवल यह ऐम था कि उन बिलों के माध्यम से इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कोलोनाइज किया जा सके ताकि वह ब्रिटिश प्रभाव में रह सके। उसका नतीजा यह हुआ, जैसा कि आज हमारे साथियों ने कहा कि 163 वर्षों के बाद आईपीसी चेंज होने जा रहा है। 151 सालों के बाद सीआरपीसी चेंज होने जा रहा है। 151 सालों के बाद एक्टिविटी एक्ट चेंज होने जा रहा है। ये तो 163 साल पुराने ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कानून हैं। उसके पहले के भी मुफस्सिल कोर्टों के भी कानून थे और वे भी सैंकड़ों साल तक चले थे। मुझे लगता है कि देश को आजादी वर्ष 1947 में मिली और हम निश्चित तौर से ब्रिटिशर्स से आजाद हुए और भारत को आजादी मिली, लेकिन उनके कानूनों से आज तक भी आजादी नहीं मिली थी। आज तक भी हमारे लीगल ज्यूरिसप्रूडेंस में और लीगल सिस्टम में आईपीसी और

सीआरपीसी चला आ रहा था। मुझे लगता है कि एक आजादी अगर वर्ष 1947 में मिली तो आज उनके बनाए हुए कानून जो केवल दंड के लिए थे, ब्रिटिश रूल को और अपने एम्पायर को बनाए रखने के लिए थे, लोगों के मन में टैरर कायम करके ब्रिटिशर्स की गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए थे। आज का यह वर्ष 2023 इतिहास में इस बात का गवाह होगा कि 19 और 20 दिसम्बर को इस देश में उन ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए उपनिवेशवादी कानूनों से अब भारत को श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत तीन कानूनों के माध्यम से देश को आजादी मिलने जा रही है। इसका विचार कहां से आया? मुझे लगता है कि इसका विचार, 15 अगस्त को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण की बात कही थी, तो पंच प्रण उन्होंने किस संदर्भ में कहे थे? पंच प्रण का विचार भारत मां के किसी सपूत के मन में ही आ सकता है कि हम इस बात का संकल्प लें कि हम इस देश को गुलामी के हर अंश से मुक्ति दिलाएंगे। गुलामी के हर अंश से मुक्ति की जो बात थी या अपनी विरासत पर गर्व करने की जो बात थी या विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर एकता और एकजुटता और नागरिकों में कर्तव्य की भावना पैदा करने की बात थी। इस चीज को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण को लेकर के लाल किले से देश की जनता का आह्वान किया था। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा प्रस्तुत ये तीनों विधेयक उस पंच प्रण की भावना को पूरा करने का काम करते हैं। Today, these three Bills are going to fulfil this goal of Shri Narendra Modi. मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम इसका इतिहास देखें तो आप इसे महत्वपूर्ण ढंग से देखेंगे।

इस कानून को बनाने के पीछे, जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें कौन-कौन सी चीजें आवश्यक हैं, उन्हें हम इसमें लेकर आए हैं। आज हम जो भारतीय न्याय संहिता ला रहे हैं, उसके काफी सैंक्शन्स की बात हुई, लेकिन मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ। हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि डिटेक्शन ऑफ दी क्राइम हो। अगर कोई अपराध होता है तो उसको वास्तविक रूप से डिटेक्ट किया जा सके और उसको एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जा सके। कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जिस पर काफी बातें कही गई हैं कि हमारा डिजिटल सिस्टम होगा, इलेक्ट्रानिक

सिस्टम होगा और एविडेंसेज होंगे। Determination of guilt or innocence मतलब, वह व्यक्ति अपराधी है या इनोसेंट है, ये भारतीय न्याय संहिता की इस संबंध में प्रमुख बातें हैं। इस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी ने खुद 158 बार बैठकें की थीं। सभी हाई कोर्ट के जजेस से तथा सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ चार साल तक कंसल्टेशन किया गया। उसके पीछे इस तरीके से मंथन हुआ कि अगर कोई दोषी है तो उसको निश्चित तौर से दोषी सिद्ध करके सजा दिलाई जाए और अगर कोई दोषी नहीं है, बेगुनाह है तो उसको दोषमुक्त किया जाए। इस तरीके से भारतीय न्याय संहिता के द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है, वह नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, 'Empty threats do not deter' अर्थात् ठोस आपराधिक कानून स्वयं संचालित नहीं हो सकते हैं। उन्हें प्रशासन और परिवर्तन के लिए तंत्र की आवश्यकता होती है। वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में समान रूप से महत्वपूर्ण है। हमारे काफी साथियों ने काफी कुछ कहा है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : सभापति महोदय, आपने सभी को 20 से 25 मिनट्स दिए हैं तो मुझे पांच मिनट और दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज इसके पीछे जो हमारे आइडियाज हैं, चाहे आज कम्युनिटी सर्विस की बात हो, चाहे सिटीजन्स के राइट्स की बात हो, आज introducing community service as a form of punishment is a step towards reformative justice. This is in consonance with the idea of Gandhi ji of serving the community. इस तरीके से हमारे जो की फीचर्स हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। भारतीय न्याय संहिता में आज बहुत सी चीजों का उल्लेख हुआ है। आईपीसी क्लॉज 109, 110 में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन हमने उसको भारतीय न्याय संहिता में स्पष्ट तौर से क्राइम के रूप में रखा है। मॉब लिचिंग के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, उसे क्लॉज 101 में रखा कि murder by group of five or more people based on caste, region or race. इसी तरह से फेक न्यूज के बारे में किया है। मैंने एक दिन इस पर सवाल उठाया

था। जैसे डीपफेक की बात भी है तो यह आज समाज में बहुत बड़ा तनाव पैदा कर सकता है। इसी तरह से टेररिस्ट एक्ट के लिए डिफाइन् करने की बात हुई। मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से जो आज स्थिति बनी है, वह बहुत अच्छी है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी हमारा मेनडेट निश्चित है। हमारे कई साथियों ने कहा है कि जो फॉरेंसिक इंवेस्टिगेशन होती है, उसको भी निश्चित तौर से यूज किया जाएगा। इलेक्ट्रानिक मोड में ट्रायल्स को एलाऊ किया जाएगा। डिजिटल वर्ल्ड के साथ जो बदलाव हो रहा है और आज सिग्नेचर के साथ-साथ फिंगर इंप्रेशन को भी मान्य किया जाएगा। इसी तरह से जो भारतीय साक्ष्य संहिता है, उसमें भी हमने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है। मैं कनक्लूड कर रहा हूँ।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, सभी बातें कही जा चुकी हैं।

श्री जगदम्बिका पाल : सभापति महोदय, जो बातें कही जा चुकी हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं केवल नई बातें कहूंगा। चाहे होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, चाहे 110वीं, 111वीं या 146वीं रिपोर्ट्स हो, इन सभी में ये संशोधन थे। जिस तरीके से हमारे तमाम कमीशन्स बने और उन कमीशन्स के बनने के बाद क्या हल निकला? पहले क्या था? आज इस कानून को बनाने के पीछे गृह मंत्री जी का या हमारी सरकार का यह उद्देश्य है कि अगर यह ह्यूमन सेंट्रिक नहीं होता, चूँकि हमने भारतीय न्याय संहिता के फर्स्ट चैप्टर में किसको लिया है, पहले सैक्शन 376 जो सबसे नीचे था, उसको आज हमने फर्स्ट चैप्टर में लिया है। महिलाओं और बालिकाओं के लिए जो कहा गया है, उस तरीके से हमने इसमें संशोधन किए हैं।

माननीय सभापति : श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव जी, कृपया आप पांच मिनट में अपनी बात कहिए, क्योंकि वक्ताओं की बहुत लंबी सूची है। कृपया आप संक्षेप में बोलिए।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलंगीर): सर, मैं पहली महिला सदस्य बोल रही हूँ। कृपया मुझे बोलने के लिए 10 मिनट का समय दीजिए।

माननीय सभापति : नहीं, आप बोलिए।

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Thank you, Sir. I rise to welcome and support this visionary Bill which seeks to do away with the last remnant of the British raj by replacing the archaic and redundant laws of the colonial era with utilitarian and pragmatic laws which are more relevant in today's context whilst keeping constitutional morality in mind.

We as a people are litigant by nature with great faith in the criminal justice system and retributive justice. Our hon. Prime Minister and our hon. Home Minister in the last four years have brought in path-breaking legislations whether it be on triple talaq or abrogation of Article 370 or more recently the reorganisation and reservation in Jammu and Kashmir. This Bill is just going to add to their tally of path-breaking legislations. They are leaders who have the will and the courage of their convictions to bring in revolutionary legislations for the betterment of the country. There are several interesting aspects of the Bill like, for the first time, community service has been introduced, abetment to an offence committed in India by a person outside India has been made an offence. After that, a new offence, which is particularly significant, has been added which is mob lynching since the Supreme Court has been requesting the Centre to bring in legislation to control mob lynching. After that, there is another very interesting new provision which strengthens the clutches of the law on proclaimed offenders and absconders. This is a problem which we are facing currently. As per Section 356 (6), absence of the accused would not prevent the court from proceeding with a trial including pronouncement of judgement. No appeal by a proclaimed offender would lie until he or she

appears before the court. This is a very interesting provision which has been added to this Bill.

What has really impressed me the most and which I appreciate as a woman is Chapter V wherein detailed provisions have been made for offences against women and children. A new offence has been added for having sexual intercourse on false promises of marriage, employment or promotion by suppressing one's identity. There are instances which are on the rise where women are also involved in cases of assault or use of criminal force against other women to disrobe or engage in acts of voyeurism. These two criminal acts have also been made gender neutral which is a very important point to note here. Apart from that, a new section has been added to make hiring, employing or engaging a child to commit an offence a punishable offence which is also very important. Besides these, there are certain other important issues. The Bill emphasises on increased use of forensics and technology. Under the Indian Evidence Act, more emphasis has been placed on forensics and technology. The definition of primary document, secondary evidence has been changed to be more relevant with all the internet usage and things like that.

Sir, I would like to say here that the Section which deals with women is very welcome because right from cyberbullying to stalking or causing a woman to abort or miscarry a foetus without her consent, or buying and selling children for the purpose of prostitution, all these aspects have been paid considerable attention to. I do not want to take too much time of the House. I just want to

add here that I agree wholeheartedly with the hon. Member Satya Pal ji when he talked about the year 2018 when the hon. Supreme Court decriminalised adultery. This has had a very disturbing effect on the fabric of Indian society. Women are treated as broodmares only to give children and thereafter, men go on with their life as they feel fit. And in rural India, women are being beaten by drunken husbands. There are far-reaching ramifications. I would like to request the hon. Home Minister to please look into this matter and review this Act which had been decriminalised.

Lastly, I would just like to say in conclusion that I particularly compliment and thank the hon. Prime Minister and hon. Home Minister for this transformative and progressive Bill which addresses the concerns of today, and especially for putting the interest of the unborn child and his mother in the forefront.

Once again, I would like to thank you very much.

माननीय सभापति: सुश्री सुनीता दुग्गल जी, कृपया समय का ध्यान रखियेगा ।

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सबसे पहले तो मैं इस ऐतिहासिक बिल पर आज मुझे जो मौका मिला है, मैं पार्टी संगठन को भी इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए मौका दिया है । यह बहुत ही ऐतिहासिक पल है । मैं इस बात के लिए भी अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि हम आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इस 17वीं लोक सभा के सदस्य हैं । आदरणीय गृह मंत्री जी इससे पहले आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का बिल लेकर आए थे, हम उसके भी साक्षी बने । इसके साथ-साथ आज जो ऐतिहासिक बिल यहाँ पर लाए जा रहे हैं, इसके भी हम साक्षी बन रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ ।

सभापति महोदय, इंडियन पीनल कोड, 1860 को भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 कहा जा रहा है । सीआरपीसी, 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 कहा जा रहा है । इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 को भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 कहा जा रहा है । मुझे लगता है कि यह इंडिया से भारत तक की यात्रा है और हम धीरे-धीरे विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं ।

सभापति महोदय, ये बिल आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा 11 अगस्त, 2023 को इंट्रोड्यूस किए गए थे और 11 अगस्त को ही ये स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिए गए थे । 10 नवंबर, 2023 को स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई । उसके बाद 12 दिसंबर को इनको विद्वद्ध किया गया, क्योंकि कमेटी की जो भी रिकमंडेशंस आई थीं, उनको उसके अंदर डालने के बाद, उसमें अमेंड करने के बाद फिर 12 दिसंबर, 2023 को वापस इनको इंट्रोड्यूस किया गया । आज इनको पास करने के लिए यहाँ पर चर्चा चल रही है । अब चूंकि ये दोबारा से यहाँ पर आए हैं, तो इनके नाम बदल कर भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 किया गया है ।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि अभी हमारे एक वक्ता कह रहे थे कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने जब लाल किले की प्राचीर से यह कहा कि हम अमृत काल में हैं और

इस अमृत काल के अंदर हम पंच प्रण करते हैं, to make India a developed nation. पंच प्रण ये थे: भारत को विकसित भारत बनाना, दूसरा कोलोनियल माइंडसेट को पूरी तरह से समाप्त करना, तीसरा अपनी संस्कृति पर, अपनी जड़ों पर गर्व करना, मान करना, चौथा एकता, एकजुटता, पांचवां आम नागरिक के अंदर कर्तव्य बोध का होना।

सभापति महोदय, मुझे लगता है कि ये पांच प्रण नहीं हैं, बल्कि ये भारत के पांच प्राण हैं। इसी के तहत यह लगता है कि भारत की जो यह विकसित भारत की यात्रा है, इस विकसित भारत की यात्रा के अंदर सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का रहता है तो महिलाएं, युवा, किसान और गरीब का रहता है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं चारों के बारे में कहा है कि वे इन चार जातियों में ही विश्वास रखते हैं और इनकी तरक्की ही हमारे देश को विकसित भारत की ओर लेकर जाएगी। इसके अन्दर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस महिलाओं और बच्चों को दिया गया है। इसलिए सेक्शन 63 और 64 को रखा गया है। यह प्रावधान एफआईआर को डिजिटाइज़ करने के लिए रखा गया है। इसके साथ-साथ, यह भी बताया गया है कि विक्टिम महिला की स्टेटमेंट को बंद कमरे में रेकॉर्ड किया जाएगा। यह सब कुछ बहुत ही विस्तार से बताया गया है। मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि अभी पिछले दिनों नये आईपीएस ऑफिसर्स आए थे। वे पूछ रहे थे कि आपको इसमें सेक्शंस को चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी? तब मैंने उनको बताया कि हमारी सोच है, आदरणीय गृह मंत्री जी की सोच है कि बच्चों और महिलाओं को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। अगर उनसे संबंधित धाराएं पीछे जा रही हैं, वह 376 में जा रही हैं, तो फिर उसका फायदा क्या है? अगर हम महिलाओं को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो हमें इसको आगे रखना चाहिए। इसलिए इन सेक्शंस के अन्दर चेंज किये गये हैं। मुझे यह लगता है कि भारत के जो युवा हैं, अब धीरे-धीरे उनकी समझ में आएगा कि ये सेक्शंस क्यों चेंज किये गये हैं, इसके पीछे हमारी क्या मंशा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि आदरणीय रविशंकर जी ने जब यह बात कही कि हमारा जो कोलोनियल सिस्टम है, उसको चेंज करने के लिए एक ही काल के अन्दर

हमारी यूनिवर्सिटीज को बदला गया और उसी काल के अन्दर आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट आए। यह बिल्कुल सही है। जब मैंने इसका पूरा विश्लेषण किया, तो मुझे पता चला कि 10 जून, 1834 को थॉमस बैबिंग्टन मैकॉले भारत आया था। वर्ष 1834 में, चार्टर एक्ट, 1833 के तहत फर्स्ट लॉ कमीशन आया और उसके तहत इसका ड्राफ्ट बनाया गया, जो एविडेंस एक्ट है। इसका ड्राफ्ट बनाया गया। कमाल की बात देखिए कि वर्ष 1835 में ही इंडियन एजुकेशन एक्ट आया और उसके मिनट्स में थॉमस बैबिंग्टन मैकॉले कहता है कि *only fund western education, not any other type of education*. सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन को फंड करो, इसके सिवाय किसी भी एजुकेशन सिस्टम को फंड नहीं करना है।

दूसरी बात उसने कही कि *Close all universities that only offer courses in Eastern philosophy*. उन सब यूनिवर्सिटीज को बंद किया जाए। आपने देखा होगा कि धीरे-धीरे हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या हुआ।

तीसरी बात उसने कही कि *just a small number of Indians should receive Government's education. These Indians would then instruct the rest of the populace*. थोड़े-से लोगों को पढ़ाओ, जैसा कि उन्होंने सिस्टम बताया कि जो हुकूमत का सिस्टम है, उसको करो और वे सबके ऊपर राज करेंगे। *The Downward Filtration Theory*. इसके बाद, उसने कहा है कि *Indian by blood and colour and British by taste, likes, beliefs, morality and intellect*. आप इनको ऐसा बना दो।

अभी दो माननीय सदस्यों, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, ने बहुत ही विस्तार में इसके बारे में बताया था। इसलिए मैं गहराई में नहीं जाऊँगी। उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया कि किसमें किस-किस सेक्शंस को चेंज किया गया है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं कहना चाहती हूँ कि मैं स्टैंडिंग कमेटी को बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी, उन्होंने बहुत ही बारीकी से इसके अन्दर जो चेंजेज आने चाहिए, वो उन्होंने करके बताया। माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं इसकी 158 बैठकें अटेंड कीं।

इसके साथ ही, 12 स्टेट्स, 6 यूटीज, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट्स, 5 जुडिशियल एकेडेमीज से सलाह ली गई।

माननीय सभापति : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

सुश्री सुनीता दुग्गल : महिलाओं में मेरे से पहले केवल एक ही महिला सदस्य बोली हैं, उसके बाद मैं दूसरे नम्बर पर बोल रही हूँ। इसलिए मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

माननीय सभापति : इसमें समानता है, कोई विशेष अधिकार नहीं है।

सुश्री सुनीता दुग्गल : इसमें 22 लॉ यूनिवर्सिटीज से सलाह ली गई, 142 एमपीज और 270 एमएलएज से भी सलाह ली गई। इसके अन्दर 511 सेक्शंस थे, उनको अब घटाकर 358 सेक्शंस कर दिये गये हैं। पहले टेररिज्म नहीं था।

वर्ष 1834 में, जब इसको कमीशन के द्वारा लेकर आया गया, तो जब उस समय उन्होंने इसका ड्राफ्ट बनाया, तब कोई मोबाइल फोन नहीं था, कोई कम्प्यूटर नहीं था, कितनी ऐसी चीजें हैं, जो अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से आ रही हैं। इसलिए भी इसकी सख्त जरूरत थी। इसलिए अब इसके अन्दर टेररिज्म को भी रखा गया है। सेक्शन 113 में करप्शन को रखा गया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेड्री क्राइम्स को सेक्शन 111 और 112 में रखा गया है। सेक्शन 103(2) में मॉब लिंगिंग है। हम लोगों ने मॉब लिंगिंग की बहुत-सी घटनाएं देखी हैं। इसके अन्दर यह कहा गया है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग, रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, कम्युनिटी के बेस पर, सेक्स के बेस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, पर्सनल बिलीव्स के बेस पर और किसी अदर बेस पर अगर कोई किसी को मार देता है और अगर उसका कंविक्शन इस क्राइम में होता है, तो उसको डेथ पेनल्टी होगी।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि 'हैवानों और कातिलों को मजहब से न जोड़ा जाए, मुजरिम जो भी हो, उसे किसी कीमत पर छोड़ा न जाए।'

सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। मैं इसके साथ-साथ यह कहना चाह रही हूँ कि यह बहुत ही सुनहरा मौका हमारे विपक्षी दलों के पास था। गृह मंत्री जी ने

यह बात बिलकुल साफ कही थी कि हम इस बिल को हड़बड़ी के साथ पास नहीं करना चाहते हैं ।
अगर सभी विपक्षी दल इसके अंदर भागीदारी करते ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी जी ।

... (व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल : सभापति महोदय, मुझे सिर्फ दो मिनट दे दीजिए । अगर इसके अंदर सभी विपक्षी दल भागीदारी करते, तो उनके लिए यह बहुत सुनहरा मौका था, क्योंकि आज माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उन्होंने आज जिस तरह से, आपने देखा होगा कि राजपथ को हमने कर्तव्य पथ में बदला है । उनके घर 7, रेसकोर्स रोड को हमने कल्याण मार्ग के रूप में बदला है । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी जी ।

... (व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल : सभापति महोदय, बस एक मिनट दीजिए । अब मैं दो मिनट से एक मिनट की मांग कर रही हूं । मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी जी, आप अपनी बात प्रारंभ करें ।

... (व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल : सभापति महोदय, अंत में मैं कहना चाहूंगी कि 'ये राहें ले ही जाएंगी ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी जी, आप बोलिए, आपका माइक ऑन हो गया है ।

... (व्यवधान)

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी (बालासोर) : मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस विषय पर हो रही चर्चा में बोलने देने के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। सर, वास्तव में यह जो कानून लाया गया है, यह हिन्दुस्तान में एक क्रांतिकारी अध्याय जोड़ रहा है। भारत में जो अंग्रेजियत की दास्ता करते हैं, वे इसको बर्दाशत नहीं करते हैं। आजादी के इतने सालों के बाद भी हम अंग्रेजियत की दास्ता, मानसिकता छोड़ नहीं सके। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। सर, भारत में अंग्रेज शासकों के द्वारा उनके साम्राज्यवादी लिप्सा को चरितार्थ करने के लिए जो दंड संहिता, जो बिलकुल गुलामी की निशानी थी, उसको हटाकर एक स्वतंत्र राष्ट्र का स्वाभिमानी जनता को न्याय देने के लिए, एक नई व्यवस्था बनाने के लिए ये तीन कानून - Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure and Indian Evidence Act को रिपील करके इन तीनों कानूनों में परिवर्तन करने का मोदी सरकार का निर्णय अत्यंत साहसिक, ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। सर, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 70 सालों तक इस विषय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अंग्रेजों के जमाने में और कांग्रेस के जमाने में जब कोई युवा विप्लव करता था, तब उसको कानून का डर दिखाकर, पुलिस का डर दिखाकर दबाया जाता था। परंतु, आज आजाद भारत में कानून का डर दिखाकर देश के नव-निर्माता, तरुण शक्ति को दबाने की कोई परंपरा नहीं चल सकती है। मान्यवर मोदी जी ने इस पर विराम दे दिया और एक नई व्यवस्था चालू की। सर, हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी मैकाले भक्तों को बहुत चोट पहुंचा रही है। कानून में जो यह परिवर्तन हो रहा है, पराधीनता की जो भयंकर निशानी थे, उनको हटाने की जब कोशिश की जाती है, तो उनको बड़ी पीड़ा होती है। कांग्रेस का निर्माण तो एक अंग्रेज, Allan Octavian Hume के द्वारा ही हुआ था। बाद में बहुत देशभक्त आए, लेकिन यह अंग्रेजी स्वाभाव छोड़ा नहीं है। सर, इसलिए यह नया कानून बहुत जरूरी था। अंग्रेजों के लिए हिन्दुस्तान के लोगों को मानव अधिकार की सुरक्षा से बढ़कर अंग्रेज शासन को भारत में स्थाई बनाना और मानववाद और महिलाओं पर अत्याचार से बढ़कर राजद्रोह और खजाने की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी। सर, उधम सिंह को अंग्रेजों के द्वारा अपराधी माना गया, उनको फांसी की सजा दी गई, लेकिन जनरल डायर, जिसने हजारों लोगों को मार

दिया, उसको तो अपराधी नहीं माना गया? अगर हम इसे अंग्रेजों की परिभाषा में अपराध मानेंगे, तो श्री अरबिंदो, नेताजी सुभाष को उन्होंने अपराधी माना। हमारे परमप्रिय देशभक्त, महावीर को अंग्रेजों की दृष्टि से देखना, कांग्रेस को इस चाल को छोड़ना पड़ेगा। सर, इन तीनों कानूनों के दुरुपयोग के कारण जन-साधारण बहुत अत्याचारित हो रहा था। कोर्ट में मामला परिलंबित था, जेल ओवरलोडेड थे। गरीब और पिछड़ा वर्ग अत्याचारित था। कनविक्शन रेट कम था, अंडर-ट्रायल कैदियों की संख्या ज्यादा थी। विधि आयोग ने इसमें परिवर्तन के लिए सिफारिश की थी। बेजबरुआ, मलिमथ और विश्वनाथन समिति की सिफारिश भी थी। होम मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी की भी सिफारिश थी। गृह मंत्रालय, राज्यपाल, मुख्य मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल, लॉ यूनिवर्सिटी और सांसदों से सुझाव लिए गए थे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। व्यापक परामर्श के बाद माननीय गृह मंत्री जी ने लगभग 58 औपचारिक और 100 अनौपचारिक मीटिंग्स करके यह निर्णय लिया। सर, जो गुलामी की निशानी है, जो कोलोनियल लैंग्वेज है, उसमें परिवर्तन किया गया। उसको काटकर फेंक दिया गया, इससे कांग्रेस की हार्टबीट बढ़ जाती है। United Kingdom, Provincial Act, London Gazette, Jury, Barrister, Lahore, Commonwealth, United Kingdom of Great Britain and Ireland, Her majesty's Government, Court of Justice in England, Her majesty's Dominions.

जब ये सब शब्द चले जाते हैं तो कांग्रेस की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और इसीलिए वे रोते हैं। सबको तो आजादी नहीं चाहिए, जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को अपने शरीर में जकड़ लिया, उनको आजादी नहीं चाहिए। सर, गुलामी की निशानी को हटाकर स्वाभिमान के ढांचे को खड़ा करने के लिए यह व्यवस्था हुई है। प्रलंबित न्याय का त्वरित न्याय में परिवर्तन करना, ऐसा कहा गया है कि "Justice delayed is justice denied." सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, मानव अधिकार को सुनिश्चित करना, यह हमारे लिए ध्येय है। अंग्रेजों के गुलामी के निशान को छोड़ते ही कांग्रेसी अंग्रेजियत को सुरक्षा देने के लिए हाउस छोड़कर भाग गए। हमें तो आनन्द

रहता, अगर वे यहाँ रहकर विचार में अंश ग्रहण करते। सर, कांग्रेस के एक नेता ने बोला था कि he was Hindu by accident. अंग्रेज पद्धति में खाना-पीना, नाचना, बोलना, राम सेतु को तोड़ने वाले, गौ हत्या वध को प्रोत्साहन देने वाले, वंदे मातरम का बहिष्कार करने वाले, भारत को खंडित करने वाले, अंग्रेजों के सामने झुकने वाले, पूजनीय शंकराचार्य को गिरफ्तार करने वाले, पूजनीय स्वामी रामदेव को गिरफ्तार करने वाले, सनातन धर्म को गाली देने वाले सब लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए एकजुट हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में इधर देशभक्त एकत्रित हुए हैं। अपने स्वार्थ को राष्ट्रहित में समर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर, मैं कहता हूँ कि नए संशोधन में सर्वत्र राष्ट्रीय छाप है। संगठित अपराध से संबंधित तथा छोटे-मोटे संगठित अपराध से संबंधित सारे विषयों को पुनः प्रस्तुत किया गया है। आतंकवादी कृत्यों के लिए भी कानून का पुनः प्रस्थापन किया गया है। भारतीय दंड संहिता को निरस्त करके एक नया भारतीय न्याय संहिता को प्रतिस्थापित करने का निर्णय वास्तविक रूप से साहसपूर्ण है। महिला और बच्चों के प्रति अपराध को और राष्ट्र के प्रति अपराध को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के प्रति जो बलात्कार होता है, इसमें मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है, उम्रकैद की व्यवस्था की गई है। आज कांग्रेसी लोगों, विरोधी पक्ष ने इसका विरोध किया। 5 हजार साल पहले, 10 हजार साल पहले हमारे देश में महिलाओं के प्रति अत्याचार के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था थी। द्रोपदी का अपमान करने के लिए कीचक को तुरन्त भीम ने मृत्युदंड दिया। कौरवों को मृत्युदंड दिया गया। सीता माता के अपमान के लिए रावण सहित सारे असुरों को मृत्युदंड दिया गया। झूठा वादा करके जो यौन संबंध रखते हैं, उनके लिए भी कड़ी सजा की व्यवस्था है।

माननीय सभापति : आप अंतिम वाक्य बोलकर अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी : सर, नया प्रोविजन है।... (व्यवधान) नई व्यवस्था की गई है।

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद के साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगी कि यदि हम भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत बात करें तो महिलाओं को सुनना बहुत जरूरी है। मेरे से पहले बहन सुनीता दुग्गल जी बोलीं, पर पूरी बात नहीं कह पाईं।

माननीय सभापति : आप प्लीज अपनी बात कहिए।

श्रीमती जसकौर मीना : महोदय, केन्द्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से जो ये तीन बिल आए हैं, मैं इनका तहे-दिल से समर्थन करती हूँ। मैं इन बिलों के साथ-साथ एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 का जो बिल है, यह महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं के लिए सुविधायें होनी चाहिए, कानून की प्रक्रिया को बदलते हुए आपने यह बात कही। इसका प्रारम्भ 15 अगस्त को हुआ था, जिस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री पांच प्रण लेकर लाल किले की प्राचीर से बोले। उनमें एक प्रण यही है कि गुलामी की जितनी निशानियां हैं, उन सबको मिटाया जाए। यह भी गुलामी की निशानी थी, जो वर्ष 1860 से हमारे ऊपर यह कानूनी जामा लागू था। मैं आपके माध्यम यह कहना चाहूंगी कि इंडियन पीनल कोड, 1860 की जगह यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 बिल आया है। इसी तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना और ठीक इसी प्रकार इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 की जगह हमने भारतीय साक्ष्य विधेयक की कल्पना की है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती कि ये कानून केवल अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए थे, हमारे देश के लोगों के न्याय के लिए नहीं थे।

सभापति जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के लिए जो कानून आपने स्थापित किए हैं और जिनमें परिवर्तन करते हुए सारी व्यवस्था की है, लेकिन कब कौन-सा कृत्य अपराध में बदल जाए और उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, यह व्यवस्था आपने करने की कोशिश की है। मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि पहचान छिपाकर शादी करवाने के लिए दंड की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। रेप के मामले में 16 साल से कम उम्र की बेटों को नाबालिग है, उन्हें मृत्यु दंड देना तो आसान है लेकिन जो प्रस्तावित धाराएं लिखी हैं, उनमें कुछ परिवर्तन होना

चाहिए। मैं तो यह भी कहूंगी कि यौन उत्पीड़न या महिला का पीछा करने वाले के लिए भी इसमें बहुत न्यून सजा का प्रावधान है।

सभापति जी, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ जो इसमें छूटी हुई है। जनजाति समाज के बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं। वहाँ केवल उनका ही कानून लागू होता है। वहाँ हमारी भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं से संबंधित कानून लागू नहीं होंगे। उनके अपने सामाजिक कानून होते हैं। वहाँ यदि पढ़ी लिखी महिला सरकारी नौकरी में है तो कानून की रक्षा उसे मिलेगी और यदि वह पढ़ी लिखी नहीं है तो उसे कानून रक्षा नहीं देगा। ऐसी परिस्थिति में जनजाति की महिलाओं के बारे में कानून में सुधार करना पड़ेगा। जनजाति के लोगों में बचपन में शादी तय करके सगाई कर देते हैं। यदि बड़े होने पर वह उस घर में शादी नहीं करना चाहती है तो उसे उठाकर ले जाते हैं। वहाँ कानून की दृष्टि से वह बिलकुल अपाहिज हो जाती है। यदि शादी होने के बाद बेटा नहीं हुआ और बेटी पैदा होती है तो पैतृक सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में वह मजदूरी करके दुखी जीवन व्यतीत करती है। जनजाति समुदायों के लिए इस कानून में कोई बात उद्धृत होनी चाहिए थी।

सभापति जी, महिलाओं के लिए समानता का दर्जा। समानता का दर्जा तो आप लोग भी नहीं दे रहे हैं। हम आज सुबह से सदन में हैं और हमेशा रहते हैं। इसके बावजूद सबके बाद हमें बोलने का मौका दिया जाता है। डॉ. सत्यपाल जी ने और बिहार के माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से विस्तार से बात कही, तो क्या हमें बोलने का मौका नहीं मिलेगा? हम भी बोल सकते हैं और आपको हमें उचित समय देना चाहिए। मैं चीफ व्हीप से भी कहूंगी।

माननीय सभापति : आप उन्हीं से कहिए।

श्रीमती जसकौर मीना : मैं उनसे कहूंगी कि आप सुनिश्चित कीजिए कि कम से कम दो या तीन वक्ताओं के बाद हमें बोलने का मौका दिया जाए। हम तीन दिन से पूरी तैयारी कर रहे हैं लेकिन हम अपनी पूरी बात नहीं कह पा रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगी कि:

“अन्याय सहकर बैठ जाना ये बड़ा दुष्कर्म है
न्यायार्थ अपने बांधुओं को दंड देना धर्म है।”

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण न्याय संहिताओं पर बोलने का मौका दिया है। मैं यहां भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य नीति विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। हमारे देश में भारतीय इतिहास और संस्कृति में लगातार अपराध और अन्याय के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है और जो भी लिखा गया है, वह मानव के मूलभूत अधिकारों और व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है। अपराध को हमेशा दुष्कृत माना गया है। आज 150 साल बाद हमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि दो सौ साल तक अंग्रेजों ने हम पर राज किया। उन्होंने पूरा एक भ्रम पैदा किया। भ्रम यह पैदा किया कि सबसे अच्छा इतिहास लिखने वाले अंग्रेज हैं, सबसे अच्छी भाषा अंग्रेजी है, सबसे अच्छी शिक्षा पद्धति अंग्रेजी है और सबसे अच्छी औषधि पद्धति, साइंस और विज्ञान इंग्लैंड की है।

लेकिन, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2014 के बाद यह निर्णय लिया कि हमें इस चिंतन में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक सम्प्रभु राष्ट्र हैं, हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। अगर भारत लोकतंत्र की जननी है और एक लोकतांत्रिक देश है तो एक सम्प्रभु राष्ट्र और कल्याणकारी व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार का जो दायित्व बनता है, वह यह है कि वह पूर्ण और त्वरित न्याय देने की व्यवस्था करे और विधि नियम नागरिक केन्द्रित हों। जिस तरह से हमारा संविधान हर प्रावधान और अनुच्छेद पर गम्भीर विचार के बाद स्थापित किया गया और तब यह विश्व का सबसे सुन्दर और विस्तृत संविधान बना। उसी तरह से आज जो न्याय संहिताएं लायी गयी हैं, ये बहुत ही लम्बे विचार-विमर्श के बाद, माननीय प्रधान मंत्री जी के संरक्षण में हमारे गृह मंत्री जी ने इसको प्रस्तुत किया है। इसमें स्पष्ट है कि हमें दंड नहीं देना है, बल्कि हमें न्याय देना है। लेकिन, अगर वह अपराध ऐसा है, जो जनमानस को नुकसान पहुंचाता है, तो उसमें दंड देने की

अच्छी व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। महोदय, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि वर्ष 1993 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2007 में कई कमेटियां बिठाई गयीं, जैसे वोहरा समिति, मलिमथ समिति, माधव मेनन समिति इत्यादि। इन लोगों ने यह बताया कि हम अपराध को कैसे कम करें, आर्थिक अपराधों को कैसे कम करें, राजनीति में अपराध को कैसे कम करें, नौकरशाही में अपराध को कैसे कम करें, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। 65 वर्षों तक काँग्रेस की सरकार कुछ कर सकती थी, मगर उन्होंने नहीं किया, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने अपने दस वर्षों के अन्दर केवल उस उपनिवेशवादी संस्कृति से मुक्ति नहीं दिलाई, बल्कि उसके चिंतन से, सोच से मुक्ति दिलाई। उसकी हर धारा में परिवर्तन करने का काम उन्होंने किया है। मैं उपनिवेशवादी प्रतीकों की क्या बात करूँ? उन्होंने कहा कि 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' होना चाहिए। 1500 कानूनों को रद्द करने के साथ-साथ करीब 25,000 ऐसे नियम, जो विभिन्न कार्यों में बाधक होते थे, उन्हें भी उन्होंने समाप्त या संशोधित किया। हमारे प्रधान मंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने यह स्पष्ट किया कि हमारे लिए कानून व्यवस्था या न्याय आवश्यक रूप से एक सरल व्यवस्था होनी चाहिए और इसका लक्ष्य दंड देना नहीं, बल्कि न्याय देना है। जनता की आशाओं-आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप हमें अपनी न्याय व्यवस्था बनानी चाहिए। इसीलिए, ये सारी संहिताएं लायी गयी हैं, जो कि भारतीय सोच से संबंधित हैं। हम मानते हैं कि मानव के मौलिक अधिकार हैं, लेकिन व्यवस्था भी होनी चाहिए।

महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपके समक्ष यह भी रखना चाहती हूँ कि जो विभिन्न सेक्शंस हैं, जिन्हें समाप्त किया गया, बदला गया या निरस्त किया गया, यह भी बहुत आवश्यक था। 150 साल बाद हमें इस व्यवस्था को लाने की क्या जरूरत पड़ी? आज के समय में अपराध की परिभाषा, तौर-तरीके, जांच, गवाहों और सबूतों के परीक्षण में व्यापक परिवर्तन आया है। आज इस मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। यही कारण है कि आज हमने आतंकवाद की, अलगाववाद की एक सुनिश्चित परिभाषा दी है। संगीन अपराध, साइबर अपराध जैसी चुनौतियों का मुकाबला इन संहिताओं के माध्यम से कर सकेंगे। आज जब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सुविधाएं, जैसे

सीसीटीवी कैमरा, वॉयस रिकॉर्डिंग, कैमरा रिकॉर्डिंग, फॉरेन्सिक जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो ये वर्तमान आवश्यकताएं हैं। जल्दबाजी में कुछ नहीं किया गया है, बहुत सोच-समझ कर किया जा रहा है।

राजद्रोह को हटाकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की व्याख्या की गयी है। मॉब लिंगिंग के साथ-साथ भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों के खिलाफ भी कानून बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए विशेषकर, छेड़खानी और सामूहिक बलात्कार से लेकर महिलाओं से संबंधित जितने भी अपराध हैं, सबके खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं, वे हमारे लिए बहुत ही सुरक्षा देने वाले होंगे। आज 5 करोड़ से ज्यादा केसेज लम्बित हैं। महोदय, जो जेल की ऑक्यूपेंसी है, वह उसकी क्षमता का 131 प्रतिशत हो चुका है। मैं कहना चाहती हूँ, जैसा कि कहा गया है कि 'जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड', और एक और कहावत है कि *every accused is innocent until proven guilty*, इन दोनों बातों को रखते हुए हमारी सीआरपीसी, आईपीसी और हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस में और हमारे एविडेंस एक्ट में जो चेंजेज किए गए हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अच्छे हैं। सेकन्डरी एविडेंस से लेकर एफआईआर, बयान, चार्जशीट को फाइल करना, उसको डिजिटाइज्ड करना और एक निश्चित समय पर न्यायालय से उसका जजमेंट आ जाना, इन सबकी व्यवस्था की गयी है।

महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि प्रधान मंत्री जी ने पिछले नौ वर्षों में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। 21वीं सदी के भारत को उन्होंने एक नई दिशा दी है और सैंकड़ों सालों से लंबित ऐसे विवादित विषयों को समाप्त किया है। आज हम आज़ादी के 75वें वर्ष से 100वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। यह यात्रा प्रधान मंत्री जी द्वारा दिए गए पंच प्रण को निभाते हुए भारत के इतिहास में नया अध्याय लिखेगी। नए भारत के निर्माण एवं राष्ट्रहित के साथ-साथ महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों और संवेदनशील समूहों को भी मध्य में रखा गया है। महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ।
... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

21.00 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on
Wednesday, December 20, 2023/Agrahayana 29, 1945 (Saka).*

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

www.sansad.in/ls

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)
